



राजना

नवंबर 2016

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

कर सुधार

कर सुधारः अतीत, वर्तमान व भविष्य
टी एन अशोक

जीएसटीः भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्णायक मोड़?
रंजीत मेहता

जीएसटी एवं संवैधानिक असमंजस
जयंत राय चौधरी

भारतीय कर प्रणालीः प्रगतिशीलता की ओर
मालिनी चक्रवर्ती

विशेष आलेख

जीएसटीः अंतरराष्ट्रीय अनुभव
प्रभाकर साहू, अश्विनी बिश्नोई

फोकस

कालाधन के खतरेः युद्धस्तर पर समाधान
दिलाशा सेठ





वरसु एवं सेवा कार्ट (जीएसटी)

जीएसटी - राष्ट्र की आधिक नियति का निर्धारक।

जीएसटी



जीएसटी - निमता/आपूर्तिकर्ता से उपभोक्ता तक वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति पर केवल एक ही कर।



जीएसटी के लाभ

- सकल घेरेलू उत्पाद में वृद्धि।
- रोजगार का सुजन।
- निवेश में बढ़ोत्तरी।
- अनुपालन खर्च में कमी।
- एक राष्ट्रीय साझा बाजार।
- संचालन और इनवेन्टरी लागत में कटौती।
- कई करों की जगह सिर्फ एक कर।
- कम कर अपवाहन और इनपुट टेक्स क्रेडिट के माध्यम से राजस्व में बढ़ावा।



Directorate General of Taxpayer Services
CENTRAL BOARD OF EXCISE & CUSTOMS
www.cbec.gov.in

A nation is made, when taxes are paid



योजना

वर्ष: 60 • अंक 11 • नवंबर 2016 • कार्तिक-अग्रहायण, शक संवत् 1938 • कुल पृष्ठ: 64

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

<http://www.facebook.com/eyojanahindi>

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी के मीणा
सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह

(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी पी धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण,
पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एंजेंसी आदि के
लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आ.
डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग'
के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53

भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के
लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर
भी संपर्क किया जा सकता है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र


शहर	पता	फिनकोड	दूरभाष
नयी दिल्ली	सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	23890205
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर	600090	24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड नयी गवर्नरमेंट प्रेस के निकट	695001	2330650
हैदराबाद	ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली	500001	24605383
बंगलुरु	फस्ट प्लॉर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	25537244
पटना	विहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	2683407
लखनऊ	हाल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज	226024	2225455
अहमदाबाद	अविका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर	380007	26588669
गुवाहाटी	के. के. वी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेनीकुटी	781003	2665090

इस अंक में

- **संपादकीय** 7 • परिष्कृत जीएसटी: कर सुधारों का स्वप्निल सफर 37
- कर सुधार- अंतीत, वर्तमान और भविष्य- एक परिदृश्य अश्विनी महाजन
- टी.एन. अशोक 9 • जीएसटी एवं स्वैधानिक असमंजस 41
- भारतीय कर प्रणाली: प्रगतिशीलता की ओर मालिनी चक्रवर्ती 13 • जीएसटी: एक देश, एक कर शिशिर सिन्हा 45
- टैक्स सुधार के नए युग की शुरुआत देवेन्द्र सिंह मलिक 17 • समतामूलक कराधान की ओर हारिकिशन शर्मा 49
- फोकस 21 • सहज व पारदर्शी कर लेखांकन की ओर 53
- कालाधन के खतरे: समस्या व समाधान अमित कुमार सिंह, संदीप कुमार रौय
- दिलाशा सेर 25 • संघीय ढांचा व कर बंटवारा 57
- जीएसटी: भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्णायक मोड़? रंजीत मेहता
- विशेष आलेख 31 • अधिनव श्रीबास्तव 57
- जीएसटी: अंतरराष्ट्रीय अनुभव दुनिया की मुश्किलों से भारत के लिए सबक हर्षवर्द्धन त्रिपाठी 60

- योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।
- योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।
- प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।
- योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं है, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610



आपकी राय



लीक से हटका

यो

जना पत्रिका में आलेख आंकड़ों में उलझा स्त्री स्वतंत्रता का मिथक पढ़ा। बहुसंख्यक विचारों से हटकर आपने तर्क एवं तथ्य के साथ वास्तविक स्थिति को दर्शाया है। आपके दूसरे लेख का इंतजार रहेगा।

गिरीश सिंह

girshsingh5646@gmail.com

सशक्त नारी की आवाज़

ना

री सशक्तीकरण पर केंद्रित सितंबर, 2016 का अंक पढ़ा। इस अंक से अत्यंत ज्ञानवर्धक जानकारी मिली। महिलाओं का सशक्तीकरण करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि पहले महिलाओं को यह अहसास दिलाना होगा कि उनका शोषण हो रहा है। उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना होगा। महिलाओं को सशक्त करने की शुरुआत अपने घर से करनी होगी। इसके लिए उनका शिक्षित होने बहुत जरूरी हैं क्योंकि शिक्षित न होने के कारण उन्हें नियम-कानूनों की जानकारी नहीं होती हैं और वे परम्परा के नाम पर बहुत कुछ सहती हैं। शिक्षित होने से उनमें आत्मबल आएगा और अपने विरुद्ध होने वाले अन्यायों का विरोध कर सकेंगी संघ एवं राज्य सरकारों ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया गया है। बिहार सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 35 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास किया है। भारतीय सर्विधान में भी महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। सर्विधान के अनुच्छेद 14 और 15 में समानता के

अधिकार देने के साथ-साथ लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिष्ठेद किया गया है। पीडित नेहरू ने कहा है कि, “जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और राष्ट्र भी अग्रसर होता है।” अंत में, समस्याओं से घबराकर पीछे हटना नहीं है, समझदारी उनसे मुकाबला कर आगे बढ़ना है, बहादुरी तभी जीवन के सफर को सफल कर पाएंगे, नई पंखों की उड़ान में उड़ पाएंगे।

खुशबू कुमारी, राज नारायण कॉलेज, हाजीपुर
वैशाली, बिहार

वास्तविकता का बोध कराता अंक

यो जना के वस्त्र उद्योग पर आधारित अंक को विशेषांक के रूप में प्रस्तुतीकरण सम्पूर्ण देश के लिए अपने गौरव इतिहास को जानने जैसा लगा। विविधताओं से भरा देश, अपनी अनेकता में एकता के जिन विशेष गुणों के कारण पहचाना जाता है उनमें पहला दृष्टिगोचर होने वाला गुण हमारे वस्त्रों से ही आरंभ होता है। जब हम किसी को देखते हैं तो उसके वस्त्र ही उसके धौगोलिक और आर्थिक स्तर के बारे में हमें बताते हैं।

जया जेटली जी की लिखी बात पढ़कर बहुत आत्मीयता और वास्तविकता का बोध हुआ कि ‘किसी समुदाय की संस्कृति और विशिष्टता के अनुसार पहने जाने वाले बुनियादी वस्त्रों के अलावा ज्यादातर किसम के हाथ से बुने या सजावटी कपड़ों का कोई विशेष अर्थ या उद्देश्य होता है। यही बात भारतीय कपड़ों को इतना विशेष बनाती है।’ मैं तो कहूँगा कि हर क्षेत्र, प्रदेश या देश की प्रारंभिक पहचान ही उसके वस्त्रों से होती है।

हमारे वस्त्र हमारी कार्यशैली से जुड़े रहे हैं। चाहे वह किसान की धोती हो या पुजारी

की। हमारे परिवारों में भी बुजुर्गों के वस्त्रों के रंग हल्के और सादी चित्रकारी वाले परंतु युवा बहुओं के वस्त्रों का रंग गहरे, चमकदार और सुंदर चित्रकारी वाले होते हैं। इतना ही नहीं हमारे त्योहारों पर भी पारंपरिक वस्त्रों को धारण करने की परंपरा रही है। यह बाकई सच है कि इन्हीं परंपराओं ने ही भारतीय के रूप में हमारी सच्ची पहचान के साथ हमें सुरक्षित रखा है।

परम्पराओं में वस्त्रों का पालन मुझे लगभग दो वर्ष पूर्व बहुत नजदीक से देखने को मिला जब मुझे ‘सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र’ में प्रशिक्षण का अवसर मिला। जिसके माध्यम से भारत सरकार हमारे पूरे देश के विभिन्न शिल्पों को संजोने और प्रसारित करने का कार्य कर रही है। मुझे वहां 17 प्रदेशों से 100 लोग ‘प्रदेश प्रस्तुतीकरण’ में उनके मूल परिधान भी देखने को मिले। मुझे भी वहां कश्मीर के साथियों द्वारा ‘सौ में एक हिंदुस्तानी’ का खिताब मिला। पर एक दुःख भी हुआ कि बाकी दिनों में लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे।

ऐसा क्यों है कि पुरुषों के पारंपरिक परिधान केवल माननीयों के द्वारा ही अपनाये जा रहे हैं लेकिन हम, जिन्होंने उन्हें चुना है, उनके वस्त्रों को किसी के द्वारा पहनने पर उसे ‘नेता’ की संज्ञा से जोड़ देते हैं। हमारे छोटे-छोटे शहरों में भी गैर पारंपरिक वस्त्रों के 4-5 ‘चेन स्टोर’ मिल जायेंगे पर पारंपरिक वस्त्रों की एक पूरी दुकान भी नहीं! टीवी के परदे पर ज्यादा देर तक बने रहने वाले प्रस्तुतकर्ता भारत के ही होते हैं पर सिर्फ नागरिकता से, वस्त्रों से नहीं। हम, जिस क्षेत्र या प्रदेश में रहते हैं, वहां के सरकारी कार्यालयों में उसी क्षेत्र के परिधान का प्रचलन और ग्रोत्सान

नहीं है। हमारी व्यावसायिक शिक्षा में 'फैशन डिजाइनिंग' के कोर्स तो हैं पर पारंपरिक वस्त्र, जो हमारी पहचान है, कृषि के बाद दूसरा रोजगार प्रदाता भी है, उसका कोई बहु आयामी कोर्स नहीं! टीवी पर सैकड़ों विज्ञापन आते हैं पर हमारी संस्कृति और धरोहर से जुड़ा कोई विज्ञापन नहीं!

अगर हमें अपने पारंपरिक वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ानी है तो सबसे पहले उनका सम्मान बढ़ाना होगा। सिर्फ एक वस्त्र खरीदने के साथ ही उसे मासिक बेतन के दिन ही नहीं सापाहिक रूप से भी पहनने की शुरूआत करनी होगी। इस परंपरा को जीवंत बनाये रखने के लिए इसे स्कूलों से जोड़ना होगा। हमें खादी वस्त्रों का चुनाव करने से पहले अपने विचार बदल कर उसका सम्मान करना सीखना होगा। क्योंकि खादी वस्त्र नहीं विचार है। क्योंकि 'हम' और कोई नहीं सिर्फ 'भारत के लोग' हैं और हमारी भारतीयता की एक पहचान हमारे वस्त्र भी है।

हीरेन्द्र रमन, बहराइच, उत्तर प्रदेश
hirendra.raman@gmail.com

नये विचारों का निर्माण

यो जना का सिंतंबर, 2016 का अंक पढ़ा। अंक से महिला अधिकारों के संदर्भ में विशेष जानकारी मिली। मैं इस पत्रिका का अध्ययन विगत

तीन महीनों से कर रही हूं। यह पत्रिका हमारे अंदर नए विचारों का निर्माण करती है। सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा हैं और इसका संबंध लोगों की सामाजिक सहभागिता से जुड़ा होता है। इसके अलावा सशक्तीकरण एक प्रक्रिया भी है जिसकी कोई अंतिम सीमा नहीं। यह वह प्रक्रिया है, जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ देता है अपितु साथ ही साथ सत्ता के मानों पर नियंत्रण करने की क्षमता भी प्रदान करता है। महिलाएं तभी सशक्त हो सकती हैं, जब वे शिक्षित हो। हमें उनके शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनमें आत्मबल आ सके और वे आत्मनिर्भर हो सके। अंत में,

लक्ष्मी का रूप कहो या दुर्गा का अवतार,
इस बेटी का नहीं कही हैं, आदर सक्तार॥
युग बदला फिर बेटी जन्मी, सभी उदास,
सबके मन में कही दबी थी, पुत्र जन्म की आस॥
भैया एम्बोए कर लेता, मैं क्यों बीए पास,
इस डिग्री के साथ, नहीं किसी जुगत की आस॥

स्वाति कुमारी, हाजीपुर, वैशाली, बिहार

ज्ञानवर्धक व रोचक अंक था

वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प और कुशल भारत -कौशल भारत को समर्पित योजना पत्रिका के अक्टूबर, 2016 के अंक में रहीस सिंह जी का आलेख पढ़ा। आपका आलेख सरल, सहज शब्दों

में बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक है विद्यार्थियों, शोधार्थियों सहित हर स्तर के पाठक वर्ग के लिए यह आलेख निश्चित रूप से सहायक होगा। आपकी लेखनी से सूचनाप्रकरण ज्ञानवर्धक, रुचिकर आलेख से शिल्पकार भी लाभावधि होंगे। प्रासांगिक आलेख के लिए हृदय से साधुवाद एवं शुभकामनाएं!

रजनीश कुमार यादव, प्रबंधक (राजभाषा),
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, कोटा
अंचल कार्यालय, कोटा राजस्थान

सार्थक प्रस्तुति

यो जना 2016 के सिंतंबर अंक में आपका रविशंकर

जी का आलेख बहुत ही सार्कक है। अंतिम में अपने देश के मौजूदा हालात का बेहतरीन चित्रांकन प्रस्तुत किया है। भारतीय समाज, राजनीति, स्वयंसेवी संस्थाएं की असली तस्वीर आपने अपने लेख में प्रदर्शित की है। अपने ज्ञान को आपको अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने में लगाना चाहिए। इसके लिए आप खुला संवाद-मंथन, नियमित लेख लिखकर एवं समाचार चैनलों के माध्यम बनाया जा सकता है। इस देश को इस तरह के ज्ञानी जनों की जरूरत है।

पवन सिंह राजावत,
psrajawat1991@gmail.com

The advertisement features a large statue of Sardar Vallabhbhai Patel standing on a pedestal against a yellow background. To the left, several book covers are displayed, including "Sardar Patel" by J.J. Patel, "Sardar Vallabhbhai Patel" by J.J. Patel, "मार्ट का एकता का निर्माण" by J.J. Patel, and "आधुनिक मार्ट के निर्माण" by Publications Division. Below the books are two logos: "BUILDERS OF MODERN INDIA" and "Sardar Vallabhbhai Patel". At the bottom left, there are social media links for Publications Division (@publicationsdivision) and @DPD_India. The text "जानें पुस्तकों के माध्यम से सरदार पटेल को" is prominently displayed in the center.

जानें पुस्तकों के माध्यम से सरदार पटेल को

अपनी प्रतियां सुरक्षित कराने एवं व्यापार संबंधी पृष्ठाओं के लिए कृपया संपर्क करें:

टेलीफोन : 011-24367260, 24365609
ई मेल : businesswng@gmail.com

ये पुस्तकें इनपुस्तकों के रूप में play.google.com एवं kobo.com पर भी उपलब्ध हैं।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वेब साइट : publicationsdivision.nic.in



**Most trusted & renowned
institute among IAS aspirants**

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित मासिक पत्रिका

करेट अपेयर्स टुडे

वर्ष 2 | अंक 5 | कुल अंक 17 | नवंबर 2016 | ₹ 100

**मेन्स
कैप्सूल 3**
अंतर्राष्ट्रीय संबंध

**प्रमुख
आकर्षण**

- महत्वपूर्ण लेख
- दू. द. पॉइंट
- टोपर्स की डायरी
- शिक्षायत
- एथिक्स
- मानविकी से सीखें
- पी.टी. एक्सप्रेस

द जिरट

- ♦ योजना ♦ कुरक्षेत्र ♦ वर्ल्ड फोकस ♦ इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली
- ♦ द इकॉनॉमिस्ट ♦ साइंस रिपोर्टर ♦ द हिन्दू

- ☑ समसामयिक मुद्दों पर आधारित महत्वपूर्ण लेख।
- ☑ आगामी मुख्य परीक्षा के लिये सामान्य अध्ययन पर महत्वपूर्ण सामग्री।
- ☑ प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक महीने सामान्य अध्ययन के विभिन्न खण्डों के रिवीज़न के लिये 'दू. द. पॉइंट' सामग्री।
- ☑ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं (योजना, कुरक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली, साइंस रिपोर्टर, द हिन्दू) के महत्वपूर्ण लेखों और समाचारों का सारांश।
- ☑ मुख्य परीक्षा के लिये समसामयिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर।
- ☑ एथिक्स पेपर के लिये हर महीने विशेष सामग्री।

पत्रिका का सैम्प्ल निःशुल्क पढ़ने के लिये हमारी वेबसाइट:
www.drishtiias.com पर विज्ञिट करें।



To Subscribe, Call - 8130392351, 59

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : **www.drishtiias.com**, Email : **info@drishtipublications.com**

संपादकीय

कर सुधारः विकास के लिए अनिवार्य

क

र शब्द से एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है, जो अंतिम तिथि से पहले अपना आयकर भरने के लिए दौड़ रहा होता है। अथवा किसी व्यापारी पर आयकर छापे की छवि उभरती है, जिसमें छिपा हुआ धन और संपत्ति मिलती है। यह शब्द कितना भी डराना लगता हो, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कर आवश्यक होते हैं। किसी देश के नागरिक जो कर देते हैं, वे कर ही सड़क और पुल बनाने, बांध खड़े करने, रेल नेटवर्क का रखरखाव करने, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने जैसी विकास की गतिविधियों में खर्च होते हैं।

प्राचीन काल के राजा-महाराजा भी कर वसूल करते थे। अशोक और अकबर जैसे बुद्धिमान राजाओं ने कराधान और कर संग्रह की व्यवस्थित नीति बनाई थी ताकि आम आदमी को परेशान किए बिना साम्राज्य चलाने के लिए राजस्व अर्जित किया जा सके। कुछ राजा मनमाने ढंग से कर संग्रह कराते थे, जिसका इस्तेमाल वे अपनी विलासिता भरी जीवनशैली के लिए करते थे। आज आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में करों का नियमन अनेक नियम-कानूनों से होता है, जिन पर जनप्रतिनिधियों की नजर रहती है।

भारतीय कर व्यवस्था दुनिया में सबसे पेचीदा कर व्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों को राजस्व के लिए विभिन्न प्रकार के कर लगाने का अधिकार है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के कर वसूले जाते हैं, जिनमें आयकर और संपदा कर जैसे प्रत्यक्ष कर होते हैं, जिनका जन सामान्य पर सीधा असर पड़ता है और मूल्य बढ़ित कर (वैट) तथा सेवा कर, निगमित कर जैसे अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जो आम आदमी को वस्तुओं तथा सेवाओं के एवज में देने होते हैं। प्रत्येक बजट से आम आदमी और कंपनियों को कर सुधार की अपेक्षा होती है। आम आदमी आयकर के स्लैब में वृद्धि की उम्मीद करता है और कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में कर में राहत चाहती हैं। सरकार अर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार इन अनुरोधों पर विचार करती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में अभूतपूर्व अर्थिक वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण कराधान प्रणाली में सुधारों की आवश्यकता हुई ताकि उसे विदेशी तथा घरेलू निवेशकों के लिए अधिक सरल एवं आकर्षक बनाया जा सके। वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों के अनुरूप चलने के प्रयास में भारतीय कराधान व्यवस्था में भी पिछले एक दशक में सराहनीय सुधार हुए हैं, जिनमें कर संबंधी कानूनों को तर्कसंगत बनाना एवं सरल बनाना शामिल है।

हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर भारतीय कराधान इतिहास में ऐसे ही सर्वाधिक ऐतिहासिक कर सुधारों में शामिल है। इसमें कराधान प्रणाली को दुरुस्त करने का प्रयास है, जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक ही कर देना पड़े। यह विधेयक राज्यों तथा केंद्र के लगभग 15 करों को समाप्त कर देगा, जो सरकार के सहकारी संघवाद के विचार के अनुरूप होगा। अभी तक 16 राज्य जीएसटी विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं, इसलिए विधेयक को कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों की मंजूरी मिलने की शर्त पूरी हो गई है। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के साथ ही 01 अप्रैल, 2017 को सरकार एक नए युग में कदम रखने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि यह ऐतिहासिक सुधार कारोबारी सुगमत लाने एवं भारत को विश्व व्यापार से प्रतिस्पर्द्धी करने योग्य बनाने में बहुत सहायक होगा।

जीएसटी भारत में कर प्रणाली के सरलीकरण की ओर बढ़ा कदम है किंतु इस प्रणाली की जटिलता ने देश में अभी तक कर चोरी और काले धन को ही बढ़ावा दिया है। काला धन इतनी अधिक मात्रा में है कि देश में इसकी समांतर अर्थव्यवस्था चलती बताई जाती है। सरकार ने काले धन का पता लगाने और उस पर अंकुश लगाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें नीतिगत स्तर पर पहले, क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर अधिक कार्य, मजबूत विधायी एवं प्रशासनिक ढांचे, प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं लागू करना और सूचना प्रौद्योगिकी का समुचित इस्तेमाल करना शामिल हैं। आय की स्वैच्छिक घोषणा की योजना (वीआईडीएस), काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, विदेश में जमा काले धन से निपटने के लिए पूरी तरह से नया कानून - काला धन (अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति) एवं कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 बनाना, बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना ऐसे ही कुछ प्रमुख कदम हैं, जो सरकार ने हाल ही में इस सिलसिले में उठाए हैं।

किसी समय अपारदर्शी, जटिल रही भारतीय कराधान प्रणाली अब पारदर्शी, सरल एवं भविष्योन्मुखी हो गई है। वर्तमान सरकार इसे और भी आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है ताकि भारत दुनिया भर में निवेश तथा विनिर्माण का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन सके। □



विगत 15 वर्षों से सर्वाधिक विश्वसनीय एवं सर्वोल्कृष्ट संस्थान जो सामान्य अध्ययन के 50 से भी अधिक समर्पित एवं अनुभवी विशेषज्ञों का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क

Vinay Singh, Founder & CEO Q. H. Khan, Managing Director

ANNOUNCEMENT OF NEW BATCHES FOR SESSION 2017-18

हिन्दी माध्यम

North Delhi (Mukherjee Nagar)

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH
Pre-cum-mains

4th November
at
9:00 am

वैकल्पिक
विषय

- हिन्दी साहित्य
- भूगोल

Allahabad

PREMIUM BATCH
Pre-cum-mains

1st December
at
8:00 am

**GS FOCUSED
BATCH**

14th November
at
11:00 am

वैकल्पिक
विषय

- इतिहास
- भूगोल
- समाजशास्त्र
- राजनीति विज्ञान
- लोक प्रशासन
- समाज कार्य
- रक्षा अध्ययन

MAINS BATCH

7th November
at
10:30 am

CSAT
(IInd Paper)

20th November
at
11:30 am

FACE-TO-FACE CENTRES

- **NORTH DELHI** : 701, 1st Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009 Ph.: 011-47354625/26, 09540062643, 9205274741/42/43
- **EAST DELHI** : 1/53 IIrd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi Ph.: 011-43012556 / 09311969232
- **ALLAHABAD** : IInd & IIrd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001 Ph.: 0532-2260189/08853467068
- **LUCKNOW** : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow (UP) Ph.: 0522-4025825/09506256789

East Delhi (Laxmi Nagar)

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH
Pre-cum-mains

REGULAR BATCH

4th November
at
9:00 am

WEEKEND BATCH

5th November
at
11:00 am

PCS BATCH
14th November at 7:30 am

Lucknow

सामान्य अध्ययन

PREMIUM BATCH
Pre-cum-mains

11th November

at
6:00 pm

2nd December

at
8:30 am

वैकल्पिक
विषय

- इतिहास
- भूगोल
- समाजशास्त्र

VSAT CENTRES

- **BIHAR**: PATNA-7549106424, **CHATISGARH**: BILASPUR-9424124343, **DELHI & NCR**: FARIDABAD-9582698964, LAXMI NAGAR - 9311969232, **HARYANA**: SIRSA - 9255464644, KURUKSHETRA - 8607221300, **JHARKHAND**: DHANBAD - 9973401444, **MADHYA PRADESH**: BHOPAL-7554011277, JABALPUR - 9993681988, REWA - 9926207755, SINGRAULI - 9589913433, **PUNJAB**: AMRITSAR-73782266, CHANDIGARH - 9872038899, PATIALA - 9041030070, **RAJASTHAN**: ALWAR - 9024610363, JODHPUR - 9782006311, SIKAR - 9672980807, **UTTAR PRADESH**: BAHRAICH - 8874572542, BAREILLY-7409878310, GORAKHPUR-9236747474, JHANSI-8874693399, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7570009004, LUCKNOW (GOMTI NAGAR)-7570009003, MORADABAD-9927622221, SAHARANPUR-9568859300, **WEST BENGAL**: KOLKATA-8335054687

FOR DETAILS VISIT US ON **WWW.DHYEYIAS.COM** OR SEND 'DHY' AT **52424** OR CALL ON **9205274741/42/43**

कर सुधारः अतीत, वर्तमान व भविष्य

टी एन अशोक



जीएसटी देश में कर सुधार की दिशा में एक बड़ी छलांग है जिससे अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरों और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीडीपी की वृद्धि के लिए साल 2016-17 में बड़े पैमाने पर कर सुधार किए जाएंगे। सरकार को डीटीसी या कॉर्पोरेट जगत के प्रस्तावों को अमल में लाने में समय लग सकता है लेकिन यकीनन व्यक्तिगत करदाताओं और कारोबारियों के लिए कर कानूनों को सरल बनाने की तरफ उसका ध्यान केंद्रित होगा जिससे देश की बड़ी आबादी कर दायरे में लाई जा सके

र सुधार किसी भी देश के विकास की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होते हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए रोल मॉडल ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों ने भी पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न कर सुधार किए हैं। ब्रिटेन को ही लीजिए। वहां की कंजर्वेटिव लिबरल डेमोक्रेट गठबंधन सरकार ने वर्ष 2010 से 2015 के दौरान कर सुधार किए। वर्ष 2013 में प्रारंभ कर सुधारों के बाद जब चांसलर ऑफ द एक्सचेकर ने बजट पेश किया तो लगभग 20 लाख लोग आयकर के दायरे से बाहर आ गए। कर सुधारों से व्यक्तिगत भर्ते में वृद्धि हुई जिसका अर्थ यह था कि किसी भी व्यक्ति को तब तक कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा, जब तक कि वह 9,440 पाउंड से ज्यादा न कमाने लगे। टैक्स की उच्च दर की अधिकतम सीमा- जिसके ऊपर लोग 40 प्रतिशत पर टैक्स का भुगतान करते हैं- व्यक्तिगत भर्ते को छोड़कर 34,370 पाउंड से गिरकर 32,010 पाउंड हो गई। इसी प्रकार जिन लोगों की कर योग्य आय 150,000 पाउंड से अधिक थी, उनके लिए वर्ष 2013-14 में आयकर की शीर्ष दर 50 प्रतिशत से गिरकर 45 प्रतिशत हो गई।

इसी तरह हम अमेरिका का उदाहरण भी ले सकते हैं। अमेरिका मुक्त व्यापार और उन्नत अर्थव्यवस्था का एक प्रतीक है। यह ऐसा देश है जिसे कर सुधारों की बहुत जरूरत है। इसी के मद्देनजर दो सांसद वहां व्यापक कर सुधार की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं मैक्स बुक्स जो एक डेमोक्रेट हैं और सीनेट की कर-लेखन समिति के प्रमुख हैं। दूसरे हैं डेव कैप जोकि एक रिपब्लिकन हैं और हाउस

ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं। ये दोनों पिछले तीन वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं और उनके विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी भी योजना को फलीभूत करने में अभी समय है लेकिन उनके सिद्धांत स्पष्ट हैं। कॉरपोरेशंस और लोगों, दोनों के लिए टैक्स की दरें कम की जाएं। टैक्स ब्रेक्स को सीमित किया जाए या उन्हें पूरी तरह समाप्त किया जाए। अमेरिका में टैक्स ब्रेक्स का मतलब है- टैक्स की छूट।

हालांकि बुक्स और कैप अलग-अलग दलों के हैं, वे दोनों एक जैसा सोचते हैं। टैक्स ब्रेक्स दिए ही न जाएं- दान, आवास, स्वास्थ्य बीमा और अनुसंधान एवं विकास जैसे लोकप्रिय टैक्स ब्रेक्स को भी समाप्त किया जाए। हालांकि अगर बहुत जरूरी हो तो कुछ जरूरी चीजों पर उच्च करों के रूप में लागत वसूली जाए। जैसा कि इकोनॉमिस्ट में एक लेख अमेरिका की राजनीतिक वास्तविकता की तरफ इशारा करता है। इस लेख में कहा गया है कि कुछ टैक्स ब्रेक्स तो देने ही होंगे। क्योंकि कार्बन टैक्स की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो धन जुटाने का सबसे समझदार तरीका कहा जा सकता है।

फिर भी कैप और बुक्स को एक कुशल कर प्रणाली की रचना करने का आधार मिल ही गया है। हां, वे दोनों इस सवाल पर एकमत नहीं हैं कि क्या कर सुधारों से और अधिक राजस्व जुटाना चाहिए। रिपब्लिकन होने के नाते कैप ने इससे इनकार किया है तो राष्ट्रपति ओबामा के नेतृत्व वाले दूसरे डेमोक्रेट्स की तरह बुक्स ने इस पर सहमति जताई है।

तो, भारत में कर सुधार कोई अपवाद नहीं है। नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों

लेखक वित्त और आधारभूत संरचना के विशेषज्ञ और पीटीआई के पूर्व आर्थिक संपादक हैं। सामरिक मामलों और सार्वजनिक मुद्दों के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। वह भारतीय समाचार पत्रों, कॉरपोरेट पत्रिकाओं और वेबसाइटों के लिए लिखते रहते हैं। ईमेल: ashoktnex@gmail.com

के बाद से कर सुधार एक बड़ी जरूरत बन गए हैं। अत्यधिक विवेचना के बाद तत्कालीन सरकार ने महसूस किया कि किसी भी कराधान प्रणाली को उचित, निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण होना चाहिए ताकि प्रत्यक्ष कर चुकाने वाले आम लोग और ढेरों अप्रत्यक्ष कर चुकाने वाली कंपनियां और उद्योग धंधे न केवल कराधान प्रणाली का अनुपालन करें बल्कि महसूस करें कि टैक्स का भुगतान करना उनका सामाजिक और नागरिक कर्तव्य है क्योंकि टैक्स ही किसी भी सरकार के लिए विकास परियोजनाओं को शुरू करने का मुख्य साधन होता है।

अतः: 2016 तक सभी सरकारों के लिए कर सुधार एक गतिशील प्रक्रिया रही है। तब से अब तक इससे जुड़े सिद्धांत लगभग एक समान रहे हैं- एक पारदर्शी, न्यायसंगत और निष्पक्ष कराधान प्रणाली जिसका अभिशासन सरल हो। अब तक सरकारें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को इस प्रकार तर्कसंगत बनाती आ रही है कि व्यक्तिगत करदाता को सबसे अधिक लाभ हो।

साल दर साल शुरुआती स्तर के कराधान की अधिकतम सीमा हटा दी गई और कराधान स्लैब को स्पष्ट रूप से तीन स्लैब्स में बांट दिया गया। 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये और फिर 10 लाख रुपये पर क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत टैक्स। 2.50 लाख रुपये से कम कमाने वाले को टैक्स नहीं देना होगा। 2.50 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक कमाने वाले को 10 प्रतिशत और 5 लाख से 10 लाख कमाने वाले को 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले को अपनी आय पर 30 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।

अब तक कॉर्पोरेट टैक्सों को भी युक्तिसंगत बनाया गया। उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वसूली को सरल बनाया गया। इस सबके पीछे एक ही बजह थी- लोगों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे कराधान प्रणाली का पालन सही तरीके से करें और एक बड़ी आबादी कर के दायरे में शामिल हो। हालांकि जीडीपी के अनुपात में कर प्रणाली प्रगतिशील प्रतीत हो सकती है, आबादी के लिहाज से इसकी स्थिति है बहुत निराशाजनक है। देश की केवल 2 प्रतिशत आबादी टैक्स का भुगतान करती है। और वह भी शहरों तक सीमित है।

एक और सरकार अधिक से अधिक कर सुधार करते हुए लोगों को टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है और टैक्स वसूली बढ़ा रही है तो दूसरी ओर जीएसटी दरवाजे पर खड़ा हुआ है। जीएसटी यानि वस्तु और सेवाकर। जीएसटी में सभी टैक्सों को एक छत के नीचे लाया गया है जिससे मैन्यूफैक्चरर को एक ही देश में अलग-अलग टैक्सों के झमले से बचाया जा सके और वस्तुओं की आवाजाही आसान हो। आइए देखते हैं कि जीएसटी क्यों एक ऐतिहासिक कानून कहा जा सकता है। और संसद के दोनों सदनों में मंजूर होने से पहले इसे कितने मोड़ों और पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा।

जीएसटी उपभोक्ता को राजा बनाने की ताकत रखता है। यह संविधान का 122वां संशोधन है जिसे मई 2015 में लोकसभा में पारित किया गया। फिर राज्यसभा ने इसमें जो परिवर्तन किए, उसे लोकसभा ने दोबारा

जीएसटी मौजूदा सरकार के सहभागी संघवाद के विचार पर आधारित है जहां केंद्र और राज्य दोनों देश के लाभ के लिए काम करें और राज्यों को भी अपना उचित हिस्सा मिले। सरकार ने राजस्व के बंटवारे के फार्मूले में संशोधन किया है जिससे अधिक से अधिक राज्यों को इसके लिए तैयार किया जा सके और परस्पर सहभागिता से लाभ हासिल हो।

मंजूरी दी। अंत में राष्ट्रपति से इसे अनुमोदन भी मिल गया। सरकार ने 1 प्रतिशत अतिरिक्त कर को समाप्त करने सहित छह आधिकारिक संशोधन प्रस्तावित किए थे जिसे राज्यसभा ने अनुमोदित कर दिया।

जीएसटी एक ऐसा कानूनी उपाय साबित होने वाला है जिससे देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता कायम होगी और एक देश एक कर की अवधारणा सार्थक होगी। जीएसटी व्यवस्था के तहत कर की दर को न्यूनतम व्यावहारिक दर में रखा जाएगा ताकि कोई राज्य सरकार कर की उच्च दर से लोगों को तंग न कर सके। इस अंतिम दर का निर्धारण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाएगा। इस विधेयक को 29 में से कम से कम 16 राज्य विधानसभाओं ने संपुष्टि दे दी है और प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि इसका

अमल जल्द से जल्द होगा।

जीएसटी केंद्रीय और राज्य स्तरीय करों की ओवरलैपिंग को खत्म करके देश के लिए एकल आर्थिक क्षेत्र की रचना करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस विधेयक को वर्ष 1991 के बाद से भारत का सबसे बड़ा कर सुधार बताया है। विकासशील विश्व की सबसे गतिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की अब तक एक बड़ी समस्या थी। यहां हर राज्य की अपनी कराधान प्रणाली है जो सीमा पार से मुक्त व्यापार के आड़े आती है।

जीएसटी को व्यापक रूप से सफल प्रणाली बताया जा रहा है जिससे प्रशासन को समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि इससे एक अधिक एकीकृत अर्थव्यवस्था कायम होगी और कारोबारियों के लिए देशव्यापी कारोबार करना आसान होगा। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के दक्षिण एशियाई कार्यक्रम के सीनियर एसोसिएट मिलन वैष्णव कहते हैं, यह लंबे समय से अपेक्षित है और व्यापार करने के लिए आसान साबित होने वाला है। अब दुनिया को जाहिर हो जाएगा कि भारत 21 वीं सदी की तरफ अपनी अर्थव्यवस्था को खींचकर ला रहा है।

जीएसटी में 15 मौजूदा केंद्रीय और राज्य स्तरीय कर शामिल हैं और इससे भारत की आर्थिक वृद्धि 0.5 और दो प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी।

दरअसल कर सुधार का सिलसिला वर्ष 1991 से शुरू हुआ था, जब सरकार ने बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया था। तब राज्यों को अधिक करों के साथ-साथ अधिक शक्तियां भी प्रदान की गई थीं। बाद की सरकारों ने कर प्रणाली की कायापलट की जरूरत महसूस की और यह भी महसूस किया कि टैक्सों की ओवरलैपिंग से विकास प्रभावित होता है।

वैसे 2019 तक जीएसटी का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। यह गति धीमी है और जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन कहते हैं- जीएसटी से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। यह देश भर में एक समान टैक्स व्यवस्था है जिसे लागू करना काफी जटिल होगा।

वैसे दीर्घावधि में जीएसटी पूँजीगत वस्तुओं की लागत को कम करके विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी, मैन्यूफैक्चरिंग और निर्यात बढ़ाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

यूं जीएसटी का स्वागत यह कहकर किया जा रहा है कि यह भारत में सभी आर्थिक सुधारों का जनक है। व्यापार जगत के नेताओं और कॉरपोरेट इंडिया का दावा है कि इसका दैनिक जीवन पर गहरा असर होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी राज्यों में करों के आतंक को खत्म करेगा क्योंकि उद्योग जगत का कहना है कि केंद्र और राज्यों के विभिन्न करों के कारण कर अधिकारी वर्तमान में परेशान और पीड़ित होते हैं। उद्योग जगत के एक प्रवक्ता का कहना है कि हमारा बहुत सारा समय औपचारिकताओं को पूरा करने, करों का संग्रह करने, कर जमा कराने, फॉर्म जमा कराने में लग जाता है और हमारा बहुत सारा पैसा भी इस व्यवस्था में फंसा रह जाता है।

जीएसटी पर केंद्र और राज्यों के बीच सबसे चर्चित मुद्दा था- टैक्स की दरें। राज्य चाहते हैं कि राजस्व को बढ़ाने के लिए करों की दर उच्च हो और केंद्र चाहता है कि महंगाई को कम करने के लिए टैक्स की दरें कम रखी जाएं। भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति की दर इस दशक में सबसे कम है। हालांकि रोजगार वृद्धि नहीं हो रही और कॉरपोरेट सेक्टर धन की कमी से जूझ रहा है जिससे मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में खामोशी है लेकिन आईटी और आईटी से संबंधित सेवाओं सहित सेवा क्षेत्र में विकास की गति सबसे तेज है। यह क्षेत्र विदेशी मुद्रा आकर्षित कर रहा है जिसका मूल्य इस समय 370 अरब डॉलर है।

पर जीएसटी कर सुधारों का अंत नहीं है। अभी हमें प्रत्यक्ष कर सहिता (डीटीसी) जैसे बड़े कानून भी बनाने हैं जिससे प्रत्यक्ष कर का ढांचा सहज हो और एक बड़ी आबादी लाभांवित हो। वित्त मंत्रालय ने 2016-17 के बजट में संकेत दिया था कि प्रत्यक्ष कर सहिता को समाप्त किया जाएगा लेकिन संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि कर सुधारों के लिए डीटीसी के प्रावधानों को लागू करना ही होगा।

इससे आर्थिक रूप से कुशल, प्रभावी और न्यायसंगत प्रत्यक्ष कर प्रणाली अस्तित्व में आएगी, करों का स्वैच्छिक अनुपालन सुविधाजनक होगा और टैक्स-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसका एक अन्य उद्देश्य यह है कि विवादों की गुंजाइश और मुकदमेबाजी को कम किया जाए। यह कर व्यवस्था में स्थिरता लाएगी क्योंकि यह कराधान के स्वीकृत सिद्धांतों और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर आधारित है। इससे एक एकीकृत करदाता रिपोर्टिंग प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा।

प्रत्यक्ष कर सहिता की मुख्य विशेषताएं

मौजूदा अधिनियम में 298 धाराएँ हैं और 14 अनुसूचियां जबकि प्रस्तावित विधेयक में 310 धाराएँ और 22 अनुसूचियां हैं। एक बार लागू होने के बाद डीटीसी पुराने (और अब अनुपयोगी) आयकर अधिनियम का स्थान ले लेगा। हालांकि आयकर अधिनियम के कई प्रावधान डीटीसी का हिस्सा बने रहेंगे, म्यूचुअल फंड/यूलिप को 80 सी से हटा दिया जाएगा, इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड या यूलिप से होने वाली आय पर 5 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगेगा, फ्रिंज

डीटीसी से क्या तात्पर्य है? सरकार द्वारा परिकल्पित यह सहिता 1961 के भारतीय आयकर अधिनियम की जगह लेगी और प्रत्यक्ष करों, जैसे आयकर, लाभांश वितरण कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और संपत्ति कर आदि से संबंधी सभी कानूनों में संशोधन किया जाएगा।

बेनिफिट टैक्स नियोक्ता के बजाय कर्मचारी से लिया जाएगा। कुल आय के 5 प्रतिशत तक का राजनीतिक योगदान कटौती के लिए पात्र होगा।

डीटीसी में प्रत्यक्ष करों के लिए एक ही संहिता

सभी प्रत्यक्ष करों को एकल संहिता में लाया जाएगा और उनके अनुपालन का तरीका भी एक ही होगा जिससे एकीकृत करदाता रिपोर्टिंग प्रणाली का रास्ता साफ होगा। डीटीसी में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जिससे लोग स्वैच्छिक कर अनुपालन करें और कर कानूनों में स्पष्टता आए। जहां भी संभव हो, मुकदमेबाजी की गुंजाइश कम हो, अस्पष्टता और परस्पर विरोधी व्याख्याओं से बचा जा सके। कानून को इस प्रकार तैयार किया जाए कि बार-बार संशोधन न करने पड़ें और विकसित होती अर्थव्यवस्था

की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को समायोजित किया जा सके।

हमारे देश में अधिकतर करदाता छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं, तो कर कानून वह माना जाता है जो फॉर्म में दिखाई देता है। डीटीसी एक ऐसी स्थिरता प्रदान करना चाहता है जहां करों की सभी प्रस्तावित दरें सहिता की पहली से चौथी अनुसूची में स्पष्ट की गई हों जिससे एक वार्षिक वित्त विधेयक की आवश्यकता समाप्त हो जाए। आगे दरों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो तो संसद के समक्ष संशोधन विधेयक के रूप में केवल अनुसूची में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।

चूंकि डीटीसी पर बहुत विचार-विमर्श किया गया है, इस पर काम किया ही जाएगा। इसके नियम बदल सकते हैं, इसे दूसरा कोई नाम दिया जा सकता है लेकिन कर दाता के लाभ के लिए इसके अधिकतर प्रावधानों को बरकरार ही रखा जाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर के पास कर सुधारों का पूरा गुलदस्ता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का उन्मूलन, पूर्व की तिथि से प्रभावी कर (टैक्स की बकाया राशि को हासिल करने से संबंधित वोडाफोन का मामला) के जिन को दफन करना, टैक्स हॉलिडे को कम करके सेज (एसईजेड) में निवेश करना और बाई बैक शेयरों के लिए पूंजीगत लाभ को बहाल करना।

कुल मिलाकर, जीएसटी देश में कर सुधार की दिशा में एक बड़ी छलांग है जिससे अर्थव्यवस्था में मैन्यूफैक्चरिंग कर अनुपालन की विश्वास बढ़ेगा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जीडीपी की वृद्धि के लिए साल 2016-17 में बड़े पैमाने पर कर सुधार किए जाएंगे। सरकार को डीटीसी या कॉर्पोरेट जगत के प्रस्तावों को अमल में लाने में समय लग सकता है लेकिन यकीनन व्यक्तिगत करदाताओं और कारोबारियों के लिए कर कानूनों को सरल बनाने की तरफ उसका ध्यान केंद्रित होगा जिससे देश की बड़ी आबादी कर दायरे में लाई जा सके। साथ ही लोग कर अनुपालन की तरफ सचेत हों और इसे अपना सामाजिक दायित्व समझें। □

संदर्भ

मीडिया रिपोर्ट्स: न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, बिजनेस स्टैंडर्ड और विकीपीडिया।

IAS 2017 ICS IAS 2017

www.icsias.com

सामान्य अध्ययन

अशोक सर के नेतृत्व में भारत के सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक एक साथ एक मंच पर



श्री अशोक सिंह

- अतिविशिष्ट और ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञों की टीम
- अध्यापन की वैज्ञानिक पद्धति
- नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री

GS ESSENTIAL COURSE 2017

Hindi Medium Batch

Special offer for 1st 200 Students..!!

10

Nov.

से प्रारंभ

UPSC PT-2016 में ICS Test Series से 35 प्रश्न आएँ हैं..!!

ICS Join करके अपनी तैयारी को मजबूत आधार दें।

General Studies

Optional Subjects

Prelims Test Series

Mains Test Series

CSAT

Essay

अशोक सर के मार्गदर्शन में विगत 34 वर्षों से सिविल सेवा में 2400 से अधिक छात्रों का चयन...

H. Office:625, 1st floor, main road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Ph.: 011-45094922, 9821969801, 8750908822

भारतीय कर प्रणाली: प्रगतिशीलता की ओर

मालिनी चक्रवर्ती



हम सभी अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में सरकार को कर का भुगतान करते ही हैं। हम जो कर देते हैं, वह सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए वित्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार के समक्ष अनेक जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें वह पूरा करती है। इनमें कानून का शासन सुनिश्चित करना, सार्वजनिक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना, भौतिक एवं सामाजिक ढांचा तैयार करना, शिक्षा में निवेश करना, गरीबी उन्मूलन आदि शामिल हैं। स्पष्ट तौर पर, सरकार को अपने वायदे पूरे करने के लिए अत्यधिक मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।

सरकार अपनी विभिन्न गतिविधियों को मूर्त रूप देने के लिए कर, उपभोग शुल्क/सेवा प्रभार एवं ऋण के जरिये धन जुटाती है। धन प्राप्ति का वैसा स्रोत, जो न तो देनदारी उत्पन्न करता है, न ही परिसम्पत्तियों में सेंध लगाता है, उसे राजस्व प्राप्तियां कहा जाता है, लेकिन धन प्राप्ति का वैसा स्रोत जो देयता बढ़ाता है (जैसे-उधारी) अथवा जिससे परिसम्पत्तियां कम होती हैं उसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है (यथा-विनिवेश)। इस प्रकार, कर एवं उपभोक्ता शुल्क/सेवा प्रभार सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति के कुछ उदाहरण हैं, जबकि उधारी पूंजीगत प्राप्ति का उदाहरण।

कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व

सरकार की राजस्व प्राप्तियों को फिर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है— कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व।

कर राजस्व: कानून के दायरे में रहकर किये गये भुगतानों के माध्यम से सरकार को प्राप्त राशि इस श्रेणी में आती है।

कर भिन्न राजस्व: कर से इतर अन्य माध्यमों, यथा— शुल्क/उपभोक्ता प्रभार, लाभांश एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के लाभ, ब्याज प्राप्ति और जुर्माना आदि से प्राप्त होने वाला राजस्व कर भिन्न राजस्व कहलाता है। दुनिया के अधिकतर देशों में सरकारी राजस्व में कर राजस्व की हिस्सेदारी अत्यधिक होती है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

करों को व्यापक तौर पर दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष एवं

अप्रत्यक्ष कर।

प्रत्यक्ष कर: ऐसा कर जिसकी देनदारी सीधे तौर पर किसी कंपनी, समूह या व्यक्ति के ऊपर होती है, उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में वैसी एंटीटी जो सरकार को कुछ खास प्रकार के कर का भुगतान सीधे तौर पर करती है और जिस कर को परोक्ष रूप से भी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर आय, सम्पत्तियों और सम्पदा पर लगाये जाते हैं।

अप्रत्यक्ष कर: ऐसा कर जिसका बोझ वस्तु एवं सेवाओं के कारोबारी लेनदेन के जरिये दूसरे व्यक्ति के कंधे पर खिसका जा सकता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर एवं मूल्यवर्धित कर (वैट) आदि अप्रत्यक्ष करों में शामिल हैं।

ऐसे अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर हैं, जो विभिन्न प्रकार की आयों, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा बिक्री और सीमा पार वस्तुओं के आवागमन पर लगाये जाते हैं। भारत में मौजूद विभिन्न प्रकार के करों को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी अधिकारों का बंटवारा

भारतीय संविधान में शासन के विभिन्न स्तरों पर कर संबंधी अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार सरकार में टैक्स और शुल्क लगाने के अधिकारों को तीन स्तर पर बांटा गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय।

- निगमों और निजी आय (कृषि आय को

तालिका 1: विभिन्न प्रकार के कर

प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
<ul style="list-style-type: none"> निगम कर: यह कर देश में पंजीकृत कंपनियों की आय पर लगाया जाता है, भले ही वे राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय या विदेशी कंपनियां क्यों न हों? भारत में राष्ट्रीय कंपनियों की कुल आय पर ही कर लगाया जाता है। इसमें आय के स्रोत और मूल को ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि विदेशी कंपनियों की भारत में परिचालन से होने वाली आय पर ही टैक्स लगाया जाता है। आय कर: आयकर कानून 1961 के तहत कंपनियों से इतर निजी व्यक्ति और फर्म आदि की आय पर यह कर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों के तहत प्रतिभूति विनियम कर जैसे अन्य कर शामिल होते हैं, जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों और म्यूचुअल फंड के विनियम पर लगाये जाते हैं। पूँजीगत लाभ कर: पूँजीगत परिसम्पत्ति (भौतिक और वित्तीय), जैसे करदाता की किसी सम्पत्ति, आभूषण एवं गहने, कारोबारी शेयर, म्यूचुअल फंड आदि, पूँजीगत लाभ के रूप में कर योग्य हैं। बिक्री मूल्य और खरीद मूल्य के अंतर को पूँजीगत लाभ या कुल लाभ कहा जाता है, जो कर-योग्य होता है। कर उस साल देना होता है, जिस साल पूँजीगत परिसम्पत्तियों की बिक्री होती है। वेल्थ टैक्स : वेल्थ टैक्स कानून 1957 के तहत कुछ खास व्यक्तियों अथवा कंपनियों की विशेष सम्पत्तियों पर यह कर लगाया जाता है। वेल्थ टैक्स उत्पादक पूँजी पर नहीं लगता। इसलिए शेयरों, डिबंचर, यूटीआई म्यूचुअल फंड आदि में निवेश वेल्थ टैक्स के दायरे में नहीं आता है। हालांकि वेल्थ टैक्स को 2015-16 में समाप्त कर दिया गया है और इसके बदले धनासेठों (सुपर रिच) के लिए अतिरिक्त प्रभार लगाया गया है। सम्पत्ति कर: भारतीय आयकर कानून के तहत सम्पत्तियों से हुई आय को आय का एक हिस्सा माना जाता है। इसलिए, सम्पत्ति से हुई आय पर भी कर लगाया जाता है। आमतौर पर इसमें मकान, फ्लैट, दुकान और जमीन आदि शामिल होते हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> उत्पाद शुल्क: यह ऐसा कर है, जो देश में उत्पादित वैसी वस्तुओं पर लगता है जिसे घरेलू इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। बिक्री कर: यह कर आमतौर पर कर योग्य वस्तुओं की खरीद अथवा विनियम पर लगाया जाता है। इसमें उत्पाद की कुल कीमत के अनुसार कुछ प्रतिशत का कर देना पड़ता है। मूल्यवर्धित कर (वैट): यह सप्लाई चेन के प्रत्येक चरण में लगने वाला कर है। इसे वस्तु की सम्पूर्ण बिक्री पर नहीं लगाया जाता है। वैट में करदाताओं को सप्लाई चेन के शुरुआती दौर में ही भुगतान किये गये कर पर छूट दी जाती है। सेवा कर: यह कर कंपनी द्वारा दी गयी सेवाओं पर लगाया जाता है और कर भुगतान की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता पर होती है। सीमा शुल्क: यह देश में आयातित एवं देश से बाहर निर्यातित वस्तुओं पर लगने वाला एक प्रकार का कर है।

छोड़कर) पर कर लगाने का अधिकार ज्यादातर केंद्र सरकार के जिम्मे है।

- अप्रत्यक्ष कर के मामले में केंद्र सरकार के पास उत्पादन अथवा निर्माण पर उत्पाद शुल्क और विभिन्न सेवाओं पर सेवा शुल्क लगाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारों को वस्तुओं पर बिक्री कर तथा कुछ और कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कुछ करों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री एवं सेवा शुल्क शामिल हैं।
- राज्य सरकारों को बिक्री कर, स्टाम्प इयूटी (सम्पत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला शुल्क), राज्य आबकारी शुल्क (अल्कोहल निर्माण शुल्क), भू-राजस्व (कृषि और गैर-कृषि भूमि के इस्तेमाल पर लगने वाला कर), मनोरंजन कर एवं पेशा कर वसूलने का अधिकार होता है। राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले बिक्री

कर का स्थान 2005 से मूल्यवर्धित कर यानि वैट ने ले लिया है।

- स्थानीय निकायों को सम्पत्तियों (भवन आदि) पर कर, उसके इलाके में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर प्रवेश कर

बीते वर्षों में कर सुधारों, खासकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, की दिशा में सरकार द्वारा कई पहल की गयी हैं, ताकि भारत को अधिक से अधिक कर-अनुकूल बने तथा देश की कर प्रणाली की जटिलता खत्म की जाये। फिलहाल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में एक महत्वपूर्ण कर सुधार किया जा रहा है।

(चुंगी), बाजारों पर कर तथा जलापूर्ति, नाले आदि के इस्तेमाल पर सेवा शुल्क वसूलने का अधिकार दिया गया है।

केंद्रीय कर प्रणाली के तहत वसूले गये राजस्व का वितरण

विभिन्न कारणों से केंद्र और राज्यों के कर अधिकारों एवं व्यय जिम्मेदारियों के बीच असंतुलन पैदा होता है। इस पर पार पाने के लिए प्रत्येक पांच साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की अनुशंसा करता है। इसमें से महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्रीय कर प्रणाली से संग्रहीत राजस्व का होता है। वर्तमान समय में, सभी केंद्रीय करों से जमा राजस्व (उपकर, प्रभार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के करों तथा केंद्रीय कर वसूली में आई लागत के बराबर राशि को छोड़कर) को साझे और वितरण योग्य केंद्रीय कर राजस्व के रूप में रखा जाता है। एक अप्रैल 2015 से अस्तित्व में आये 14वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य केंद्रीय कर राजस्व का 42 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को प्रति वर्ष देने की सिफारिश की

तालिका 2: भारत का टैक्स-जीडीपी अनुपात (केंद्र एवं राज्यों का संयुक्त) (प्रतिशत में)

वर्ष	कुल कर-जीडीपी अनुपात	प्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात	अप्रत्यक्ष कर-जीडीपी अनुपात
2001-02	13.39	3.11	10.28
2002-03	14.08	3.45	10.63
2003-04	14.59	3.86	10.73
2004-05	15.25	4.23	11.02
2005-06	15.91	4.54	11.37
2006-07	17.15	5.39	11.77
2007-08	17.45	6.39	11.06
2008-09	16.26	5.83	10.43
2009-10	15.5	5.8	9.6
2010-11	16.3	5.8	10.50
2011-12	16.3	5.6	10.7
2012-13	16.9	5.6	11.3
2013-14 (आरई)	17.1	5.7	11.4
2014-15 (बीई)	17.4	5.8	11.6

नोट: आरई- संशोधित आकलन, बीई- बजट आकलन

स्रोत: इंडियन पब्लिक फाइनेंस स्टैटिस्टिक्स 2014-15,
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

है, जबकि शेष राशि केंद्रीय बजट के लिए रखी जाती है।

भारत में टैक्स-जीडीपी अनुपात एवं करों की प्रगतिशीलता

देश का टैक्स-जीडीपी अनुपात एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो यह बताने में मदद करता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में कितना कर राजस्व इकट्ठा किया है। टैक्स-जीडीपी का अनुपात यदि ऊंचा होगा तो इससे सरकार को बगैर उधारी अपने बजट में अधिक खर्च को शामिल करने का मौका मिलेगा। हालांकि कई वर्षों की उच्च विकास दर के बावजूद भारत का टैक्स-जीडीपी अनुपात कम रहा है। यह अनुपात ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक कम है। इसलिए इसे आनुपातिक को रूप से बढ़ाने की त्वरित आवश्यकता है।

भारत के कर ढांचे का दूसरा पहलू यह भी है कि इसमें प्रगतिशीलता नहीं है। यह कर ढांचा उपभोग अथवा आय की दृष्टि से आनुपातिक तौर पर उच्च आय समूहों की तुलना में निम्न आय समूहों पर अधिक बोझ डालता है और इस प्रकार इसे

प्रतिगामी (स्थिर) कर ढांचा कहा जाता है। अप्रत्यक्ष करों को इसीलिए सामान्य तौर पर प्रतिगामी माना जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु के इस्तेमाल के लिए अमीर और गरीब दोनों को ही समान टैक्स चुकाना पड़ता है। दूसरी ओर प्रत्यक्ष करों को प्रगतिशील समझा जाता है, क्योंकि ये करदाता की भुगतान की क्षमता से जुड़ा होता है और यदि करदाता की कर-योग्य आय बढ़ती है तो टैक्स की औसत दर भी बढ़ती है। भारत में केंद्र एवं राज्यों द्वारा इकट्ठा किये गये कुल करों में अप्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी 60 फीसदी से अधिक है जिससे यह संदेश जाता है कि यहां का कर ढांचा पूरी तरह प्रतिगामी है।

कर सुधार

बीते वर्षों में कर सुधारों, खासकर अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, की दिशा में सरकार द्वारा कई पहल की गयी हैं, ताकि भारत को अधिक से अधिक कर-अनुकूल बने तथा देश की कर प्रणाली की जटिलता खत्म की जाये। फिलहाल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में एक

महत्वपूर्ण कर सुधार किया जा रहा है। यद्यपि सभी राज्यों में 2005 तक बिक्री कर के बदले वैट लागू कर दिया गया था, इसके बावजूद वैट के अलावा अनेक अप्रत्यक्ष कर लगाये जा रहे हैं। इससे करों के प्रपाती प्रभाव सामने आते हैं, जहां एक वस्तु पर उसके उत्पादन से खुदरा बिक्री तक कई बार कर लग जाता है। इसके परिणामस्वरूप उत्पादों पर करों का घटक बढ़ जाता है और उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा लगाये गये अनेक प्रकार के टैक्स के कारण कर चोरी की संभावना प्रबल हो जाती है।

जीएसटी से मौजूदा अप्रत्यक्ष करों के जटिल जाल से मुक्ति मिलेगी और एकल अप्रत्यक्ष कर उसका स्थान लेगा। यह वैट के समान ही है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि इसके लागू होने से करों के प्रपाती प्रभावों से निजात मिलेगी। इसे पेट्रोलियम, तम्बाकू, अल्कोहल आदि को छोड़कर लगभग ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाएगा। जीएसटी एकल कर है, जिसके दो घटक होंगे- केंद्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी। ए. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली समिति के अनुसार कर की दरें- (1) ज्यादातर वस्तुओं एवं सेवाओं पर मानक दर लगेगी (2) महत्वपूर्ण वस्तुओं और आवश्यक सामग्रियों पर कम दर लगेगी और (3) गैर-महत्वपूर्ण जैसे विलासिता वस्तुओं के लिए कर की उच्च दर रहेगी। जीएसटी लागू होने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच कर-संबंधी अधिकारों का व्यापक दायरा विशेष तौर पर कम हो जाएगा, क्योंकि केंद्र एवं राज्य सरकारों वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं बिक्री पर अप्रत्यक्ष कर लगा सकती हैं।

ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि जीएसटी लागू होने से कर प्रणाली को आसान एवं तर्कसंगत बनाने और इसके अनुपालन में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार प्रत्यक्ष कर बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाये, ताकि भारत के कर ढांचे की प्रगतिशीलता बढ़ाने में मदद मिल सके। □

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान...

IAS

PCS

GS
World

Committed to Excellence

ISO 9001 : 2008 Certified

Distance Learning Programme

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

30
Booklets
₹ 12,500/-

Niraj Singh
(Managing Director)

Divyasen Singh
(Co-ordinator)

सामान्य अध्ययन

IAS-2017

16

NOVEMBER
11:30 AM

दिल्ली केन्द्र

Foundation
Batch

NOVEMBER
6:30 PM

28

इलाहाबाद केन्द्र

Complete Preparation for IAS/PCS

GS Integrated Batch

10 NOVEMBER
8:00 AM

वैकल्पिक विषय
इतिहास, भूगोल, हिन्दी
रक्षा अध्ययन, समाज कार्य

लखनऊ केन्द्र

सामान्य अध्ययन
Gateway Batch/ Mains Batch

21 NOVEMBER
8:00 AM/ 5:00 PM

वैकल्पिक विषय
इतिहास, भूगोल, हिन्दी
रक्षा अध्ययन, समाज कार्य



RAS

फाउंडेशन बैच

कक्षा जारी
5:00 PM

DELHI CENTRE

705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 011-27658013, 7042772062/63

ALLAHABAD CENTRE

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE

A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE

Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr.
Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. :7340020323, 7340020324

<http://www.gsworldias.com>

<http://facebook.com/gsworld1>

WhatsApp No.
9654349902

टैक्स सुधार के नए युग की शुरुआत

देवेन्द्र सिंह मलिक



जीएसटी कानून की प्रतीक्षा सभी घरेलू और विदेशी निवेशक, साथ ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों को भी इस कानून से व्यापार करने की सुविधा और सुलभता का विकास होगा, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाली टैरिफ में भी कटौती होगी। सरकार को विश्वास है कि इस से देश की रैंकिंग व्यापार की सुगमता वाले रिपोर्ट में सुधरेगी, जहां वर्तमान में 189 देशों में भारत का स्थान 130वां है। प्रधानमंत्री को आशा है कि भारत टॉप 50 देशों में आ खड़ा हो

लेखक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन पत्र सूचना कार्यालय में अपर महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) हैं। ईमेल: dprfinance@gmail.com

व

तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के आरम्भ से ही कालाधन की समस्या को नियंत्रित करने में प्रतिबद्धता दिखाई है। मई 2014 में सत्ता में आते ही सरकार का सबसे पहला फैसला एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम (एस.आई.टी.) बनाने के रूप में सामने आया। माननीय न्यायाधीश श्री एम.बी. शाह को इस एस.आई.टी. का अध्यक्ष और और पूर्व न्यायाधीश अरिजीत पसायत को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस एस.आई.टी. के गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में माननीय उच्च न्यायालय के उस निर्णय को सम्मान से लागू करने के लिए की थी, जिसमें गैर-कानूनी तरीके से कर की चोरी करके विदेशों में बड़ी धन राशि जमा करने के खिलाफ करवाई करने को कहा गया था।

अपने गठन के उपरांत एस.आई.टी. ने विभिन्न रिपोर्ट सौंपी जिनमें कालाधन पर नियंत्रण और उसकी खोज करने के उपाय सुझाये गए थे। एसआईटी के बहुत से सुझाव, जैसे, कैश कारोबार करने पर पैन संख्या के उल्लेख की अनिवार्य शर्त, सरकार द्वारा माने जा चुके हैं।

घरेलू बाजार से कालाधन की धर-पकड़ करने के लिए सरकार ने एक और सफल कदम के रूप में इनकम डिक्लोरेशन योजना (आईडीएस-2016) को लागू किया है। यह योजना घरेलू कालाधन की समस्या के निवारण के लिए भारत सरकार की सबसे नयी पहल है। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 2016 के बजट भाषण में की। अतः सरकार ने इस योजना को पहली जून 2016 को ओपचारिक रूप से शुरू कर दिया

और इसे चार महीने बाद यानि 30 सितम्बर, 2016 तक जारी रखा गया। इस योजना ने ऐसे लोगों को अपनी छुपाई हुई घरेलू आय की घोषणा करने का एक मौका प्रदान किया जिन्होंने अतीत में कर का सही भुगतान नहीं किया था। यह घोषणा ऑनलाइन सहित या लिखित तरीके से 30 सितम्बर, 2016 की मध्यरात्रि तक की जा सकती थी।

आईडीएस 2016 के अंतर्गत 30 सितम्बर, 2016 की मध्यरात्रि तक 64,275 घोषणा-पत्र दाखिल किये गए, जिनमें इसके पहले छुपाये जा रहे 62,250 करोड़ रुपये नकदी और दूसरे रूपों में, सामने लाये गए। देश भर में जमा की लिखित रूप से की गयी घोषणाओं की गणना पूरी हो जाने के बाद यह राशि अधिक बढ़ने का अनुमान है। यह योजना कर विशेषज्ञों के अनुमान से अधिक सफल रही। आईडीएस 2016 के अंतर्गत घोषणाकर्ता को घोषित आय के ऊपर 45 प्रतिशत कर के साथ 15 प्रतिशत जुर्माना भरना था।

इसके पहले सरकार ने विदेशों में जमा कालाधन को खोज निकलने के लिए अधोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति एवं कर अधिरोपण कानून, 2015, को लागू किया था। इस कानून में सम्पत्ति की घोषणा कर उचित कर और जुर्माना भरने के लिए कहा गया था, जिसका एक बार में अनुपालन होना था। काला धन (अधोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एवं कर अधिरोपण कानून, 1 जुलाई, 2015 से लागू हो गया।

कुल मिलकर काला धन (अधोषित विदेशी आय तथा परिसंपत्ति) एवं करारोपण कानून, 2015 के तहत 644 घोषणाएं की गयीं। इन 644

घोषणाओं में 4,164 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। घोषणाकर्ताओं को 30 प्रतिशत के दर से कर भुगतान और साथ ही घोषित की गयी संपत्ति पर जुर्माने के तौर पर 30 प्रतिशत की राशि 31 दिसम्बर, 2015 तक जमा करवानी थी। इस तिथि तक कर और जुर्माने को जोड़कर 2,428.4 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। सरकार ने कालाधन को नियंत्रित करने के लिए कर चोरी को पीएमएल के तहत एक निर्दिष्ट अपराध बनाया है; फेमा में संशोधन करके विदेशी संपत्ति की जगह घरेलू संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया है और कालाधन कानून के अलावा बेनामी कानून को भी पारित किया है।

उपरोक्त के अलावा, कर चोरी पर सूचनाओं के आदान-प्रदान करने लिए कई अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एफएटीसीए, मॉरीशस अनुबंध का संशोधन, बेस्ट इरोजेन एंड प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) व प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट (पीओईएस) आदि के तहत कट्री बाई कंट्री आधार पर स्विट्जरलैंड समेत सभी प्रमुख देशों के साथ स्वतः सूचना विनियम संधियों पर हस्ताक्षर की पहल आदि शामिल हैं।

एचएसबीसी से जुड़े मामलों में 8000 करोड़ रुपये के अनुमान के अलावा 175 मामलों में 164 मुकदमे दर्ज किया गए हैं। आईसीआईजे से जुड़े मामलों के अंतर्गत अब तक छुपाये गए 5000 करोड़ का पता चला है, जिनमें 55 मुकदमे दर्ज किये गए हैं। पनामा मामले में बड़ी जांच के बाद दूसरे देशों से लगभग 250 मामलों में कर चोरी और बैंक खातों की जानकारी मांगी जा रही है। इस प्रकार की जांच में अप्रत्याशित तेजी आने के बाद 1986 करोड़ रुपये और 56,378 करोड़ रुपये की अध्येष्ठित राशि पिछले ढाई वर्षों में जब्त हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी में हुए विकास के कारण कर चोरी रोकने की दिशा में अतिक्रमण रहित तरीके सामने आये हैं। इन्हीं में एक, के माध्यम से 16,000 करोड़ रुपये कर के रूप में प्राप्त हुए हैं। पिछले ढाई वर्षों में 3626 मामले सामने आये हैं, जो उसके पिछले दो वर्षों से दुगने हैं।

प्रत्यक्ष करों के मामले में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में पूर्वप्रभावी कर

के कानूनों में बदलाव, आयकर विभाग द्वारा अपील फाइल करने की सीमा में बढ़ोत्तरी, और कर कानूनों को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाना हैं ताकि अधिक लोग कर प्रावधानों का अनुपालन कर सकें। इन सारे प्रयासों का मकसद कर आधार को बढ़ावा देना है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाये जिन्हें इस व्यवस्था के भीतर कर चुकाना चाहिए, और समय पर न चुकाए जाने पर उन्हें मुकदमेबाजी में उलझाया जाये। यह कदम सरकार के आय संग्रह में बढ़ोत्तरी के साथ ही कर दरों

कर कानूनों को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाना हैं ताकि अधिक लोग कर प्रावधानों का अनुपालन कर सकें। इन सारे प्रयासों का मकसद कर बेस का बढ़ावा है ताकि इसमें अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाये जिन्हें इस व्यवस्था के भीतर कर चुकाना चाहिए, और समय पर न चुकाए जाने पर उन्हें मुकदमेबाजी में उलझाया जाये।

को सुलभ स्तर पर लेन में सहायक होगी। सरकार की कोशिश है कि कर सम्बन्धी अधिकतम सुविधाएं ऑनलाइन की जाये, ताकि मानवीय अन्तः क्रिया न्यूनतम रहे, यानि, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। इस कदम से भ्रष्टाचार में कमी के साथ ही, कर व्यवस्था और भी कारगर और पारदर्शी बनेगी। इसको ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग यह भी सुनिश्चित कर रही है कि कर भुगतान करने वाले को उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिकतम संपर्क इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही किया जाये। न केवल कॉर्पोरेट बल्कि व्यक्ति विशेष को भी एक सुलभ और न्याय संगत कर प्रक्रिया प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने भी प्रगति की कई बैठकों में कर अधिकारियों से कर सम्बन्धी समस्याओं का शीघ्र निवारण करने को कहा है।

इसी प्रकार, कंपनियों के साथ पहले से विवादित कर मसलों को सुलझाने के लिए केन्द्रीय बजट 2016-2017 ने कर विवादों के एक बार में निष्पादन करने को योजना बनायी है। वर्तमान कानूनों को जान बूझ कर विलंब

करने वाला बताकर और एक सुलभ कर व्यवस्था के विपरीत मानकर, बजट में वित्त मंत्री ने विवाद समाधान योजना (डीआरएस) की घोषणा की है।

वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि “कोई कर दाता जिसका मामला आज तक कमिशनर (अपील्स) के पास लंबित पड़ा हुआ है, अपने मामले का निबटारा निर्धारण तिथि तक के विवादित कर और सुध की भरपाई करके करवा सकता है।” इस योजना में, जो अभी चल रही है, दस लाख रुपये तक के विवादित कर पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लगेगा। दस लाख से अधिक के विवादित कर मामलों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, 25 प्रतिशत जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लगाये हुए जुर्माने से सम्बंधित किसी फैसला पर लंबित करवाई को निबटारा लगे हुए जुर्माने का न्यूनतम 25 प्रतिशत चुकाकर किया जा सकता है।

घरेलू और विदेशी निवेशक भी सरकार के इन प्रयासों में जहां कर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और नीतियों में परिवर्तन पर संवाद से मामलों को सुलझाने की प्रक्रिया से लाभान्वित हो रहे हैं। इस सन्दर्भ में मॉरीशस के साथ कर व्यवस्था में रही गड़बड़ी में किये जा रहे सुधार उल्लेखनीय हैं। भारत और मॉरीशस ने इस साल मई में दोहरा कराधान परिवार संधि समझौते को संशोधित किया है, जिसके कारण भारत अब 1 अप्रैल, 2017 के बाद से एक भारतीय कंपनी के शेयरों की बिक्री से कैपिटल गेन्स कर लगा पायेगा। इस उद्घोषणा के ठीक बाद वित्त मंत्रालय ने फौरन विदेशी संस्थागत निवेशकों और घरेलू कंपनियों से मिलकर उनकी दुविधाएं दूर कर दी।

इसके उपरांत और भी दूसरे देशों, जैसे सिंगापुर के साथ ऐसे कर समस्याओं की निवारण के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की गयी है। और अगले साल अप्रैल तक का समय निवेशकों को सुलभता से नए कर परिस्थितियों में ढलने का अवसर प्रदान करेगा। कर सुधारों का एक और क्षेत्र कॉर्पोरेट कर है। भारतीय कंपनियां भी यूनियन बजट 2017-2018 की ओर देख रही हैं, जब वित्त मंत्री कॉर्पोरेट करों को और कम करने का मानचित्र प्रस्तुत करेंगे।

2015-16 के बजट में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कॉर्पोरेट करों को वर्तमान के

30 प्रतिशत से घटाकर चार वर्षों की अवधि में 25 प्रतिशत करने की बात कहीं है। यह परिवर्तन दरों के मामले में अन्य एशियाई देशों जैसा होगा, जिससे एक निवेश गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता बढ़ेगी। यह कदम कंपनियों को मिलने वाले प्रोत्साहन सहायता को हटाने के बाद दी जाएगी।

यह वर्तमान सरकार की कड़ी मेहनत का फल है जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद करके संसद के मानसून सत्र में, अगस्त के पहले सप्ताह में 122वां संविधान संशोधन बिल पास करवाया गया। यह संशोधन बिल संसद में पिछले 10 वर्षों से किन्हीं न किन्हीं कारणों से लंबित था।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों में कर सुधार का मसला है, ऐतिहासिक जीएसटी का आना एक चुनौती है जिसे अब अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है। सरकार ने इस कानून को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने का निश्चय किया है। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण ने जीएसटी को एक सुधार प्रक्रिया के रूप में आधुनिक वैश्विक कर इतिहास में अतुलनीय बताया है। वस्तुतः यह वर्तमान सरकार की कड़ी मेहनत का फल है जिसमें हर राजनीतिक पार्टी के साथ संवाद करके संसद के मानसून सत्र में, अगस्त के पहले सप्ताह में 122वां संविधान संशोधन बिल पास करवाया गया। यह संशोधन बिल संसद में पिछले 10 वर्षों से किन्हीं न किन्हीं कारणों से लंबित था।

जीएसटी जैसे इतिहास में अभी तक का सबसे महत्वाकांशी और महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार माना जा रहा है, न ही केंद्रीय स्तर के सभी कर जैसे, केंद्रीय एक्साइज डिप्टी, सेवा कर, इत्यादि को एक साथ समिलित करेगा, बल्कि वहां राज्यों के स्तर पर वैल्यू एडेड कर, ऑक्ट्रॉय, प्रवेश कर और मनोरंजन कर, आदि को भी। ये पिछले 13 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण आज यहां पहुंचा है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं, जिसमें सदस्यों के तौर पर विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं, ने 22 नवंबर, 2016 की तिथि कर निर्धारण प्रविधियां बनाने के लिए निश्चित की है, इसमें मॉडल विधेयक और

कर दर का भी निर्णय समिलित है।

22, 23, और 30 सितंबर की अपनी पिछली बैठकों में जीएसटी काउंसिल ने विभिन्न कारोबारों जिन पर जीएसटी लगाया जायेगा उनके संबंध में सीमा का निर्धारण कर लिया है, ड्राफ्ट कारोबार नियम, क्षेत्र-सम्बन्धी छूट, तथा लघु व्यापार पर नियंत्रण जैसे नियामक भी तय कर लिए गए हैं। उत्तर-पूर्व के राज्यों में 10 लाख टर्नओवर वाले, और अन्य राज्यों में 20 लाख टर्नओवर वाले बिजनेस को कर से बाहर रखा जायेगा। प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में, 1.5 करोड़ टर्नओवर वाले उत्पादक व्यापार पर राज्य का अकेला नियंत्रण होगा। उससे ऊपर के व्यापार पर दोनों, या केवल राज्य या केंद्र के नियंत्रण का मिला जुला रूप होगा जिसका निर्धारण रिस्क मूल्यांकन के बाद किया जायेगा।

हालांकि कुछ विश्लेषकों ने अप्रैल माह तक जीएसटी को लागू कर पाने की सम्भावना पर चिंता प्रकट की है। इसमें से एक चिंता यह है की कुछ वस्तु जैसे, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद, या बिजली, जो कर रहित होते हैं उन्हें कर के भीतर नहीं लाया जायेगा। राज्य और केंद्र उन पर कर लगाते रहेंगे।

एक व्यवहार मूलक कदम केंद्र और राज्यों के मध्य इस मुद्रे पर भी आसानी से आमू सहमति बना सकता है, और समय पर जीएसटी को लागू किया जा सकता है। इन चिंताओं से परे, केंद्र को यह आशा है कि केंद्रीय जीएसटी, राजकीय जीएसटी, और समिलित जीएसटी के मॉडल बिल अगले माह तक, यानि, नवंबर, 2016 तक संसद में, और राज्यों की विधान परिषदों में दिसम्बर, 2016 तक पास कर लिया जायेगा।

साथ ही जीएसटी के लिए आई.टी. की आधारभूत संरचना- जीएसटी नेटवर्क जो सभी राज्यों, केंद्र और कर दाताओं, के लिए एक सामान्य व्यवस्था लागू करेगी, लगभग पूरी हो चुकी है। इसकी टेस्टिंग अगले वर्ष जनवरी और फरवरी में की जाएगी।

जीएसटी कानून की प्रतीक्षा सभी घरेलू और विदेशी निवेशक, साथी ही ग्लोबल रेटिंग एजेंसिया भी कर रही हैं। इस कानून से व्यापार करने की सुविधा और सुलभता का विकास होगा, और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाली टैरिफ में भी कटौती होगी। सरकार को विश्वास है कि इस से

देश की रैंकिंग व्यापार की सुगमता वाले रिपोर्ट में सुधरेगी, जहां वर्तमान में 189 देशों में भारत का स्थान 130वां है। प्रधानमंत्री को आशा है कि भारत टॉप 50 देशों में आ खड़ा हो।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी हालिया वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक में यह कहा है कि जीएसटी का उदय भारत में औसत विकास की सम्भावना को बल देगा। उल्लेखित करते हुए कि व्यापार और निवेश के लिए यह सकारात्मक है, आईएमएफ रिपोर्ट ने कहा है कि “यह कर सुधर और सही तरीके के उपलब्ध न होने वाली सब्सिडी का उन्मूलन रेवेन्यु और फिसल संरचना के विकास के लिए आवश्यक है, ताकि आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश किया जा सके।”

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने हाल ही में अक्टूबर, 2016 के अपनी वाशिंगटन

लांकि कुछ विश्लेषकों ने अप्रैल माह तक जीएसटी को लागू कर पाने की सम्भावना पर चिंता प्रकट की है। इसमें से एक चिंता यह है की कुछ वस्तु जैसे, पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पाद, या बिजली, जो कर रहित होते हैं उन्हें कर के भीतर नहीं लाया जायेगा। राज्य और केंद्र उन पर कर लगाते रहेंगे।

यात्रा में कहा कि जीएसटी जैसे संरचनात्मक सुधार भारत के विकास में सहायता बनेंगे। आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत के विकास दर को अगले दो वर्षों में 7.6 प्रतिशत पर रखा है।

विभिन्न अनुमानों के अनुसार जीएसटी लीकेज और कर चोरी के सभी रस्ते बंद करके राज्य की आय बढ़ाने में सहायता होगी। और इससे देश का सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

अतः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में ये सभी सुधार एक लम्बे समय तक भारत को सबसे तेज गति में आर्थिक विकास में सहायता करेंगी, और एक सुलभ कर व्यवस्था बनाने में कारगर साबित होंगी। □

निश्चय

IAS Academy

After Overwhelming Success of Batch 1st and 2nd we are Launching

GS FOUNDATION BATCH 3rd

Polity

द्वारा

यशवंत सिंह सर

15 October 11:30 am

दर्शनशास्त्र

द्वारा

यशवंत सिंह सर

20 Oct. 8:30 am & 4:30 pm

Free Case Studies + Essay Classes

यशवंत सर एवं टीम के निर्देशन में, हमारे संस्थान से IAS Toppers के मॉडल उत्तर के साथ

प्रारंभिक

50 छात्र

जो विगत मुख्य परीक्षा
में सम्मिलित हुए हैं,
के लिए
भारी छूट

BPSC - 2016

All India PT Test Series
कुल 22 Test
16 Oct. से आरंभ 10 am - 12 am

P.T. Classroom Programme
13 Oct. 6 pm - 9 pm

Mains Test Series

Optional G.S.

Open परिचर्चा BPSC (60-62)वीं 23 Oct. 6:00 pm

All India 'IAS' Test Series प्रारंभ



RANK 173
वत्सला गुप्ता



Rank 262
DEVI LAL



Rank 311
DR. OMPRAKASH



Rank 407
SURYAPRakash



Rank 740
ANITA YADAV



Rank 895
DR. MUKESH KAJLA



Rank 939
RAJESH KR. MEENA



Rank 950
ARVIND MEENA



Rank 957
DEVENDRA MEENA



Rank 1042
LOKESH MEENA



LAL BAHADUR

Head Office ➤ 102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9 (Near Police Chowki)

Jaipur Office ➤ S-5 Shri Gopal Nagar, Main Gopalpura Bypass Road Near Gurjar Ki Thadi Jaipur

011-47074196, 9891352177

कालाधन के खतरे: समस्या व समाधान

दिलाशा सेठ



दुनिया भर के देश कालाधन के उन्मूलन के लिए एकजुट हो रहे हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) समझौते और बहुस्तरीय सूचना

आदान-प्रदान संधियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कर चोरी करना बहुत मुश्किल होने वाला है। विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं के मुक्त आदान प्रदान से कर अधिकारियों को अधिक सुराग हासिल होंगे और अपराधियों को पकड़ना आसान होगा। भारत सरकार ने भी

कालाधन का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइट जैसी तकनीक की भी मदद ली जा रही है।

जबकि तकनीक का उपयोग सही दिशा में किया जा रहा है, हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि नकद लेनदेन को हतोत्साहित किया जाए।

लेखिका बिजनेस स्टैंडर्ड में विशेष संवाददाता हैं। आर्थिक विषयों व अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि पर लगातार लिखती रही हैं। ईमेल: dilashaseth@gmail.com

30

सितंबर को रात दस बजे तक बहुत से लोग देश भर के विभिन्न कर दफ्तरों में कतार लगाए रहे जबकि बहुत से अपने कंप्यूटरों से चिपके रहे ताकि अपनी बेहिसाब धन-संपत्ति की घोषणा कर सकें। लगभग 64,275 व्यक्तियों ने सरकार के इस एकमात्र अवसर का लाभ उठाया और 1 जून से प्रारंभ हुई चार माह की अवधि के तहत अपने कालाधन का खुलासा किया। इस आधी रात की बौखलाहट ने उन्हें भविष्य में सुखद नींद का भरोसा दिया। इससे यह भी पता चला कि कालाधन के खिलाफ सरकार किस प्रकार युद्ध स्तर पर कमर कस चुकी है। इसके अलावा कालाधन की घोषणा करने वाले सभी लोग आयकर अधिनियम, संपत्ति अधिनियम और बेनामी अधिनियम के तहत होने वाले मुकदमे से बच भी गए। हालांकि सरकार को अगले वर्ष सितंबर तक आय घोषणा योजना (आईडीएस) से 30,000 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, जोकि घोषित 65,250 करोड़ रुपये का 45 प्रतिशत है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने मिशन मोड के तहत कालाधन के खुलासे का काम अपने हाथ में लिया है। वह इससे पहले यह चेतावनी दे चुके थे कि 30 सितंबर के बाद कड़े फैसले किए जाएंगे।

देश की 120 करोड़ की आबादी में 5 प्रतिशत या 5.43 करोड़ लोग ही कर चुकाते हैं। ईमानदार करदाताओं को अक्सर कर चोरी करने वाले चंद व्यक्तियों का बड़ा बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था में कालाधन के प्रवाह की मात्रा का पता लगाना मुश्किल है, बावजूद इसके

विभिन्न अनुमानों और रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह मात्रा 2 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के आकार के 20 से 70 प्रतिशत के बीच है। स्विस सरकार का कहना है कि 2010 के अंत तक सभी स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों का लगभग 9,500 करोड़ रुपये मूल्य का धन जमा था। करीब 8 लाख रुपये के प्रत्यक्ष कर राजस्व में कॉरपोरेशन कर 60 और व्यक्तिगत इनकम कर 40 प्रतिशत है। इससे कर आधार की व्यापकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में 25 करोड़ पैन कार्डधारक हैं लेकिन केवल 5.43 करोड़ कर चुकाते हैं। चुनावों के दौरान सरकार ने कर चोरी करने वालों को धर पकड़ने और विदेशों में जमा बेहिसाब धन को वापस लाने का वादा किया था। अब सरकार कालाधन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है।

सरकार कालाधन के खतरे से निपटने के लिए एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। आईडीएस के अतिरिक्त विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण विंडो, कालाधन के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन, द्विपक्षीय कर संधियों पर नए सिरे से काम, 2 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन में पैन कार्ड अनिवार्य करना तथा विभिन्न देशों के साथ प्रोजेक्ट इनसाइट और हस्ताक्षर सूचना आदान-प्रदान की संधियां करना, जैसे उपाय भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कराधन सुधार तो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) है जिससे अगले वित्त वर्ष से अप्रत्यक्ष करों की चोरी मुश्किल हो जाएगी। जीएसटी से कर अनुपालन की दर में सुधार की संभावना है। इसके तहत केंद्र और राज्यों की विभिन्न

अप्रत्यक्ष उगाहियां जैसे सेवा कर, उत्पाद शुल्क, चुंगी, मूल्य वर्धित कर आदि शामिल हो जाएंगी और इससे रिफंड के लिए एक इनपुट कर क्रेडिट श्रृंखला भी तैयार होगी।

कर चोरों को निशाना बनाने के उपाय

वित्त मंत्रालय के अनुसार, थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन और आईटी डेटाबेस को उन्नत बनाकर पैन कार्ड के द्वारा 16 हजार करोड़ रुपये जमा किए गए। फिलहाल, आयकर विभाग के राजस्व का 92 प्रतिशत कर डिडक्शन एट सोर्स (टीडीएस), एडवांस कर और स्व आकलन कर के माध्यम से आता है। बाकी का 8 प्रतिशत जांच के बाद प्राप्त होता है। संभव है, इसमें परिवर्तन हो।

कर चोरों को पकड़ने के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। प्रोजेक्ट इनसाइट इसी का उदाहरण है। इसके तहत एल एंड टी इन्फोटेक की मदद से सरकार विभिन्न स्रोतों से आयकर विभागों में उपलब्ध सभी जानकारियों को एकत्र करेगी और पैन विवरण का प्रयोग करते हुए लोगों का प्रोफाइल व्यवस्थित करेगी। प्रोफाइलिंग के माध्यम से, किसी व्यक्ति के अचल संपत्ति, आधूषण और वाहनों की खरीद सहित सभी लेनदेन की जानकारी आयकर विभाग के पास व्यवस्थित रूप से उपलब्ध होगी। इससे कर की चोरी करने वालों की पहचान करना सरल होगा। इस प्रक्रिया से कर की चोरी करने वालों की रैंकिंग कर की मात्रा से तय होगी जिसे वसूल किया जाएगा। अधिकारी भी सबसे ज्यादा मात्रा में कर चोरी करने वालों को धर पकड़ सकेंगे। अनेक सरकारी विभाग जैसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, खुफिया ब्यूरो और अन्य संस्थाएं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं।

सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से 2 लाख रुपये से अधिक के सभी तरह के भुगतानों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब 5 लाख नहीं, 2 लाख से अधिक के आधूषण खरीदने पर भी पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। डाकघरों, सहकारी बैंकों, निधि, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में सावधि जमा के लिए भी पैन कार्ड अब अनिवार्य है। वर्तमान में, थर्ड पार्टी के सात स्रोतों के लिए लेनदेन की जानकारी देना और वार्षिक इनफॉरमेशन रिटर्न (एआईआर) फाइल करना अनिवार्य

है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं- किसी व्यक्ति से एक साल में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की नकदी जमा स्वीकार करने वाले बैंक, ऐसे बैंक या कंपनियां जो किसी व्यक्ति को एक साल में 2 लाख रुपये से अधिक के बिल का भुगतान करने वाले क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, किसी व्यक्ति द्वारा यूनिट्स की बिक्री के लिए 2 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि एकत्र करने वाले म्यूनुअल फंड, शेयर, बांडिंग्बेंचर को जारी करने और 30 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री या खरीद के संबंध रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार से 5 लाख रुपये या उससे अधिक हासिल करने वाली कंपनी और 5 लाख रुपये से अधिक के बांड जारी करने पर आरबीआई।

आयकर का बढ़ता दायरा

पिछले ढाई वर्षों में महती प्रयासों से 1,986 करोड़ रुपये की जब्ती हुई और 56,378 करोड़ रुपये की अधोषित आय प्राप्त हुई। इस संबंध में आयकर विभाग ने सबसे अधिक बरामदगी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र से की। थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन का प्रयोग करते हुए विभाग ने आईडीएस के तहत लोगों को 7 लाख पत्र जारी किए। यह पैन के बिना होने वाले लेनदेन की 90 लाख सूचनाओं के आधार पर किया गया।

विभाग ने उच्च मूल्य वाले लेनदेन, जिसमें बचत खाते में 10लाख रुपये से अधिक की नकद जमा शामिल थी, के लिए वार्षिक इनफॉरमेशन रिटर्न (एआईआर) की जांच की और पाया कि 30 लाख रुपये या अधिक मूल्य की अचल संपत्ति की अधिकतर बिक्री और खरीद में पैन का प्रयोग नहीं किया गया है। कुछ महीने पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर सीबीडीटी के 42,000 अधिकारी प्रत्यक्ष कर राजस्व सुनिश्चित करने में संलग्न हैं इसलिए कर का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खनन कंपनियों के उत्पादन के विवरणों और दायर आयकर रिटर्न की जांच करें और विसंगति मिलने पर उचित कार्रवाई करें। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, प्रवर्तन उपायों के चलते अप्रत्यक्ष करों की 50,000 करोड़

रुपये की चोरी पकड़ी गई है और 21,000 करोड़ रुपये की अधोषित आय हासिल हुई है।

नकद लेनदेन सीमित करना

वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एमबी शाह की अध्यक्षता में कालाधन पर गठित विशेष जांच दल ने कहा था कि 3 लाख रुपये से अधिक के नकद लेनदेन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए ताकि कालाधन पर रोक लगे। हाल ही में अपनी रिपोर्ट में जांच दल ने नकद होल्डिंग्स को 15 लाख रुपये तक सीमित करने का सुझाव भी दिया। विभिन्न देशों के प्रावधानों की समीक्षा करने के बाद अगर इस सुझाव को स्वीकार किया जाता है तो इस राशि से अधिक का लेनदेन या उसकी होल्डिंग कानून अवैध और दंडनीय माना जाएगा।

यह महसूस किया गया है कि नकदी लेनदेन को सीमित करना तभी सफल होगा जब नकद होल्डिंग की सीमा तय की जाएगी। यह सुझाव भी दिया गया कि अगर उद्योग के किसी भी व्यक्ति को अधिक नकद होल्डिंग की जरूरत होगी तो वह उस क्षेत्र के आयकर आयुक्त से अनुमति ले सकता है। एसआईटी ने सुझाव दिया कि ऐसे लेनदेन को अवैध और कानून के तहत दंडनीय बनाने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। इस पर वित्त मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है।

पैनल ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वह जांच एजेंसियों के साथ आयत-निर्यात और विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) संबंधी लेनदेन की जानकारी को साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करे। यह कार्य राजस्व विभाग के साथ विचार विमर्श के बाद किया जाए ताकि देश में आने वाले अवैध धन को रोका जा सके। पैनल ने प्रवर्तन विभागों- राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय (डीआरआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ आरबीआई के डेटाबेस को साझा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का आग्रह भी किया ताकि मामलों का सत्यापन किया जा सके।

पैनल ने राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय (डीआरआई) से उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जो निर्यात से होने वाली आय के बिना ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा जताती हैं।

ऐसे मामलों में देश को दो तरह से नुकसान होता है- एक तो उसे निर्यात आय नहीं होती और दूसरा गलत तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा चुकाना पड़ता है।

विदेशों में जमा काला धन

अन्य देशों के साथ सूचना आदान-प्रदान समझौते से विदेशी खातों में कालाधन को ढूँढ़ना चुनौतीपूर्ण होगा। भारत-अमेरिकी विदेशी खाते कर अनुपालन अधिनियम (फैटका), जो पिछले साल से प्रभाव में आया है, का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में अर्जित आय पर कर का भुगतान किया जाता है।

भारत को एफएसीटीए के तहत सूचना का स्वतः आदान-प्रदान (ईआर्ओआई) प्राप्त होने लगा है। सरकार को 2017 के बाद से अन्य देशों से भी ईआर्ओआई मार्ग के तहत सूचनाएं प्राप्त होने लगेंगी। हालांकि यह प्रभाव में आने के समय से पूर्व प्रभाव से सूचनाएं प्रदान करेगा, इससे आयकर विभाग को किसी कंपनी के पूर्व लेनदेन के ऑडिट का पता लगाने में भी मदद मिल सकती है।

सरकार ने एचएसबीसी के विदेशी खातों में 8,000 करोड़ रुपये मूल्य के कालाधन के 175 मामलों में से 164 पर मामले दायर किए हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) की जांच के आधार पर सरकार ने 5,000 करोड़ रुपये के विदेशी खातों में घोषित जमा का पता लगाया है और 55 मामले दायर किए हैं। इसी तरह, पनामा पेपर्स की जांच के बाद कई देशों में कर चोरों, बैंक खातों आदि के विवरणों के 250 संदर्भों का खुलासा हुआ।

वर्ष 2015 में सरकार को विदेशों में 4,147 करोड़ रुपये मूल्य की अघोषित संपत्ति प्राप्त हुई और राजस्व के रूप में 60 प्रतिशत कर मिला जिसका मूल्य 2,428 करोड़ रुपये था। पनामा पेपर्स लीक्स में एक करोड़ 10 लाख दस्तावेजों का खुलासा हुआ जिसमें ऐसे 500 भारतीयों के नाम थे जिन्होंने नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया। इनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, नीरा राडिया आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों में 40 वर्ष की अवधि शामिल है और लगभग 2,14,000 अपतटीय संस्थाओं का नाम है। यह कागजात पनामा स्थिति लॉ फर्म मोसाक फोनसेका ने

पता लगाए हैं जिसके 35 से अधिक देशों में कार्यालय हैं।

पनामा लीक के संबंध में एसआईटी ने काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) अधिनियम और आयकर अधिनियम, 2015 में संशोधन का सुझाव दिया है जिसके तहत एक निर्धारिति को विदेश में किसी भी राशि का निवेश करने या संपत्ति की खरीदने से पहले राज्य के आयकर विभाग के संबंधित क्षेत्राधिकार आयुक्त को सूचित करना चाहिए, भले ही भारतीय रिंजर बैंक की अनुमति की आवश्यकता न हो।

डीटीए में संशोधन

कर चोर अक्सर सिंगापुर, साइप्रस और मॉरीशस जैसे देशों के साथ भारत की मौजूदा कर संधियों की खामियों का फायदा उठाते हैं जहां कर कानून या तो हैं ही नहीं या बिल्कुल भी सख्त नहीं हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेशों में रखा बेहिसाब धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा।

कर चोर अक्सर सिंगापुर, साइप्रस और मॉरीशस जैसे देशों के साथ भारत की मौजूदा कर संधियों की खामियों का फायदा उठाते हैं जहां कर कानून या तो हैं ही नहीं या बिल्कुल भी सख्त नहीं हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विदेशों में रखा बेहिसाब धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा।

है कि विदेशों में रखा बेहिसाब धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा। सरकार इन देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौता (डीटीए) संशोधित करने की दिशा में कार्य कर रही है और पूंजीगत लाभ पर कर हासिल करना चाहती है। भारत ने मॉरीशस और साइप्रस के साथ डीटीए में संशोधन कर लिया है और सिंगापुर के साथ संधि में संशोधन के करीब है।

मॉरीशस और सिंगापुर भारत में एफडीआई के शीर्ष दो स्रोत हैं जो देश में लगभग आधा कुल प्रत्यक्ष निवेश करते हैं। पिछले डेढ़ दशक में मॉरीशस से 95.9 अरब डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया जबकि सिंगापुर से 45.8 अरब डॉलर का। साइप्रस 8.5 अरब डॉलर के साथ निवेश की सूची में आठवें स्थान पर है।

1 अप्रैल, 2017 से जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल (गार) शुरू हुआ। इससे पहले निम्न

कर क्षेत्राधिकार वाली अर्थव्यवस्थाएं अपनी खामियों को दूर करने के लिए स्वेच्छा से संधियों में संशोधन का प्रस्ताव रखती थीं। गर ऐसे नियम हैं जिनके जरिए भारतीय अधिकारियों को ऐसे संविधान लेनदेन की जांच करने का अधिकार मिलता है जिन्हें केवल कर चोरी करने के लिए संयोजित किया जाता है।

भारत ने अप्रैल में मॉरीशस के साथ डीटीए, में संशोधन किया जिससे शेयरों पर पूंजीगत लाभ कर लगाए जा सकें। अगले वित्त वर्ष से मॉरीशस के माध्यम से भारत में धन की रूटिंग करने वाली कंपनियां अप्रैल 2017 से प्रारंभ होने वाली दो वर्ष की संक्रमण अवधि के दौरान 50 प्रतिशत की प्रचलित दर पर अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर चुकाएंगी। इस समय अल्पावधि के पूंजीगत लाभ कर की दर 15 प्रतिशत है। पूर्ण दर 2019 के बाद से लगाई जाएगी। एलओबी की नई सीमा के तहत शर्तों को पूरा करने पर 50 प्रतिशत का रियायती दर लाभ प्राप्त होगा जो पिछले वित्तीय वर्ष में मॉरीशस में कम से कम 27 लाख रुपये का व्यय है। सिंगापुर संधि संशोधन पर दोनों पक्षों में बातचीत की जा रही है। यह 1 अप्रैल, 2017 से स्वतः संशोधन हो जाएगा क्योंकि यह मॉरीशस की तरह समान प्रोटोकॉल के तहत आता है।

भारत ने सभी लोकप्रिय कर हेवन देशों सहित 82 देशों के साथ दोहरे कराधान से बचाव का समझौता किया है। इनमें से भारत ने ऐसे 30 देशों के साथ समझौते व्यापक बनाए हैं जिनके तहत एक दूसरे की तरफ से कर की उगाही करने के लिए परस्पर प्रयास की अपेक्षा की जाती है।

साइप्रस ने काली सूची से हटाने के बदले में शेयरों पर भारत को कराधान अधिकार देने के लिए सहमति जताई है। शून्य पूंजीगत लाभ कर के लिए कर संधि से पूरी तरह से बचने और साइप्रस में स्थित संस्थाओं को किए गए व्याज भुगतान पर 10 प्रतिशत की कर दर की विदहोल्डिंग के लिए यूरोप और अमेरिका स्थित कंपनियों ने भारत में निवेश किए हैं। भारत ने भी साइप्रस को काली सूची से हटाने पर सहमति जताई है। साइप्रस को वर्ष 2013 में भारत द्वारा गैर-सहयोगी अधिकार क्षेत्र घोषित किया गया था क्योंकि वह भारतीय खाताधारकों से संबंधित जानकारी साझा नहीं

कर रहा था। इसे भारत द्वारा पहली बार कर क्षेत्राधिकार चिन्हित किया गया है। इसके तहत साइप्रस में किए गए सभी भुगतानों पर 30 प्रतिशत की कर विद्योलिडंग हुई है और ऐसी संस्थाओं का खुलासा भी संभव हुआ है जिन्हें वहाँ से धन प्राप्त होता है। इसमें धन के स्रोत के खुलासे के साथ दूसरे खुलासों की अपेक्षा भी शामिल है। साइप्रस से निवेश को आमंत्रित करने वाली भारतीय कंपनियों को व्यय और भत्तों पर कटौतियां भी छोड़नी होंगी।

बेनामी लेनदेन अधिनियम

संसद ने अगस्त में बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी। इसमें बेनामी की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। साथ ही उन लोगों के लिए दंड और सजा के प्रावधान को बढ़ाया गया है जो कर से बचने के लिए किसी दूसरे या फर्जी नाम से परिसंपत्तियां रखते हैं। यह बेनामी लेनदेन का प्रभावी ढंग से निषेध करने का प्रयास करता है और अनुचित तरीके से कानून के उल्लंघन को रोकता है। इसमें बेनामी लेनदेन की परिभाषा को इस प्रकार व्यापक बनाया गया है जिसमें काल्पनिक नाम पर किए गए ऐसे लेनदेन को शामिल किया जा सके जिसमें मालिक संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी होने से इनकार करे या संपत्ति के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला व्यक्ति मिल न रहा हो।

बेहिसाब धन को ठिकाने लगाने के लिए आम तौर पर संपत्ति या अचल संपत्ति में निवेश किया जाता है। अचल संपत्ति में बहुत से लेनदेन का या तो खुलासा नहीं किया जाता या उसका मूल्य कम करके खुलासा किया जाता है।

विधेयक में सजा और अधियोजन पक्ष के प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है। संशोधित अधिनियम के तहत एक से सात वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है जो बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 25 प्रतिशत तक हो जाता है। मौजूदा अधिनियम में तीन वर्ष के दंड या जुर्माने या दोनों का प्रावधान था। झूठी सूचना देने पर छह महीने से पांच वर्ष तक के कठोर दंड और जुर्माने का प्रावधान है जो बेनामी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत तक हो जाता है।

भविष्य का मार्ग

दुनिया भर के देश कालाधन के उन्मूलन के लिए एकजुट हो रहे हैं। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग (बीईपीएस) समझौते और बहुस्तरीय सूचना आदान-प्रदान संधियों के द्वष्टिकोण से देखा जाए तो कर चोरी करना बहुत मुश्किल होने वाला है। विभिन्न देशों के बीच सूचनाओं के मुक्त आदान प्रदान से कर अधिकारियों को अधिक सुराग हासिल होंगे और अपराधियों का पकड़ना आसान होगा। भारत सरकार ने भी कालाधन का पता लगाने के लिए कई प्रयास किए हैं जिसमें प्रोजेक्ट इनसाइट जैसी तकनीक की भी मदद ली जा रही है। जबकि तकनीक का उपयोग सही दिशा में किया जा रहा है, हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि नकद लेनदेन को हतोत्साहित किया जाए और अर्थव्यवस्था में कार्ड भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। कालाधन पर अंकुश लगाने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा।



www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑडियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनें
- फ्री मॉक-टेस्ट।

**सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोज़ाना**

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

आई.ए.एस. की परीक्षा में सफल होने के सूत्र

**डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक**

**‘आप IAS
कैसे
बनेंगे’**

**आप
IAS
कैसे
बनेंगे**

डॉ. विजय अग्रवाल

₹195/-

यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक
‘चलता-फिरता कोचिंग संस्थान’ है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

जीएसटी: भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्णायक मोड़?

रंजीत मेहता



एक समान भारतीय बाजार निर्मित करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर कर के व्यापक प्रभाव को कम करने के ज़रिए जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक सुधार होगा। यह कर-संरचना कर-समीक्षा, कर-परिकलन, कर-भुगतान, अनुपालन, क्रेडिट (साख) के उपयोग एवं विवरण को प्रभावित करेगी और वर्तमान अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली के सम्पूर्ण कायापलट की ओर अग्रसर होगा।

लेखक नवी दिल्ली स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कॉर्मर्स एंड इंडस्ट्री के निदेशक हैं। साथ ही भारत सरकार की विभिन्न समितियों के सदस्य भी हैं। छह पुस्तकों और दर्जनों शोध-पत्र लिख चुके हैं। पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन। ईमेल: ranjeetmehta@gmail.com

स

बसे पहले तो भारत सरकार को जीएसटी के मोर्चे पर किए गए जबरदस्त प्रयासों के लिए बधाई दी जानी चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक का पारित होना और साथ ही मॉडल/नमूना जीएसटी कानूनों का जारी होना, जीएसटी को जल्द-से-जल्द लागू करने के सरकार के दृढ़-निश्चय को दर्शाता है। मेक इन इंडिया परियोजना भारत सरकार की प्रबल नीति-पहलों में से एक है, जो भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनने रोज़ग़ार/रोज़ग़ार के अवसर उत्पन्न करेगी। भारत को एक विनिर्माण केन्द्र बनाने के क्रम में, यह आवश्यक है कि विदेशी निवेशकों/कम्पनियों को यहां व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल मिले। एक सुगम/निर्विघ्न व्यापार के रास्ते में, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में, अनिश्चित एवं अप्रत्याशित अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था, सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है।

वर्तमान बहु-स्तरीय कर-संरचना में राज्यों एवं केन्द्र सरकार के अलग-अलग शुल्क हैं, जो करों के व्यापक प्रभाव की ओर ले जाते हैं। इसमें विभिन्न दरों एवं विभिन्न बिन्दुओं पर कर विद्यमान हैं। केन्द्र के पास आय कर, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क एवं सुरक्षा लेन-देन कर जैसे कर हैं जबकि राज्य-स्तर पर वैट या बिक्री कर, चुंगी, राज्य उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर, प्रवेश कर एवं कृषि कर लागू हैं। ये कर घरेलू बाजारों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी मूल्यों और बिक्री को प्रभावित करते हुआ भारतीय उत्पादों पर बढ़े हुए कर के बोझ की ओर ले जाते हैं।

इसके समाधान के लिए, संसद (राज्य सभा में 3 अगस्त, 2016 को तथा लोक सभा में 8 अगस्त, 2016 को) में पारित होने तथा 50 प्रतिशत से अधिक राज्य विधाल-मंडलों के अनुसमर्थन के पश्चात भारत के राष्ट्रपति द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करने तथा अप्रैल, 2017 तक जीएसटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापक रूप से भिन्न हितों वाले केन्द्र, 29 राज्यों एवं जिल योजना के व्यवस्था में, विस्तृत राजनीतिक सहमति की अपेक्षा रखने वाले, लगभग 75 लाख कर इकाइयों को प्रभावित करने वाले तथा कर-कार्यान्वयन क्षमता के उपयोग एवं उसमें सुधार के लिए नवीनतम तकनीक का निर्धारण करने वाले एक संविधान संशोधन के माध्यम से इसे हासिल करना, संभवतः आधुनिक वैश्विक कर-इतिहास में अभूतपूर्व है।

जीएसटी को इस बिन्दु तक ले आने में देश ने कितना कुछ हासिल किया है; इसकी सराहना करने में हम कभी-कभार कंजूसी कर जाते हैं। जीएसटी के लिए कार्य करने का श्रेय, केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर सभी हितधारकों को दिया जाना चाहिए। यह समय इस ऐतिहासिक अवसर को साथ मिलकर भुनाने के लिए एकदम अनुकूल है क्योंकि जीएसटी निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतरी के लिए बदलाव लाएगा।

एशिया की तीसरी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था, भारत के लिए जीएसटी स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर-सुधार है। जीएसटी भारत के अप्रत्यक्ष करों, शुल्कों, अधिभारों एवं उपकरों के अव्यवस्थित आधिक्य को एक एकल कर के अंतर्गत ले आता है। बोझिल कर-प्रणाली को सुगम बनाने, सभी राज्य-सीमाओं पर निर्बाध रूप से वस्तुओं के आवागमन में सहायता देने, कर-अपवर्चन पर नियंत्रण रखने, अनुपालन में सुधार करने, राजस्व बढ़ाने, वृद्धि को प्रेरित करने, निवेश को प्रोत्साहित करने, भारत में निवेश करने एवं व्यापार को आसान बनाने के लिए यह अपेक्षित है।

यह अनुमान है कि जीएसटी के साथ कर-आधार व्यापक होगा, इसलिए कि वस्तुः सभी वस्तुएं एवं सेवाएं कुछ न्यूनतम छूटों के साथ कर योग्य होंगी। एक समान भारतीय बाज़ार निर्मित करने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों पर कर के व्यापक प्रभाव को कम करने के ज़रिए जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक निर्णायक सुधार होगा। यह कर-संरचना कर-समीक्षा, कर-परिकलन, कर-भुगतान, अनुपालन, क्रेडिट (साख) के उपयोग एवं विवरण को प्रभावित करेगी और वर्तमान अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली के सम्पूर्ण कायापलट की ओर अग्रसर होगा।

जीएसटी का देश में व्यापार संचालन के लगभग सभी पक्षों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण, आपूर्ति शृंखला अनुकूलन, सूचना-प्रौद्योगिकी, लेखांकन तथा कर-अनुपालन प्रणालियों पर। यही कारण है कि जीएसटी विधेयक को स्वतंत्र भारत में अद्वितीय महत्व के एक सुधार-उपाय के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

वर्तमान में, हर राज्य में कर की दरें अलग-अलग हैं। जीएसटी इनमें एक रूपता लाएगा, कर-समंजन निवेश (इनपुट टैक्स क्रेडिट) द्वारा इन करों के व्यापक प्रभाव को कम करेगा। जीएसटी में न्यूनतम छूटों के साथ व्यापक कर-आधार उस उद्योग की सहायता करेगा, जो सामान्य प्रक्रियाओं का लाभ उठाने एवं भुगतान किए गए करों के लिए क्रेडिट (साख) का दावा करने में समर्थ होंगी। उपभोक्ताओं के लिए कीमतों

में कमी के लिए यह अपेक्षित है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, जीएसटी भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) को लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ा देगा।

जीएसटी के प्रमुख लाभ

- जीएसटी निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतरी के लिए अगले स्तर पर ले जाएगा। जैसा कि प्रधानमंत्री ने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया, जीएसटी गरीबी उन्मूलन एवं देश के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों में बढ़ोत्तरी करेगा। ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से होगा क्योंकि कर-आधार अधिक विस्तृत हो जाएगा और केंद्र एवं राज्य सरकारों के समस्त संसाधनों में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा प्रत्यक्ष रूप से भी घटित होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य-प्रदेश जैसे सर्वाधिक गरीब राज्यों के संसाधन जो सबसे बड़े उपभोक्ता होंगे, काफी हद तक बढ़ जाएंगे।
- भारतीय जीएसटी एक अधिक स्पष्ट दोहरा वैट सूचित करने में एक लंबी छलांग लगाएगा, जो आत्मनिर्भर एवं पूर्णरूप से केन्द्रीकृत प्रणालियों की हानियों को कम करेगा। एक समान आधार एवं समान दरें (वस्तुओं एवं सेवाओं पर) तथा मिलती-जुलती दरें (राज्यों में तथा केन्द्र एवं राज्यों के मध्य) प्रशासन को सुगम बनाएंगी और अनुपालन में सुधार लाएंगी जबकि अंतरराज्यीय बिक्रियों पर करों के संग्रहण को भी प्रबंधनीय बनाएंगी। साथ ही, विशिष्ट वस्तुओं (केन्द्र के लिए पेट्रोलियम एवं तंबाकू तथा राज्यों के लिए पेट्रोलियम एवं शराब) पर अनुज्ञय अतिरिक्त उत्पाद कर के रूप में अपवाद, राज्यों को अपेक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे। वास्तव में, यदि ये जीएसटी के क्षेत्र के अधीन भी लाए जाते हैं, तो इन वस्तुओं पर ऊपरी कर लगाने के लिए समर्थ होने में राज्यों की स्वायत्ता बरकरार रहेगी।
- जीएसटी भारत को एक एकल कर प्लेटफॉर्म पर ले आने के द्वारा 'मेक इन इंडिया' को सहूलियत/सुविधा प्रदान करेगा। वर्तमान कर-संरचना राज्यों के साथ-साथ भारतीय बाज़ारों को तोड़ रही है। ये तोड़-मरोड़ वर्तमान प्रणाली के तीन लक्षणों के कारण हैं: वस्तुओं की अंतरराज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी); विभिन्न अंतरराज्यीय कर; एवं शुल्कों में छूट की व्यापक प्रकृति जो घरेलू उत्पादन के स्थान पर आयात को तरजीह देती है। एक ही झटके में, जीएसटी इन सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा: सीएसटी समाप्त कर दिया जाएगा; ज्यादातर अन्य कर जीएसटी में समाहित कर दिए जाएंगे और चूंकि जीएसटी आयातों पर लागू होगा, आयातों की तरफदारी करने वाला और घरेलू विनिर्माण के प्रति उदासीन नकारात्मक संरक्षण खत्म हो जाएगा।
- एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जीएसटी दो तरीकों से कर-शासन को बेहतर बनाएगा। पहला, योजित मूल्य कर में अंतर्निहित स्व-नियंत्रित प्रोत्साहन (इनसेनटिव) से संबंधित है। इनपुट कर-समंजन (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की मांग करने के लिए प्रत्येक विक्रेता के पास योजित मूल्य-कर शृंखला में अपने पीछे के विक्रेता से दस्तावेजीकरण करने का अनुरोध करने के लिए एक प्रोत्साहन है। बशर्ते यह शृंखला व्यापक छूटों द्वारा टूटी न हो; विशेष तौर से मध्यवर्ती वस्तुओं पर, जीएसटी में यह स्व-नियंत्रण सुविधा बेहद शक्तिशाली ढंग से कार्य कर सकती है। दूसरे का संबंध जीएसटी की दोहरी निगरानी- संरचना से है—एक राज्यों द्वारा तथा दूसरी केन्द्र द्वारा। आलोचकों और करदाताओं ने इस दोहरी संरचना को लेकर चिंता प्रकट की है और इसे कर-विभाग से सामना के दो चरण, उत्पीड़न के दो संभावित कारण होने की आये का जतायी जा रही है। लेकिन इस दोहरी निगरानी को राज्यों एवं केन्द्रीय प्राधिकारियों के मध्य वांछित कर प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग के सञ्जक के रूप में देखा जाना चाहिए। यदि कर-प्राधिकारियों का एक समूह अपवर्चन की अनदेखी करता है तथा / या उसका पता लगाने में असफल भी होता है, तो संभावना है कि निगरानी रखने वाला अन्य प्राधिकरण ऐसा न करें।

- जीएसटी ने विभिन्न करों और इसके व्यापक प्रभाव, जो आम आदमी पर एक बोझ हैं, के परिदृश्य को सुधार दिया है। प्रस्ताव की रूपरेखा में दोहरा जीएसटी है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक संघीय ढांचा होगा। जीएसटी में मूल रूप से तीन प्रकार के कर होंगे; केन्द्रीय, राज्य तथा एकीकृत जीएसटी, जो अंतर-राज्यीय लेन-देन से निपटने में मदद करेंगे। वर्तमान जीएसटी कर-सुधार के अंतर्गत, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के सभी रूपों, जैसे-हस्तांतरण, बिक्री, वस्तु-विनियम, विनियम एवं किराया आदि में एक जीएसटी तथा एक एजीएसटी होगा।
 - अनेक केन्द्रीय एवं राज्य करों का एक एकल कर में सम्मिलन-दोहरे कराधान को कम करने में सहायक होगा और समान राष्ट्रीय बाज़ार की ओर ले जाएगा। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से, वस्तुओं पर समस्त कर के भार में कमी के रूप में लाभ होगा, जो वर्तमान में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत अनुमानित है।
 - कीमतों में कमी: विनिर्माताओं और व्यापारियों को अपने उत्पादन की लागत के भाग के रूप में करों को शामिल नहीं करना पड़ेगा, जिससे मूल्यों में कमी आएगी।
 - निम्नतर अनुपालन एवं प्रक्रियात्मक लागत: अनुपालन के अनुरक्षण के भार में कमी आएगी। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अलग-अलग अभिलेख (रिकॉर्ड) रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी।
 - जीएसटी का सफल कार्यान्वयन विदेशी निवेशकों को भारत की व्यापार को सुगम बनाने की क्षमता के बारे में प्रबल संकेत देगा।
 - जीएसटी, उत्पादकों पर कर का बोझ कम करेगा तथा अधिक उत्पादन के जरिए वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। वर्तमान दोहरा कराधान विनिर्माताओं को उनकी इष्टतम क्षमता तक उत्पादन करने से रोकता है और वृद्धि को अवरुद्ध करता है। जीएसटी विनिर्माता को कर-समंजन (टैक्स क्रेडिट) उपलब्ध कराने के ज़रिए इस समस्या का ख्याल रखेगा।
 - विभिन्न कर-बाधाओं, जैसे जांच-चौकियों एवं टोल प्लाज़ा के कारण पहुंचाई जा रही नाशवान वस्तुओं का बहुत अपव्यय होता है, यह हानि सुरक्षित भंडारों की उच्च मांगों और साथ ही भंडारण लागतों के माध्यम से प्रमुख लागत में तब्दील हो जाती है। एक एकल कराधान-प्रणाली इस अवरोध को समाप्त कर देगी।
 - उत्पादकों पर एक एकल कराधान उपभोक्ता के लिए निम्नतर अंतिम बिक्री मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। अतः आम आदमी पर कम बोझ पड़ेगा। साथ ही, चूंकि उपभोक्ताओं को यह पता होगा कि वे ठीक-ठीक कितना कर चुका रहे हैं और किस आधार पर चुका रहे हैं, यह इस प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएगा।
 - जीएसटी वस्तुओं / सेवाओं की शृंखला में पहले ही उत्पादकों द्वारा चुकाए गए करों के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराता है। यह इन उत्पादकों को विभिन्न पंजीकृत विक्रेताओं से कच्चा माल खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा तथा अधिक से अधिक विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को कराधान के दायरे के भीतर ले आएगा। जीएसटी निर्यातों पर लागू निर्यात शुल्कों को भी समाप्त करता है। लेन-देन की कम लागत के कारण विदेशी बाज़ारों में हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
- अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जीएसटी का प्रभाव रियल एस्टेट क्षेत्र**
- रिटल एस्टेट क्षेत्र में बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से सुदृढ़ आर्थिक गुणात्मक प्रभाव करने वाला क्षेत्र है और जीडीपी में एक महत्वपूर्ण भागीदारी करता है। 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2013-14 में भारत की जीडीपी में रियल एस्टेट क्षेत्र का हिस्सा 7.4 प्रतिशत है। वर्तमान अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था के अंतर्गत, प्रावधनों में अस्पष्टता के साथ-साथ विभिन्न कराधानों के कारण रियल एस्टेट उद्योग विवादों में डलझ गया है।
- प्रवर्तमान कानून के अंतर्गत, संपत्ति के निर्माण से लेकर अंतिम ग्राहक तक उसकी बिक्री के लिए, विभिन्न कर शामिल हैं:
- सेवा कर
योजित मूल्य-कर
स्टाम्प शुल्क
निर्माण पर भवन-उपकर, आदि
और भी विभिन्न अन्य कर हैं, जो खरीद की लागत में शामिल हैं (जैसे- उत्पाद शुल्क इत्यादि)
- अतः वर्तमान व्यवस्था में निर्माणधीन संपत्ति की बिक्री पर विभिन्न कर/शुल्क लगते हैं, जिससे घर खरीदने वालों पर ढेरों कर तथा उच्च कर लागत का बोझ पड़ता है।
- प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्था कानून का लक्ष्य देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल एवं समरूप बनाना है। जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों पर लगेगा, जो ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर-कानूनों (कुछ करों के अलावा, जैसे-स्टाम्प शुल्क) को अपने भीतर सम्मिलित कर लेगा और इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण कर सुधार के रूप में देखा जा रहा है। संपत्तियों का हस्तांतरण (निर्मित) जीएसटी के दायरे से बाहर ही रहेगा और केवल लागू स्टाम्प शुल्कों का देनदार होगा।
- जीएसटी से रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता आने की संभावना है, जो लेन-देन पर नजर रखने वाले अधिक दक्ष तरीकों और संशोधित प्रवर्तन एवं अनुपालन के जरिए कर अपवंचन को काफी कम कर देगा। चूंकि जीएसटी एक एकल मूल्य पर लगाया जा सकता है। कर के ऊपर कर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर वैट) लगाए जाने की वर्तमान समस्या समाप्त हो सकती है।
- वर्तमान में, विकासक आपूर्तियों पर विभिन्न नॉन-क्रेडिटेबल करों का भुगतान करते हैं। जीएसटी इन विभिन्न करों को एक एकल कर से प्रतिस्थापित कर सकता है; आपूर्तियों पर क्रेडिट भी उपलब्ध होगा, इस प्रकार सभी एस्टेट उत्पादन इससे मुक्त है, तब इनपुट जीएसटी क्रेडिट इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त लागत हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट में रुकावट तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए उच्च लागत आएगी।
- स्वास्थ्य देख-भाल क्षेत्र**
- इस उद्योग की प्रमुख चिंताओं में से एक वर्तमान बेतरतीब शुल्क संरचना है, जो घरेलू

विनिर्माताओं को प्रतिकूलत रूप में प्रभावित करती है, निवेश की लागत उत्पादन से अधिक हो जाती है। यह उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करता है। जीएसटी या तो बेतरतीब शुल्क संरचना को समाप्त कर देगा या फिर संचित क्रेडिट को वापस देने की स्वीकृति देगा। यह इस उद्योग के लिए वरदान साबित होगा और इसके वृद्धि-उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है।

आयात शुल्क पर वर्तमान व्यापक कर-संरचना उद्योग के लिए मशीनरी के आयात को खर्चीला बना देती है। जीएसटी से इस लागत में कमी आने की संभावना है। आगे, दवा क्षेत्र में भी जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। यह कर-संरचना को सरलीकृत करके उद्योग की सहायता करेगा, क्योंकि अभी दवा उद्योग में आठ अलग-अलग कर लगते हैं। इन सभी का एक कर में एकत्रीकरण व्यापार को आसान बनाने के साथ ही साथ एक उत्पाद पर लागू विभिन्न करों के व्यापक प्रभाव को घटा देगा।

इसके अलावा, जीएसटी आपूर्ति शृंखला के सुप्रवाही बनने के माध्यम से परिचालन क्षमता में परिणत होगा, जो अकेले भारतीय दवा क्षेत्र का आकार 2 प्रतिशत बढ़ा सकती है। चूंकि जीएसटी दवा कंपनियों को उनकी आपूर्ति शृंखला को युक्ति संगत बनाने में सहायता करेगा, उन्हें अपने वितरण तंत्र एवं रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा।

इसके अतिरिक्त जीएसटी का कार्यान्वयन कर-समंजन के एक निर्बाध प्रवाह का ध्यान रखेगा, यह संपूर्ण अनुपालन में सुधार के लिए उत्तरदायी है तथा भारत में दवा कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने वाली एक जमीन भी तैयार करेगा।

कंपनियों के लिए एक बड़ा लाभ यह होगा कि केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की समाप्ति के साथ लेन-देन की लागत में कमी आएगी। जीएसटी लागू होने से विनिर्माण लागत घटने की उम्मीद है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्पादन या वितरण की लागत में 2 प्रतिशत की भी कमी मुनाफे में 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी कर देगी। यदि जीएसटी की दर वर्तमान कुल कर-दर से कम होती है, तो यह अंततः स्वास्थ्य देख-भाल एवं दवाओं

को और सस्ता करने के जरिए उपभोक्ताओं की सहायता करेगा, जो पहले से ही भारत सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है।

यह क्षेत्र विभिन्न कर-छूटों एवं फायदों का उपभोग करता है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि जीएसटी के अंतर्गत ये फायदे जारी रहेंगे या नहीं। स्वास्थ्य-बीमा एवं निदान-केंद्र, जो मुख्यतः सेवा-उन्मुख हैं, कर-दरों के अधीन हो सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए ये सेवाएं महंगी हो सकती हैं।

बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा क्षेत्र

भारत में ज्यादातर बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं 14.5 प्रतिशत की दर पर सेवा कर के अधीन हैं; जबकि जीएसटी के 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। अतः इन सेवाओं के महंगे होने की संभावना है। जीएसटी चीजों को बोझिल बना सकता है। क्योंकि वित्तीय सेवा प्रदाताओं को वर्तमान एकल, केंद्रीकृत पंजीकरण अनुपालन की बजाय कई राज्यों में अनुपालन का अनुसरण करना अपेक्षित हो सकता है।

साथ ही, चूंकि जीएसटी एक लक्ष्य आधारित कर है, कुछ सेवाओं के लक्ष्य निर्धारित करना एक चुनौती हो सकता है (वर्तमान में, सेवाओं के प्रतिपादन के स्थान पर सेवाओं पर कर लगते हैं) इससे बिजनेस टू बिजनेस (बीटूबी) तथा बिजनेस टू कंज्यूमर (बीटूसी) लेन-देन पर राज्य जीएसटी केंद्रीय जीएसटी या अंतर्राज्यीय जीएसटी के निर्धारण में समस्या हो सकती है।

ऋणों पर ब्याज, प्रतिभूतियों में व्यापार, विदेशी मुद्रा एवं खुदरा सेवाओं के भी जीएसटी की परिधि के भीतर आने का अनुमान है। बैंकिंग उद्योग की सिफारिशें यह प्रस्तावित करती है कि ये सेवाएं एवं आय जीएसटी के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। यह अभी भी देखा जाना है कि ये सिफारिशें मंजूर होगी या नहीं।

कुल मिलाकर, ऐसा लगता है कि बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं पर जीएसटी लगाना एक चुनौती हो सकती है और यदि यह सफल रहा तो भारत एक नई लीक बनाएगा जो बाकी दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाएगा।

यात्रा, पर्यटन एवं आतिथ्य

भारत के यात्रा, पर्यटन एवं अतिथ्य उद्योग पर केंद्र एवं राज्य दोनों के विभिन्न

कर लगते हैं। अनुमान है कि होटलों और भोजनालयों की आपूर्तियों एक एकल कर का विषय होंगी।

वर्तमान में होटलों एवं रिसॉटों के नवीकरण या निर्माण से संबंधित इनपुट सेवाओं पर कोई क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। जीएसटी के अंतर्गत इसमें बदलाव की संभावना है। रिआयत शुल्कों में समाहित होने की संभावना है, इस प्रकार अनुपालन प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी एवं विभिन्न करों में कमी आएगी। तथापि, यह अस्पष्ट है कि विद्यमान विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभ जीएसटी के अंतर्गत जारी रहेंगे या नहीं। यदि ये लाभ प्रदान किए जाते हैं तो शायद इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। जिसका परिणाम होगा उच्चतर लागत। कुल मिलाकर जीएसटी करों के बाहुल्य एवं क्रेडिट की कमी को संभवतः समाप्त कर देगा। तथापि, इससे कर की दरें बढ़ भी सकती हैं।

शिक्षा क्षेत्र

वर्तमान में, शिक्षा विभिन्न कर-छूटों एवं फायदों का उपभोग करता है, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर या तो कर नहीं लगाता या फिर वे नकारात्मक सूची के अंतर्गत आती है। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद भी यह स्थिति बने रहने की उम्मीद है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो इस क्षेत्र को इनपुट एवं सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए शुल्क पर प्रक्रियाएं क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। इससे उद्योग की अंतिम लागत में कमी आने की संभावना है।

आम नागरिकों पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ने वाला है?

जैसे ही जीएसटी अपने अंतिम चरणों में पहुंचता है, यह ऐतिहासिक कानून राष्ट्र के लिए कर-प्रणाली को एक रूप बनाने तथा जीडीपी को 2 प्रतिशत तक बढ़ा देने का भरोसा दिलाता है। अतः जबकि सेवाएं महंगी हो सकती हैं, उपभोक्ताओं, वस्तुओं के लिए यह एक मिला-जुला सौदा है।

आज वस्तुओं पर आम तौर से 12.5 प्रतिशत (उत्पाद शुल्क) जमा 5.15 प्रतिशत की दर से कर योग्य है जो निरापदाव रूप से अंतिम उपभोक्ता को चुकाना होता है। यदि जीएसटी की मानक दर रूप से कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खरीद लागत

घटेगी और लाभ का कुछ हिस्सा इस शृंखला के अंत तक भी पहुंचेगा। इसका स्वाभाविक परिणाम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, जिसमें 55 प्रतिशत वस्तुएं कर से मुक्त हैं, 32 प्रतिशत वस्तुएं काफी कम दर पर और केवल 12 प्रतिशत वस्तुएं मानक-दर पर हैं।

इसका अर्थ है कि गृहस्थी के कुछ जरूरी सामान (कपड़े, किताबें, खाद्य तेल आदि) वस्तुतः छूटों की वजह से लगभग 5.8 प्रतिशत कर का विषय हैं। अगर दर 18 प्रतिशत रहती है, तब इन सामानों का मूल्य बढ़ जाएगा और संपूर्ण ढांचा डांवाडोल हो जाएगा। सेवा उद्योग में प्रेरणी कर आउटपुट 15 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा।

जीएसटी व्यवस्था में बाहर खाना सस्ता हो सकता है क्योंकि अभी आप सेवा कर एवं वैट दोनों का भुगतान करते हैं।

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, एक एकल कर होगा। चूंकि सेवा करों की दरों का निर्धारण राज्यों से भी अपेक्षित है, आपके फोन के बिल पर कर बढ़ सकते हैं। परिणामस्वरूप एक आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सेवाएं जैसे दूरसंचार, रेल परिवहन, बैंकिंग, हवाई यात्रा आदि खर्चीली हो सकती हैं, जबकि छोटी कारें उत्पाद आदि सस्ते हो सकते हैं।

मेंक इन इंडिया पहल का हिस्सा होने के नाते टेलीविजन सस्ता मिल सकता है। जीएसटी कम रहने के आसार है। अतः वर्तमान में आप 20,000 रुपये के एलईडी टीवी के लिए लगभग 24.5 प्रतिशत कर के साथ 24,900 रुपये का भुगतान करते हैं। जीएसटी के अंतर्गत, यदि मान लीजिए यह लगभग 18 प्रतिशत है, उसी टी.वी. की कीमत 23,600 रुपये होगी, जिसके चलते उपभोक्ता के लिए कीमत कम हो जाएगी।

ऑनलाइन बैग, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना महंगा हो जाएगा। क्योंकि ई-वाणिज्य उद्योग कर के दायरे में आता है और इसे इसके विक्रेताओं से प्रत्येक खरीद के लिए कर का भुगतान करना होगा। अतः ई-वाणिज्य कंपनियों के मुनाफे के अंतर में कमी और बढ़े हुए कर-अनुपालन दायरे के कारण उनके द्वारा दी जाने वाली छूटों एवं मुफ्त दिए जाने वाले सामानों में कटौती होगी।

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीएसटी की वास्तविक सफलता आम भारतीय उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करती है। जीएसटी का सारांश यह है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर परिष्कृत दर पर कर लगेगा। एक राष्ट्र, एक कर सकारात्मक अर्थों में निर्णायक सिद्ध होगा और केवल आम आदमी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जब भी कोई नया कानून लागू होता है तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव खास तौर से आम आदमी पर पड़ता है। जीएसटी के मामले में भी यही बात लागू होती है, जिसमें वस्तुओं का अंतिम उपभोक्ता आम आदमी ही है, इसके लागू होने के बाद सीधे तौर पर वही प्रभावित होगा। हम आशा करते हैं कि जीएसटी एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा और तेजी से आगे बढ़ने में भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद करेगा तथा सहज कर-व्यवस्था के साथ भारत को एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार में तब्दील कर देगा। उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था आम आदमी के वित्तीय विकास में सहायक होगी। □

GS-NCERT

English हिन्दी माध्यम
with
Ravindra Sir

Target Batch Starts

UPPCS | BPSC

MPPSC

**Batch Starts
13 Oct., 20 Oct. & 8 Nov.**

**सभी PCS परीक्षाओं में विगत तीन वर्षों से
90%+ Questions सीधे हमारे Class Notes से**

**ध्यान रखें : PCS परीक्षाओं के लिए
IAS का कोचिंग संस्थान Join करना
आपके लिए समय और धन दोनों की बाबदी है।**

**ये Course उन Aspirants के लिये भी अत्यंत उपयोगी है,
जो IAS Exam की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, या GS के हर
Topic पर Conceptual Clarity चाहते हैं।**

Ravindra's Institute

**Chawla Restaurant Lane,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi
9555772211, 9990962858
www.ravindrasinstitute.com**

Gwalior Branch : 9713950771

पढ़िये उनसे जिनकी प्रामाणिकता एवं श्रेष्ठता निर्विवाद है तथा जिनसे टॉपरों ने भी पढ़ा है।

सामान्य अध्ययन

- नियमित कक्षाएँ ■ निर्धारित समयावधि में पाठ्यक्रम का योजनाबद्ध अध्यापन
- परिष्कृत, सारगणित एवं बेहतरीन प्रिस्टेड नोट्स ■ नियमित टेस्ट एवं मूल्यांकन की व्यवस्था

TOPPER Rank
UPPCS
2015
Siddhartha
Yadav

1



AIR
2



**Athar
Aamir
Khan
(B.Tech)
Age- 23 Year**

हिन्दी माध्यम में पढ़िए उनसे जिनसे Eng. Med. के टॉपरों ने भी पढ़ा है।

केवल एक या दो नहीं बल्कि GS के सभी खंडों में विशेषज्ञता रिजल्ट विहिन (जीरो रिजल्ट) परन्तु जबरदस्त मैनेजमेंट वाले संस्थानों के लाखों पेजों वाली अप्रासंगिक सामग्री को पढ़ने का दुष्परिणाम हिन्दी मीडियम को भुगतना पड़ रहा है।

फाउंडेशन बैच प्रारंभ
भारतीय राजव्यवस्था
By
डॉ.एम.कुमार

**21 OCT.
11:30 AM**
मुखर्जी नगर
(पोस्ट ऑफिस के ऊपर)

दर्शनशास्त्र

सबसे बेहतर वैकल्पिक विषय

एक दो को छोड़कर दर्शनशास्त्र के साथ हिन्दी माध्यम या Eng. Med. में सफल लगभग सभी अभ्यर्थी 'पतंजलि' संस्थान से हैं।

- सबसे छोटा सिलेबस, लाखों तथ्यों को रटने से छुटकारा
- रिवीजन में आसान • अंकदायी एवं सफलतादायी विषय • G.S और निकाध में बहुत उपयोगी

21 Oct 9:00 AM
निःशुल्क कार्यशाला

RAS
MAINS - 2016

प्रथम बैच
अक्टूबर
20 प्रातः 8 बजे

द्वितीय बैच
अक्टूबर
14 सायं 4 बजे

MPPCS
GWALIOR
CENTRE
Ph.: 9584392158



PATANJALI

Head Office: 202, 3rd Floor, Bhandari House, Above Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi

Ph:- 011-43557558, 9810172345

जीएसटी: अंतरराष्ट्रीय अनुभव

प्रभाकर साहू

अश्वनी बिश्नोई



भारतीय कर व्यवस्था की उलझनों और जटिलताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसे लागू करने में बहुत-सी चुनौतियां हैं। दो मुख्य चुनौतियां जो सरकार के सामने हैं उसमें राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) का निर्धारण और जीएसटी के लिए सीमा का निर्धारण है। यह देखना होगा की आरएनआर के सहारे सरकार का राजस्व उसी तरह बना रहे चाहे कर उधारी देनी हो। इसी प्रकार, सीमा रेखा का निर्धारण भी एक मुख्य चुनौती होगी, जिससे कर का अधिक भार छोटे व्यापरियों पर न जाये

भा

रत के सबसे अधिक प्रतीक्षित अर्थिक सुधार को, यानि, एक सरलीकृत और एक समान कर दर, भारतीय संसद ने 3 अगस्त, 2016 को पास कर दिया। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार, और 1991 की संरचात्मक सुधार के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार, संसद की दोनों सभाओं में 11 वर्षों के राजनीतिक निलंबन, विवाद और चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।

गुद्स एंड सर्विसेज कर (जीएसटी), जो 15 अलग केंद्रीय और राजकीय वस्तु और सेवा करों को समाहित करेगा, सारे राज्यों के अप्रत्यक्ष करों को एक साथ मिलाकर सम्पूर्ण भारत को एक संगठित बाजार का स्वरूप देगा। अप्रैल 2017 के आते ही, राज्यों के मध्य करों को लेकर कोई सीमा नहीं रहेगी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाले वर्षों में सफलता के आयाम गढ़ेगी, और अभी तक आर्थिक मामलों में वर्तमान सरकार की सबसे सराहनीय उपलब्धि रही है। लेकिन अभी भी जीएसटी दर, और क्रियान्वयन के मानदंड तय हाने हैं।

वर्तमान की केंद्रीय वैल्यू एडेंड कर सीजीएसटी और राज्य वैट में निरंतर व्यापक होते जाने का प्रभाव है। चूंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं, यह व्यवस्था उपभोक्ताओं पर करों की ऊंची दर, केंद्र और राज्य से विभिन्न कर क्रेडिट, और राज्यों के मध्य विभिन्न दरों से ग्रसित है। भारत में निवेशकों और उद्योगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, एक उलझी हुई कर व्यवस्था है जो कई स्तरों पर केंद्र और राज्यों में भिन्न है। इसमें सुधार और

संशोधन एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है, और उद्योगों और निवेशकों ने सुधार की मांग पिछले दशक से की है। करों को एक साथ समावेश होने से उसकी अदायगी का खर्च तो कम होगा ही, साथ ही निवेश पर एक बार में ही पूर्ण कर क्रेडिट ली जा सकेगी।

केंद्र और राज्यों के दोनों स्तर पर, वर्तमान वैट व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। केंद्रीय स्तर पर, कच्चे माल पर दिए गए कर को ही इनपुट कर-जमा माना जाता है, लेकिन उत्पादन के उपरांत हुए खर्चों पर दिए कर, कर नहीं। सेवा कर भी कुछ ही उत्पादों पर लगाया जाता है; अतः कुछ उत्पादों पर उत्पादन प्रक्रिया में सेवा करों को जमा करना मुश्किल है। वृहद् जीएसटी वस्तु और सेवा दोनों पर कर लगाएगी, अतः इस से निरंतर प्रपाती का प्रभाव कम हो सकेगा।

वर्तमान वैट व्यवस्था कई प्रकार की खामियों से ग्रसित है, जैसे, केंद्र को चुकता किये जा चुके आबकारी पर वापस से वैट लगाना, कई और अप्रत्यक्ष कर जैसे विलासिता और मनोरंजन करों का लगना, आदि, और इनपुट क्रेडिट का केंद्रीय बिक्री कर इनपुट क्रेडिट न लेने का प्रावधान। अतः एक वृहद् जीएसटी इस आवश्यकता सीजीएसटी और एसजीएसटी के नियमों को जोड़कर क्रेडिट्स के उपयोग के लिए है। कुल मिलाकर, दोनों कर दाता और सरकार एक सरल कर व्यवस्था से लाभ पाएंगे, निरंतर प्रपाती प्रभाव में कमी आएंगी, सामान्य बाजार का विकास होगा, कर-आधार वृहद् होगा, और अनुपालन करने के खर्च में कमी आएंगी।

प्रभाकर साहू दिल्ली स्थित आर्थिक संवृद्धि संस्थान (आईईजी) में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ईमेल: pravakarfirst@gmail.com
अश्वनी बिश्नोई कुरुक्षेत्र स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। ईमेल: ashwani.mbe@gmail.com

प्रस्तावित दोहरा जीएसटी केंद्र और राज्य के रूपों में, इस पुरानी व्यवस्था की जगह लेगा। सीएसटी को एक एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) से बदला जायेगा, जो वस्तु और सेवा के अंतर-राजकीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा, और वसूली केंद्र करेगा। आईजीएसटी वस्तु और सेवा के निर्यात और वस्तु और सेवा के अंतर-राजकीय जमाव स्थान्तरण पर लगेगा।

प्रस्तावित जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है, कर का बोझ मूल राज्य से उपभोगी राज्य पर चला जायेगा, और इसका परिणाम होगा कि उत्पादन करने वाले राज्यों की आय कम होगी। वैसे तो जीएसटी किसी भी राज्य की आय में आई कमी की भरपाई शुरूआती पांच वर्षों तक करेगा, लेकिन विकसित राज्यों के लिए ये समाचार ठीक नहीं, जिन्होंने आधारभूत संरचनाओं और अन्य अवयवों में निवेश करके उद्योग धंधों और निवेशकों को आकर्षित किया है। अतः उपभोगी राज्यों (जैसे, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और करेल) लाभान्वित होंगे, और उत्पादन मूल राज्य (जैसे तमिलनाडू, गुजरात, और महाराष्ट्र) को हानि होगी। सम्पूर्णता में, एक अप्रत्यक्ष कर भारत में एक सामान्य बाजार का निर्माण करेगा और अंतिम उपभोगता पर कर का भार कम पड़ेगा।

जीएसटी कुछ लाभदायक खंडों में लागू नहीं होगा (जैसे मानव उपभोग के लिए मद्यसार उत्पाद, बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद, रियल एस्टेट, आदि); राज्य इन पर विभेद्य कर लगायेंगे। तथापि, पेट्रोलियम उत्पाद जिनके मूल्य कर सामान्य बाजार मूल्य पर एक बड़ा प्रभाव होता है जीएसटी के अंदर लाया जायेगा, जैसे ही जीएसटी परिषद् इसकी तिथि घोषित करती है।

एक समान, सम्पूर्ण-भारत में लागू होने वाला जीएसटी समेकित इनपुट कर-जमा की प्रक्रिया दुरुस्त करेगा, करों के निरंतर प्रपात प्रभाव में कमी लाएगा और राज्यों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का सुगम परिचालन सुनिश्चित करेगा। यह उत्पादक उपक्रमों को बड़े पैमाने पर लागत को पूर्ति शृंखला और कच्चे माल में सहायक होगा, और वे अपना उत्पाद किसी अतिरिक्त कर बोझ के बिना बेच पाएंगे। इससे उत्पादन में

बड़े पैमाने पर लागत करने को बल मिलेगा। अंततः करोबारी मूल्य में कमी आएगी, और उपभोगताओं को लाभ मिलेगा।

वर्तमान की विभिन्न राज्यों में विभेद्य कर संरचना अलग-अलग कर्ताओं से अलग व्यवहार करती है। उत्पादन और संचालन के लिए निवेशकों को वही गंतव्य पसंद आते हैं जहाँ प्रशासनिक और कर दरों की न्यूनतम अड़चनें हों। अब यह भिन्न कर प्रोत्साहन व्यवस्था चली जाएगी जो 'मेक इन इंडिया' के लिए अच्छा होगा। अतः कर व्यवस्था को जीएसटी के सहारे सरलीकृत करना एक बड़ा परिवर्तन है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण सुधार, जैसे, भूमि अधिग्रहण और लचीले श्रमिक कानून पर अभी काम होना शेष है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि जीएसटी की कामयाबी एक सफल और मॉडल कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। समय के साथ, बहुत से देशों ने अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करके जीएसटी से मिलने वाले लाभ जैसे, विकास, आय, और कीमतों में स्थिरता पाई है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया,

जीएसटी कुछ लाभदायक खंडों में लागू नहीं होगा (जैसे मानव उपभोग के लिए मद्यसार उत्पाद, बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद, रियल एस्टेट, आदि); राज्य इन पर अवकल कर लगायेंगे। तथापि, पेट्रोलियम उत्पाद जिनके मूल्य कर सामान्य बाजार मूल्य पर एक बड़ा प्रभाव होता है जीएसटी के अंदर लाया जायेगा, जैसे ही जीएसटी परिषद् इसकी तिथि घोषित करती है।

कनाडा, और न्यूजीलैण्ड में बेहतर राजस्व वित्त, और कीमतों में स्थिरता दोनों लघु और मध्य अवधि में देखने को मिली है। ये जरूर है कि जीएसटी की ऊंची दर के कारण लागू होने के तुरंत बाद छोटी अवधि में मूल्य वृद्धि की समस्या आती है।


बहुत सी सेवाएं (जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और वाणिज्यिक और व्यापारिक सेवाएं) अब या तो कर नहीं लगाया जाएगा या कर दर कम होगी। अभी प्रस्तावित जीएसटी दर 18-22 प्रतिशत है, इसलिए इसके लागू होने

के उपरांत लघु अवधि में मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। अंतरराष्ट्रीय अनुभव या दिखता है कि मुद्रास्फीति में लघु अवधि के लिए वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसी कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी के अंतर्गत कर लगाया जाएगा जो पहले नहीं लगाया जाता था। जीएसटी संरचना में इसका भुगतान न करने वाले और व्यापार में बहुत मुश्किल आएगी क्योंकि उत्पादन इकाई से लेकर खुदरा विक्रेता तक सभी एक सम्मिलित आईटी आधारभूत संरचना के भीतर श्रृंखलाबद्ध होंगे। अतः एक तरफ जहाँ कर के बोझ में कमी आएगी और कर-आधार में विकास होने से कर से होने वाली आय में वृद्धि होगी, वहाँ दूसरी तरफ मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

विश्व में अभी तक लगभग 160 देशों ने वैट/जीएसटी लागू किया है। इन में से 7 देश एसिआन में हैं, एशिया में 19, यूरोप में 53, ओसेनिया में 7, अफ्रीका में 44, दक्षिण अमेरिका में 11, कॉरीबीयन, मध्य और उत्तर अमेरिका में 19। स्पष्ट तौर पर यूरोप में सबसे अधिक देशों ने वैट/ जीएसटी को लागू किया है। सबसे पहले फ्रांस ने इसे 1954 में, फिर जर्मनी ने 1968 में, और यूनाइटेड किंगडम ने 1973 में लागू किया। वस्तुतः इन में से अधिकांश देशों में जीएसटी एक एकीकृत कर व्यवस्था है, लेकिन कनाडा और ब्राजील ने भारत में प्रस्तावित जी.एस.टी की ही भाँति दोहरी व्यवस्था बनायी है। इन सभी देशों में मानक जीएसटी दर 16-20 प्रतिशत के मध्य है, ठीक वैसे ही भारत में इसे 18-22 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है।

अगर हम कुछ बड़े देशों, जैसे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, जापान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, आदि (तालिका- 1) को देखें, तो यह ज्ञात होता है कि इन देशों ने सभी समस्त आर्थिक सूचकांकों पर अच्छा प्रदर्शन किया है। जीएसटी के प्रकार हर देश में भिन्न हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूनतम तटस्थ, न्यूजीलैण्ड में अधिकतम तटस्थ, वहाँ कनाडा ने मध्यम प्रकार का चुनाव किया है। तालिका-1 में दिखाए गए सभी देशों ने जीएसटी को लागू करने के तुरंत बाद मूल्य वृद्धि को अनुभव किया है।

चित्र 1: कनाडा में जीएसटी और अन्य समस्ति आर्थिक सूचकांकों का प्रदर्शन



स्रोत: विश्व विकास सूचकांक, विश्व बैंक

तथापि, मध्यावधि में मूल्य सामान्य हो गए और उनमें कुछ वर्षों के उपरांत गिरावट भी आई। जैसे की तालिका-1 से पता चलता है इनमें अधिकांश देशों में वैट/जीएसटी के लागू होने के बाद मुद्रास्फीति दर निचले स्तर पर संयत हो गया, और सारे समस्ति आर्थिक सूचकांकों में जैसे, विकास दर, राजस्व संतुलन, चालू खाता संतुलन, कर-जीडीपी अनुपात, तरक्की हुई है, विशेषकर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैण्ड, कोरिया, सिंगापुर, और यूनाइटेड किंगडम। अतः एक सरल और एकीकृत कर संरचना से जैसे, जीएसटी ने इन देशों को अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाएं बनाने में सहायता की है। साथ ही सरकार के लिए अधिक राजस्व, और मूल्यों में स्थिरता लाने का भी काम किया है। हालांकि तालिका-1 में निम्नलिखित देशों के आर्थिक कार्य-संपादन में अंतर है, जो इन देशों में विकास के स्तर और जीएसटी के मॉडल को लागू करने के अंतर के कारण पाया गया है। यह जोड़ना उचित है, कि सभी समस्ति आर्थिक सूचकांक मात्र कर संरचना पर ही निर्भर नहीं करते, अपितु और भी संरचनात्मक, नीतिगत, और वृत्तिदान जैसे अव्ययों पर भी करते हैं।

बहुत से देशों में जीएसटी की सफलता को देखते हुए एशियाई देशों में मलेशिया ने अभी हाल में जीएसटी को लागू किया है, साथ ही चीन भी एक एकीकृत कर व्यवस्था पर काम कर रहा है। मलेशिया ने 1 अप्रैल,


2015 से मात्र 6 प्रतिशत का जीएसटी लागू किया है। दक्षिण एशियाई देशों, जैसे, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल आदि में 1990 या शुरूआती 2000 के दशक से वैट लागू किया गया है। भारत में लागू होने से पहले भी अधिकांश अफ्रीकी देशों में वैट लागू था, बस कुछ जैसे बुरुंडी, कांगो, गाम्बिया और मोजांबिक सेशेल्स आदि को छोड़कर जहां पिछले 7-8 वर्षों में इहें लागू किया गया है।

भारतीय संदर्भ की तरह, मात्र कनाडा में जीएसटी का दोहरा प्रारूप है। वैसे तो इसे लागू किये जाने को लेकर कनाडा में भीषण विरोध हुआ, लेकिन सारे राजनीतिक विरोधों की अवहेलना करके, कनाडा में इसे

लागू कर दिया गया। कनाडा सरकार ने एक व्यवहार मूलक कदम उठाते हुए लागू करने के उपरांत जीएसटी दर को निरंतर कम करने के लिए काम किया है। कनाडा में, जीएसटी ने उत्पादक बिक्री कर की जगह 1991 में ले ली थी। इसके भीतर अनेक उत्पाद जैसे किराने का सामान, रिहाइशी किराया, चिकित्सीय सेवाएं, और सेवाएं, जैसे वित्तीय सेवाओं को कर मुक्त रखा गया था। विकास, सरकारी वित्त, कर राजस्व, मूल्य स्थिरता आदि के सन्दर्भ में समस्ति आर्थिक प्रदर्शन जीएसटी के लागू होने के उपरांत बेहतर होता रहा। (चित्र-1) उसी प्रकार, ऑस्ट्रेलिया में भी जहां जीएसटी 2000 में लागू किया गया ऐसे ही कर राजस्व और करंट अकाउंट संतुलन में सकारात्मक प्रदर्शन सामने आया है। (चित्र-2)। न्यूजीलैण्ड वह एक और दूसरा देश से जिसने सफलता से यह 1986 में लागू किया। सभी देशों से अलग कुछ देश अपवाद भी हैं: जहां सभी प्रकार के भोजन को एक ही दर पर कर किया जाता है। यूरोपीय संघ में, जीएसटी को वैट की संज्ञा से जाना जाता है, जिसे 'आउटपुट वैट' (उत्पादन आपूर्ति पर लगने वाला), और 'इनपुट वैट' (एक कारोबारी के आपूर्ति प्राप्त करने पर दूसरे को चुकाया जाने वाला) कहते हैं। एक व्यापार अमूमन अपने कर राशि की पुनः प्राप्ति उसे आउटपुट वैट के सहारे, या अधिक हो जाने पर सरकार से पाकर कर लेता है।

तथापि बहुत से देशों को अपनी दरें

चित्र 2: ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी और अन्य समस्ति आर्थिक सूचकांकों का प्रदर्शन



स्रोत: विश्व विकास सूचकांक, विश्व बैंक

लागू होने के ठीक बाद बढ़ानी पड़ती हैं। यह भारतीय संदर्श में स्पष्ट है जहां कभी आय-तटस्थ दर पर 27 प्रतिशत पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब उसे व्यवहार में लेते हुए 16-18 प्रतिशत पर लाया गया है। यह आवश्यक है कि जीएसटी की सफलता के लिए एक उचित कर दर संरचना का पालन हो।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव से मिली सीख

जीएसटी लागू करने वाले सारे देशों के समने मुख्य चुनौती मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी की थी, क्योंकि एक बार कर दर पहले की तुलना में अधिक हो तो मूल्य में वृद्धि होना तय है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में जीएसटी के लागू होते ही 1994 में भारी मूल्य वृद्धि हुई थी। यह प्रशासकों के लिए आवश्यक कर देता है कि वह इसका ध्यान रखें कि कर लागू करने के बाद मूल्य वृद्धि कितनी होगी। मलेशिया ने कई हद तक मूल्य वृद्धि की इस जटिल समस्या को अपने घरेलू व्यापार और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ काम कर नियंत्रित किया था।

मलेशिया से एक और सीख यह भी मिलती है कि व्यापार उपक्रमों को खुद को जीएसटी के लिए तैयार होने में जल्दी दिखानी होगी। मलेशिया सरकार के द्वारा इस तैयारी के लिए डेढ़ साल देने के बाद भी, कड़े विरोधों का सामना करना पड़ा था। भारत में जिस तरह की वृहद् और जटिल जीएसटी मॉडल बनाने की प्रक्रिया सामने आई है, सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती होगी कि कैसे वह व्यापार उपक्रमों को जीएसटी के अनुरूप खुद को नौ महीनों के भीतर परिवर्तित करने का काम करवा पाती है, क्योंकि लागू करने की तिथि 1 अप्रैल, 2017 है।

आगे, लम्बे समय तक अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह रहा है कि जीएसटी का एक ऐसे केंद्रीय कर के रूप में आना जिसे सरकार के दो स्तरों पर लागू किया जाए, एक अनुपयुक्त और अव्यवहार्य कदम है। क्योंकि इसमें संगृहीत मूल्य का बढ़ना, अनुपालन मूल्य और कर भेद में अशांति, तथा केंद्रीय सरकार की उन शक्तियों में कमी आना जिससे समष्टि और पुनः वितरण

नीतियों पर असर पड़ेगा। (बर्ड एंड गेंद्रों 2007) एक उप-राष्ट्रीय जीएसटी को भी लागू करने की तकनीकी खामी अंतर-सीमा व्यापार को लेकर सामने आती है। अतः अधिकांश संघीय देशों ने वैट को संघीय स्तर पर लागू कर रखा है और राजस्व का बंटवारा उप-राष्ट्रीय सरकार के साथ किया जाता है। सबसे पहले इस तरह का वैट उप-राष्ट्रीय स्तर पर ब्राजील में मूल संदर्भ में लगाया गया था। यूरोपीय संघ ने वैट को गंतव्य सिद्धांत के आधार पर लगाया, लेकिन सीमाओं के आर-पार का व्यापार अभी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। (कीन, 2009; कांस्से, 2010) कनाडा का दोहरे वैट के साथ अनुभव जहां कर-आधार और दरों को सौहार्दपूर्ण करके रखा गया था यह

जीएसटी के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि किसी भी प्रकार की छूट को न्यूनतम रखने की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक दबाव समूहों के निरंतर छूट पाने के प्रयासों को दरकिनार करने मुश्किल काम है। तथापि सभी सम्मिलित राज्यों के साथ सुधारों को मदेनजर रखते हुए इन सूचियों को संवारा जा सकता है।

सूचित करता है कि यह व्यवस्था कारगर है।

जीएसटी के साथ अंतरराष्ट्रीय अनुभव यह बताता है कि किसी भी प्रकार की छूट को न्यूनतम रखने की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक दबाव समूहों के निरंतर छूट पाने के प्रयासों को दरकिनार करने मुश्किल काम है। तथापि सभी सम्मिलित राज्यों के साथ सुधारों को मदेनजर रखते हुए इन सूचियों को संवारा जा सकता है। छूट पाने वालों की सूची लम्बी रखने पर राज्यों की राजस्व स्वायत्ता, और कर आधार का फैलाव नहीं हो पायेगा, और इस कारण से एक इनपुट कर का एक वृहद् जमावड़ा नहीं होगा।

विभिन्न देशों में, न्यूजीलैण्ड ने न्यूनतम छूट दी है, और सबसे वृहद् जीएसटी को साकार किया है, लेकिन यह भारत जैसे देश में पालन करना संभव न होगा। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि छूट की मांग करने वाले राजनीतिक समूहों का प्रतिरोध किया जाये ताकि समानता, प्रशासनिक

सुलभता, क्षेत्रीय विकास, लघु उद्योगों के सहारे रोजगार निर्माण, आदि हो सके।

उपरोक्त अनुभवों के सहारे मिल रही सीख से यह स्पष्ट है कि आम जनता, व्यापार, और उपक्रमों के लिए जीएसटी को अपनाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन श्रेष्ठ योजना, और उद्योगों को दिया गया अधिक समय, व्यापार और प्रशासन के मध्य निरंतर संवाद, उद्योगों के साथ योजनाओं के क्रियान्वन पर विचार, एक उचित कर दर, विधायिकी दस्तावेजों का समय से प्रकाशन, इस सभी कदमों ने जीएसटी को सुगमता से लागू करने में बहुत से देशों में सहायता की है। अभिप्राय यह है कि जीएसटी एक सफल कर व्यवस्था के रूप में सामने आयी है, भले ही शुरूआती दौर में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा हो।

क्रियान्वन संबंधी मुद्दे

चूंकि अब संवैधानिक संशोधन की सबसे बड़ी अड़चन सामने नहीं रही, अब सुचारू रूप से लागू किये जाने के क्रियान्वन से संबंधित मुद्दों पर तुरंत से गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने का भरोसा दिलाया है। इसमें बहुत से मुद्दों पर विचार होना चाहिए। जीएसटी एक ऐतिहासिक बिल है। तथापि, भारतीय कर व्यवस्था की उलझनों और जटिलताओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इसे लागू करने में बहुत-सी चुनौतियां हैं। दो मुख्य चुनौतियां जो सरकार के सामने हैं उसमें राजस्व तटस्थ दर (आरएनआर) का निर्धारण और जीएसटी के लिए सीमा का निर्धारण है। यह देखना होगा की आरएनआर के सहारे सरकार का राजस्व उसी तरह बना रहे चाहे कर उधारी देनी हो। इसी प्रकार, सीमा रेखा का निर्धारण भी एक मुख्य चुनौती होगी, जिससे कर का अधिक भार छोटे व्यापारियों पर न जाये।

कुछ और भी चुनौतियां हैं, जो 1 अप्रैल, 2017 तक जीएसटी को लागू करने की राह में खड़ी हैं। इसमें एक बड़ी चुनौती है एक ऐसे वृहद् आईटी प्लेटफार्म का निर्माण करना जो जीएसटी की जटिलता को देखते हुए राज्य जीएसटी, केन्द्रीय जीएसटी, और सम्मिलित जीएसटी, को एक साथ नियंत्रित कर सके। कर अभियोग के मामले भी एक

तालिका 1: जी.एस.टी लागू करने वाले देशों का आर्थिक प्रदर्शन

देश	वर्ष	जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)						वित्तीय अंतराल (जीडीपी का प्रतिशत)					
		1961–70	1971–80	1981–90	1991–20	2001–10	2011–15	1961–70	1971–80	1981–90	1991–20	2001–10	2011–14
आस्ट्रेलिया	2000	5.09	3.02	3.42	3.32	3.05	2.64	-	0.11	0.04	-1.36	-0.14	-2.50
ब्राजील	1964	6.19	8.51	1.77	2.60	3.73	1.02	-	-	-3.39	-2.26	-2.37	-2.13
कनाडा	1991	5.21	4.06	2.67	2.87	1.87	2.13	-	-	-	-2.17	0.77	-0.16
फ्रांस	1954	5.57	3.64	2.49	2.10	1.22	0.85	-	1.16	-1.05	-4.50	-4.94	-4.21
जापान	1989	9.30	4.50	4.64	1.14	0.80	0.62	-	-3.32	-3.31	-	-4.01	-7.72
द. कोरिया	1977	8.71	9.05	9.74	6.63	4.44	2.96	-	-	1.53	1.90	1.49	1.69
मैक्सिको	1980	6.81	6.71	1.88	3.64	1.82	2.84	-	-	-2.55	-0.45	-	-
न्यूजीलैंड	1986	-	1.26	1.91	3.06	2.55	2.71	-	0.49	-2.47	-	1.41	-2.16
सिंगापुर	1994	9.35	9.09	7.79	7.19	5.91	3.96	-	-	10.51	14.95	5.75	8.92
ब्रिटेन	1973	3.06	2.14	2.95	2.44	1.62	2.10	-	-1.24	-0.70	-3.62	-4.90	-6.44
		चालू खाता अंतराल (जीडीपी प्रतिशत)						कर जीडीपी प्रतिशत के रूप में					
वर्ष	1961–70	1971–80	1981–90	1991–00	2001–10	2011–15	1961–70	1971–80	1981–90	1991–00	2001–10	2011–14	
आस्ट्रेलिया	2000	-	-	-5.56	-3.95	-5.32	-3.64	-	19.40	22.27	21.43	23.75	21.53
ब्राजील	1964	-	-4.40	-1.55	-1.93	-0.68	-3.32	-	-	12.01	11.31	15.39	14.50
कनाडा	1991	-1.91	-2.87	-2.28	-1.43	0.49	-3.00	-	-	-	14.16	13.07	11.75
फ्रांस	1954	-	0.23	-0.58	1.26	0.11	-0.84	-	18.45	19.32	20.45	22.12	22.74
जापान	1989	-	-	-	2.39	3.44	1.64	-	10.27	11.84	12.27	9.84	10.24
द. कोरिया	1977	-	-3.80	-0.74	0.60	1.64	5.12	-	-	13.35	13.08	14.23	14.44
मैक्सिको	1980	-	-4.69	-0.79	-3.28	-1.30	-1.93	-	-	11.78	9.53	-	-
न्यूजीलैंड	1986	-	-	-	-3.30	-4.32	-3.17	-	27.86	30.42	-	29.74	27.34
सिंगापुर	1994	-	-11.41	0.34	13.99	19.71	19.21	-	-	14.54	15.45	12.80	13.58
ब्रिटेन	1973	1.51	-0.30	-0.77	-1.33	-2.32	-3.99	-	23.02	24.26	25.33	26.33	25.52
		जीएसटी (राजस्व प्रतिशत)						मुद्रास्फीति (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि)					
वर्ष	1961–70	1971–80	1981–90	1991–00	2001–10	2011–15	1961–70	1971–80	1981–90	1991–20	2001–10	2011–15	
आस्ट्रेलिया	2000	-	21.10	23.12	20.04	24.03	23.37	2.47	10.45	8.13	2.22	3.01	2.30
ब्राजील	1964	-	-	24.17	25.09	31.02	25.99	-	-	-	-	6.69	6.72
कनाडा	1991	-	-	-	17.38	15.97	14.21	2.94	8.06	5.97	2.00	2.02	1.68
फ्रांस	1954	-	34.47	29.67	26.37	23.59	21.57	4.22	9.67	6.37	1.72	1.71	1.10
जापान	1989	-	22.22	19.38	13.87	31.78	37.04	5.80	9.10	2.06	0.84	-0.26	0.72
द. कोरिया	1977	-	-	34.72	32.33	28.01	24.88	-	16.48	6.39	5.10	3.19	1.90
मैक्सिको	1980	-	-	56.05	55.03	-	-	2.87	16.80	69.08	18.69	4.68	3.61
न्यूजीलैंड	1986	-	18.94	21.06	-	26.27	26.29	4.02	12.52	10.76	1.83	2.57	1.57
सिंगापुर	1994	-	-	16.00	17.07	22.83	24.49	1.19	6.72	2.28	1.73	1.62	2.53
ब्रिटेन	1973	-	26.23	29.99	32.80	31.32	32.98	-	-	-	2.69	2.10	2.27

एकीकृत व्यवस्था जीएसटी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले बनाये जाने होंगे। एक कुशल आईटी नेटवर्क भी बड़ी चुनौती है। सरकार ने अभी वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (एसटीएन) बना लिया है। जीएसटीएन को जीएसटी पोर्टल का विकास करना है जहां पंजीकरण, रिटर्न, आवेदन, कर भुगतान, आईजीएसटी निष्कासन आदि हो सकेंगे। एक सुचारू आईटी आधार की जरूरत होगी। बैंकिंग व्यवस्था में सुधार, आईटी प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, जीएसटी दर का अंतिम निर्धारण, कम विकसित और कम आय योग्य राज्यों के हितों की रक्षा, और वर्तमान और भविष्य के लिए राज्यों और केंद्र के राजस्व में संतुलन बनाये रखना कुछ और चुनौतियां हैं।

जीएसटी का सफलता से लागू होना एक उचित जीएसटी दर पर निर्भर है, जो आरएनआर है, और एक दुरुस्त और कागर आईटी आधारभूत संरचना जिससे संपूर्ण कर प्रशासन का निर्माण होगा। बहुत से सुझाव हैं कि राजस्व तटस्थ जीएसटी दर को 11-12 प्रतिशत के मध्य तय किया जाये। लेकिन आरइनआर पर बनी डॉ. अरविन्द सुब्रमन्यन (भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार) की अध्यक्षता वाली “आरएनआर और सामान्य बिक्री कर के संरचना” समिति (2015) ने सुझाव दिया है कि आरएनआर को 15 से 15.5 प्रतिशत के मध्य और मानक जीएसटी दर को 17-18 प्रतिशत के मध्य ही रखा जाये।

दूसरे, सरकार को एक सफल ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जीएसटी की सफलता के लिए एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट आईटी आधारभूत संरचना की जरूरत होगी। इतने कम समय में एक तेज गति वाली आईटी संरचना का उन भौगोलिक रूप से पिछड़े राज्यों में निर्माण बड़ी चुनौती है और भी, सम्पूर्ण कर प्रशासन का जीएसटी को सुलभता से चलाने के लिए निर्माण करना होगा।

अभी का यह प्रस्ताव जो राज्यों को राज्य जीएसटी लगाने की स्वतंत्रता देता है, एक एकीकृत जीएसटी की सम्भावना को कम कर रहा है। अतः जीएसटी परिषद्, जो अभी जीएसटी के सन्दर्भ में मुख्य संस्था है और राज्यों और केंद्र के प्रतिनिधियों से बनी है, को मिलकर हर राज्य के लिए एक जीएसटी दर पर मानना होगा। केंद्र के पक्ष में शक्ति के संतुलन का भी मुद्दा है, क्योंकि अभी जीएसटी परिषद् में केंद्र के पास एक-तिहाई मताधिकार है।

पहली बार सभी राजनीतिक पार्टियों ने एक साथ आकार जीएसटी बिल को पास करवाया है। यही नहीं एक प्रौढ़ कदम है बल्कि सरकार की एक बड़ी सफलता भी। जीएसटी को संसार का सबसे जटिल कर सुधार कहा जा रहा है, जहां, साढ़े सत्तर लाख कारोबार जीएसटी पोर्टल पर पंजीकृत होंगे, भुगतान करेंगे, निवेदन करेंगे, व्यापारी समुदाय के लिए यह एक रहत का कदम है क्योंकि अभी भी भारत में कर अनुपालन की प्रक्रिया काफी जटिल और महंगी थी। यह वार्कइ में एक बहुत सी जरूरी सुधार है।

लेकिन, एक तारगा तो जीएसटी के गुण स्पष्ट और अकाट्य हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके अवगुण इसके विस्तार में हैं। अब समय ही बताएगा कि यह कितना सफल होता है। □

SIHANTA
IAS

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास रजनीश राज बैच प्रारंभ 21 नवम्बर

प्रातः 9 बजे | सायं 6:30 बजे

प्रथम दो कक्षाएं निःशुल्क

विशेषताएं



क्रमशः:

उपरोक्त सभी प्रतिभागी इतिहास में श्रेष्ठ अंक के कारण ही कामयाब हुए।

संकल्पनात्मक विकास एवं लेखन शैली पर सवाधिक बल के कारण सिहान्ता के श्रेष्ठ अंकधारी

विष्णुकंत तिवारी -378 अंक राजेन्द्र मीणा -371 अंक

नरेश सैनी -376 अंक मयंक प्रभा -371 अंक

रामाशीष -376 अंक द्रोपसिंह मीणा -371 अंक

आलोक पाण्डेय -372 अंक विवेक अग्रवाल -368 अंक

क्रमशः:

ADMISSION OPEN

For Free Registration, SMS <Your Name> to 9555852468


visit us: www.sihantaias.com

Plot No. 8-9, Flat No. 301-302, Ansal Building,
Comm. Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9
011-42875012, 08743045487

परिष्कृत जीएसटीः कर सुधारों का स्वप्निल सफर

अश्विनी महाजन

GST से आपको क्या मिलेगा?



जीएसटी उपभोग आधारित कर है। यह अंतिम पड़ाव के सिद्धांत पर आधारित है। जहां वस्तु और सेवा का अंतिम पड़ाव यानि उपभोग होता है, वहां पर यह कर लगता है। हालांकि वस्तु और सेवा के उत्पादन (मूल्य संवर्धन) के हर स्तर पर जीएसटी वसूला जाता है और हर अगले पड़ाव में पिछले पड़ावों पर दिए गए कर को टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। पूर्ति की कड़ी के अंतिम पड़ाव यानि उपभोक्ता से पूरा जीएसटी वसूला जाता है और वह राजस्व में जमा किया जाता है।

लेखक पीजीडीएवी कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के अर्थशास्त्र विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अपने इकोनोमेट्रिक्स आदि पुस्तकों लिखी हैं। प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पर लेखन के साथ ही वह जर्नल ऑफ कंटम्पररी इंडियन पॉलिटी एंड इकनॉमी के मुख्य संपादक भी हैं। ईमेल: ashwanimahajan@rediffmail.com

प

रे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न प्रकार के तमाम करों को समाप्त करते हुए, जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के नाम से एक ही कर लागू करने का नीति-निर्माताओं का सपना तब पूरा हो गया जब राज्यसभा ने 4 अगस्त को इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि विपक्ष के विरोध के चलते राज्यसभा में जीएसटी बिल को पारित करना असंभव दिखाई दे रहा था। मगर सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सहमति होने से जीएसटी के रास्ते में रुकावटें खत्म हो गई। लोकसभा में इसे पारित करना महज एक औपचारिकता ही बच गई थी, जो बाद में पूरी हो गई। गौरतलब है कि विपक्ष जीएसटी विधेयक में कर की अधिकतम दर को शामिल करवाना चाहता था, जबकि सरकार का तर्क यह था कि संविधान में कर की दर शामिल करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा विपक्ष की यह भी मांग थी कि प्रस्तावित एक प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटाया जाना चाहिए। सरकार ने विपक्ष की दूसरी मांग को स्वीकार कर लिया, जबकि विपक्ष ने सत्ता पक्ष के तर्क को स्वीकार करते हुए जीएसटी की अधिकतम सीमा का अपना आग्रह छोड़ दिया।

जीएसटी का सफर

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम अधिनियम) को लागू करने हेतु श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाई थी। प्रत्यक्ष करों संबंधी सिफारिशों

के अलावा टास्क फोर्स ने केन्द्रीय स्तर पर अप्रत्यक्ष करों जैसे सेनेकेट, सेवा कर इत्यादि के स्थान पर एकल कर यानि वस्तु सेवा कर लगाने की सिफारिश की। विजय केलकर टास्क फोर्स ने इस संदर्भ में बड़ी सौदेबाजी (ग्रैंड बारगेन) का सुझाव दिया, जिसके अनुसार केन्द्र और राज्यों को एक साथ वस्तु एवं सेवा कर लगाने का अधिकार देने की बात की गई। चूंकि केन्द्र और राज्यों के बीच विभिन्न करों को लगाने के अधिकार का विभाजन हमारे संविधान में पहले से ही है, इसलिए इसमें इस प्रकार के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन जरूरी था, ताकि केन्द्र और राज्यों, दोनों को जीएसटी वसूल पाने का संवैधानिक अधिकार मिले।

राज्यों को यह डर था कि कुछ ऐसे कर हैं, जिनसे उन्हें खासी आमदनी प्राप्त होती है और यदि वे भी प्रस्तावित जीएसटी में विलीन हो जायेंगे तो उनका राजस्व प्रभावित हो सकता है। ऐसे में राज्यों की मांग पर कुछ करों को जीएसटी से अलग रखा गया, जैसे राज्यों द्वारा लगाया जा रहा आबकारी कर (शारब इत्यादि पर), पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर इत्यादि को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया है। जीएसटी की खास बात यह है कि अब राज्यों को भी सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार मिल गया है।

वर्तमान में भारत का अप्रत्यक्ष कर का ढांचा अत्यंत पेचीदा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर तरह-तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। ये सभी कर संविधान की दायरे में लगते हैं। गौरतलब है कि संविधान में केन्द्र और

राज्यों के बीच अर्थिक शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिसके अनुसार सीमा कर, शराब और स्थानीय स्तर पर बनने वाले कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। उसके अलावा केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर भी लगा रही है। उधर राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प इयूटी, बिजली के उपभोग, माल और यात्रियों के परिवहन इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार है। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो जाएंगे।

जीएसटी उपभोग आधारित कर है। यह अंतिम पड़ाव के सिद्धांत पर आधारित है। जहां कहीं वस्तु और सेवा का अंतिम पड़ाव यानि उपभोग होता है, वहीं पर यह कर लगता है। हालांकि वस्तु और सेवा के उत्पादन (मूल्य संवर्धन) के हर स्तर पर जीएसटी वसूला जाता है और हर अगले पड़ाव में पिछले पड़ावों पर दिए गए करों को टैक्स क्रेडिट के रूप में लिया जाता है। पूर्ति की कड़ी के अंतिम पड़ाव यानि उपभोक्ता से पूरा जीएसटी वसूला जाता है और उसे राजस्व में जमा किया जाता है।

अनुपालन

भारत में जहां छोटे-छोटे दुकानदार/व्यापारी और कुटीर उद्योग बहुतायत में हैं, जीएसटी का अनुपालन वर्तमान में अत्यंत कठिन जान पड़ता है। अभी तक एक तरफ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाकर है और दूसरी तरफ राज्य बिक्री कर, उत्पाद शुल्क इत्यादि की कई प्रकार की दरें पाई जाती हैं। राज्यों के बीच भी कर दरों में खासी भिन्नता पाई जाती है। जैसा कि प्रारंभ में यह सुझाव आया था कि अलग प्रकार की वस्तुओं/सेवाओं के लिए अलग-अलग दरें होंगी तो अनुपालन कठिन होगा। लेकिन यदि एक ही दर सभी वस्तुओं पर लागू होगी तो आवश्यक वस्तुओं, विलासित की वस्तुओं और निकष्ट वस्तुओं के बीच कोई भेद भी नहीं रहेगा, जो कर सिद्धांतों के अनुकूल नहीं होगा।

क्या हो जीएसटी कर की दर?

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने प्रारंभ में जीएसटी के लिए 27 प्रतिशत की दर का सुझाव दिया था। कुछ समय पहले संस्थान ने पुनराकलन करते हुए कहा था कि मानक दर 23 से 25 प्रतिशत के बीच में हो सकती है, जब वस्तुओं पर तीन दरों से कर लगें, जिसमें कुछ विशेष वस्तुओं पर कम कर और अधिकतर वस्तुओं पर मानक दर लागू होगी; और यदि एक ही दर पर जीएसटी लगाया जाता है तो जीएसटी की दर 18 से 19 प्रतिशत हो सकती है। उधर भारत सरकार के मुख्य अर्थिक सलाहकार अरविंद

जीएसटी एक नए प्रकार का कर तो है ही, साथ ही जीएसटी के अनुपालन में भारी मुश्किलें होने की आशंका है। मूल्य संवर्धन के हर स्तर पर कम्पूटरीकृत लेखा (कम्प्यूटराइज्ड एकाउटिंग) होना जरूरी है। किसी भी विक्रेता को पिछले स्तरों पर दिए गए तमाम करों का क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए बिक्री के साथ ही बिल काटना भी जरूरी होगा।

सुब्रपण्यम ने अधिकतर वस्तुओं पर मानक जीएसटी दर 17 से 18 प्रतिशत रखने और जीएसटी की तीन दरों का सुझाव दिया है। उनका आवश्यक वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, विलासित की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत और बाकी वस्तुओं पर 17 से 18 प्रतिशत तथा सभी सेवाओं पर 17 से 18 प्रतिशत कर का सुझाव है। ऐसा माना जाता है कि 17 से 18 प्रतिशत से ज्यादा जीएसटी लगाने से सरकार का राजस्व तो बढ़ सकता है, लेकिन यह कदम महंगाई बढ़ाने वाला अलोकप्रिय कदम साबित होगा। सरकार भी यह नहीं चाहेगी कि जीएसटी प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में आ जाए, इसलिए ऐसा लगता है कि सरकार 19 से 20 प्रतिशत जीएसटी लागू करने का प्रयास करेगी।

केन्द्र-राज्य संबंध न हों खराब

जैसा कि स्पष्ट है कि केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जा रहे वस्तुओं और सेवाओं पर तमाम प्रकार के कर (कुछ अपवादों को छोड़कर) जीएसटी में विलीन हो जाएंगे, जिसके कारण काफी बड़ी तादाद में राजस्व

पर प्रभाव पड़ने का भी अंदेशा है। संविधान में राज्यों के दायित्व उनके राजस्व की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। हालांकि वित्त आयोग द्वारा राज्यों के वित्त को विभिन्न प्रकार से पोषित करने का प्रयास होता है, लेकिन अचानक सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन होने से राज्यों पर यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं उनका राजस्व कम न हो जाए। राज्यों को इस हेतु आश्वस्त करने की दृष्टि से सरकार ने अगले पांच वर्ष में जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई करने का वचन दिया है। हालांकि इस हेतु राज्य आश्वस्त तो हो गए हैं, लेकिन अधिक राजस्व वाले करों जैसे पेट्रोलियम आदि पर कर को वो किसी भी हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

क्या है फायदा जीएसटी का?

जीएसटी के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि देश में तरह-तरह के अप्रत्यक्ष करों के कारण वस्तुओं की कीमतें बेजा ही बढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न स्तरों पर कर लगने से बार-बार वस्तु पर कर लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरती है, तो हर स्तर पर कर लगाया जाता है। उत्पादक और व्यापारी उपभोक्ता से केवल कर जितनी राशि ही नहीं वसूलते बल्कि उस पर लाभ भी उपभोक्ता से ही वसूला जाता है। मूल्यवर्धित कर प्रणाली इस समस्या का समाधान तो है, लेकिन सीमित रूप से, क्योंकि बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर समेत अलग-अलग प्रकार के कर तो लगते ही हैं।

विश्व बैंक ने जीएसटी को एक गेम चेन्जिंग अर्थिक सुधार कहा है। माना जाता है कि जीएसटी का सबसे ज्यादा लाभ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा, क्योंकि वे अपने लेखा पद्धति (एकाउटिंग सिस्टम) के कारण विभिन्न करों के विलीन होने का लाभ ज्यादा अच्छी तरह से उठा पाएंगी। इसलिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होते देख विश्व बैंक का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है, लेकिन जब हम छोटे उद्योगों की बात सोचते हैं तो उन्हें फायदा होता नहीं दिख रहा। छोटे

उद्योगों को अभी तक 1.5 करोड़ रुपये तक के उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त थी। अब लघु उद्योगों और लघु व्यवसायों पर यह छूट मात्र 20 लाख रखने का प्रस्ताव है। ऐसे में जीएसटी में छूट की सीमा 20 लाख होने के कारण, संभव है कि लघु उद्योगों की बढ़े उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा गैर-बाबर हो जाए। ऐसे में उनका आस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। लघु उद्योगों और लघु व्यवसायों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या करेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में जीएसटी बड़ों को लाभ और छोटों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि जीएसटी में छोटे उद्योगों को बचाने हेतु उचित संशोधन किए जाएं।

जीएसटीएन

देश में जीएसटी को लागू करने की पेचीदगियों को देखते हुए, यह जरूरी है कि इस हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी का संरचनात्मक ढांचा

और सेवाओं की उपलब्धता हो। इस बावत केन्द्र सरकार ने कुछ वर्ष पहले बिना लाभ के उद्देश्य वाली जीएसटी नेटवर्क नाम की एक कंपनी का गठन किया था, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों के भी शेर्य होंगे। इस बावत

जीएसटी प्रणाली में किसी भी वस्तु पर पहले से दिए गए करों के लिए टैक्स क्रेडिट का प्रावधान होता है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से वस्तु की कीमत उतनी ही बढ़ेगी, जितना उस पर कर लगाया जाता है।

कई अर्थशास्त्रियों द्वारा यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि करोड़ों करदाताओं की जानकारियां इस कंपनी के पास होने के कारण इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी निजी हाथों में होगी। उनका यह भी कहना है कि इस कंपनी का निजी हाथों में होना सही नहीं है और इसे सरकारी कंपनी के रूप में होना चाहिए, जिसके अंकेक्षण का

अधिकार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास हो।

कब होगा जीएसटी लागू?

हालांकि वित्तमंत्री का कहना है कि पहली अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू हो जायेगा, लेकिन जानकार इस बात से सहमत नहीं हैं। जीएसटी लागू करने के लिए आवश्यक तैयारी हेतु कुछ और समय आवश्यक होगा। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा था कि 2017 से इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा।

यह सही है कि जीएसटी लागू होने से कर प्रबंधन में कुशलता आएगी और सरकार को राजस्व का लाभ भी मिलेगा। करों की चोरी कम होगी और अकुशल कर प्रणाली के कारण अनावश्यक रूप से कीमतें बढ़ने की प्रवृत्ति भी कम होगी, लेकिन सरकार को जीएसटी लागू होने के बाद लघु उद्योगों और लघु व्यवसायियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखना होगा। □



SYNERGY

AN INSTITUTE FOR CIVIL SERVICES EXAMINATION

RANK-1 IN SUCCESSIVE 3 YEARS

RANK 1	
GAURAV AGGARWAL (RANK-1) CSE-2013	
HARITHA V. KUMAR (RANK-1) CSE-2012 SHENA AGGARWAL (RANK-1) CSE-2011	

TOP RANKERS IN 2015

ATHAR AAMIR-UL-SHAFI Khan RANK - 2 SHASHANK TRIPATHI RANK - 5 ASHISH TIWARI RANK - 6 KUMBHEJKAR YOGESH VIJAY RANK - 8			

TOP RANKERS IN 2014

SUHARSHA BHAGAT RANK-5 LOK BANDHU RANK-7 NITISH K. RANK-8			

PUBLIC ADMINISTRATION
CLASSROOM PROGRAMME
COURSE DURATION : 4 MONTHS

ETHICS INTEGRITY & APTITUDE
CLASSROOM PROGRAMME
COURSE DURATION : 45 DAYS

G.S. FOUNDATION TEST SERIES-2017
PRELIMS TEST SERIES-2017
PREPARATORY TEST SERIES-2017
STARTING IN 20TH OCTOBER

EMAIL:- info@synergy.edu.in | Website:- www.synergy.edu.in

STARTING FROM
17 Nov.

STARTING FROM
20 Oct.

HEAD OFFICE:
Mukh. Nagar:- 102, 1st Floor, Manushree Building,
Comp. (Behind Post Office), Delhi - 09 Ph: 011-27654518

BRANCH OFFICE:
Karol Bagh:- 16-A/2, 1st Floor, Ajmal Khan Road, W.E.A.,
New Delhi - 05 Ph: 011-25744391, 7835002750/46/49

IAS



PARAMOUNT IAS
Mission

A SEGMENT OF PARAMOUNT LEAGUE

PCS

सामान्य अध्ययन, CSAT एवं वैकल्पिक विषय

प्रस्तावित कोर्स

- प्रारंभिक परीक्षा ■ मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा ■ मुख्य परीक्षा ■ फाउंडेशन बैच

मुख्य आकर्षण

- गहन विश्लेषण ■ पाठ्यक्रम का व्यापक समाहित स्वरूप ■ प्रति दिवस टेस्ट आंकलन
- साप्ताहिक टेस्ट (मूलभूत, टॉपिक व समसामयिक विषयों के साथ अंतर वैषयिक उपागम)

भारत एवं विश्व का भूगोल राजीव सोभित्र, संजीव श्रीवास्तव, शशीम अनवर एवं पंकज सिंह	भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह	विश्व का इतिहास, आधुनिक भारत एस.एन. दुबे	नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि अमित कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, डॉ. सुरेन्द्र सिंह, एवं संजीव त्रिपाठी		
भारतीय अर्थव्यवस्था एस.के. झा, मनीष सिंह एवं उपेन्द्र अनगोल	भारतीय राजव्यवस्था वी.के. त्रिपाठी	गवर्नेंस राजीव रंजन सिंह	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उपेन्द्र अनगोल		
भारतीय विरासत एवं संस्कृति संजय सिंह (JNU)	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी रवि अग्रहरी, अर्चना राठौर	सामान्य विज्ञान के.पी. द्विवेदी	आजादी के बाद का भारत अनिल कुमार श्रीवास्तव	आंतरिक सुरक्षा आमोद कठ	अंतर्राष्ट्रीय संबंध नवाब सिंह सोमवंशी

प्रस्तावित वैकल्पिक विषय: भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र एवं समाजशास्त्र

"श्रद्धांजलि"

- उरी में भारतीय सैनिकों के बलिदान को Paramount Mission IAS की "श्रद्धांजलि"।
- शहीद जवानों (Defence, Para-Military & Police) का बलिदान देश के लिए अमूल्य है। पैरामाउंट के द्वारा अपनी परंपरा के अनुसार शहीद जवानों के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग की उपलब्धता।
- शहीद जवानों के बच्चों को दिल्ली में आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध।

सभी बलिदानी सैनिकों को पैरामाउंट परिवार पुनः नमन करता है।

- इसके अलावा अन्य छात्रों को Oct. 2016 से Dec. 2016 तक कोर्स में 40 प्रतिशत तक की अधिकतम छूट।

Batch Starts from
15 Nov, 2016

Head Office: 872, Ground Floor (near Batra Cinema), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

CONTACT US: 7900000111, 7900000222, 7900000333 • www.paramountcoaching.in • enquiry@paramountcoaching.in

जीएसटी एवं संवैधानिक असमंजस

जयंत रॉय चौधरी



जीएसटी संविधान संशोधन

और एफआरबीएम अधिनियम-
के माध्यम से राज्यों के
मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद
ऐसे राजनीतिक अधिकारी बन
जाएंगे जो अपने-अपने राज्यों
में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
करेंगे लेकिन उनके पास यह
सोचने का अधिकार नहीं होगा
कि इन कार्यक्रमों से कैसे धन
जुटाया जाए या केंद्र सरकार
की सहमति के बिना अपने
कार्यक्रमों का स्तर कैसे
बढ़ाया जाए

ब

हुप्रतीक्षित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का इरादा भारत को एकल बाजार में तब्दील करना है- ठीक उसी तरह जैसे समानांतर करों ने कनाडा और यूरोपीय संघ के बाजारों की कायापलट की थी। लेकिन भारत में इस इरादे का एक गैरइरादतन नतीजा भी होने वाला है: 'संघीय' कहलाने वाला भारतीय संविधान, जिसका झुकाव एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रति है, वह ऐसे संविधान के रूप में रूपांतरित हो सकता है जो संघ के पक्ष में पक्षपात करता है।

जीएसटी के पारित होने से पहले देश की मौजूदा कराधान प्रणाली के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और इसके कष्टकारक स्वरूप की धन्जियां उड़ाई गईं। कितने ही कारोबारियों ने एक देश, एक कर का बिगुल बजाया। यूं तो देश के बाजार के एकीकरण की प्रक्रिया वैट के साथ इस सदी के प्रारंभ में शुरू हुई। फिर भी, राज्य अपनी कराधान नीति के मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र थे जिनकी बजह उनकी अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन वैट देश की कर प्रणाली को दुरुस्त करने में असफल रहा। इसके बावजूद उपभोक्ताओं और व्यापारियों को कई तरह के कर चुकाने पड़ते थे। नतीजतन, भारत सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में गिना जाने लगा।

यह विरोध निश्चित रूप से कराधान की सहज प्रणाली की गैरमौजूदगी के कारण उभगा था। ऐसी प्रणाली व्यापार और वाणिज्य को सहज बनाने के लिए जरूरी है। बेशक जब आजादी और विभाजन के बाद

देश का संविधान लिखा जा रहा था तो ऐसी व्यवस्था तत्कालीन जरूरतों और परिवेश के अनुरूप तैयार की गई थी। विभाजन के कड़वे अनुभवों के कारण भारत ने यह फैसला किया था कि वह एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रति झुकाव रखने वाला संघ बनेगा। यह वह दौर था जब राजद्रोह की प्रवृत्तियां सिर उठा रही थीं और स्वतंत्र भारत अपने शेशव काल में था।

लेकिन तब भी कई राजनेता केंद्र और राज्यों के परस्पर हितों के टकराव की आशंका जता रहे थे। संविधान सभा के सदस्यों और स्वतंत्र पर्यवेक्षकों, दोनों का मानना था कि हम नए राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर अधिक जोर दे रहे हैं। एक लंबी बहस के बाद विहार के सांसद श्यामानंद सहाय ने कहा था, 'मुझे लगता है कि प्रांतों और केंद्र के बीच वित्तीय समायोजन के मामले में प्रांतों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। इस मामले में प्रांतों की स्थिति 1935 के अधिनियम के दिनों से भी बदलती है। केंद्र के मुकाबले प्रांतों की यह अधिक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे लोगों के जीवन को सुधारें। इस लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी अधिक है और विभिन्न उपाय करने का उनका दायरा भी बड़ा है। इसलिए कराधान के मामले में भी उन्हें पर्याप्त छूट मिलनी चाहिए।'

इसके साथ ही अति संघवाद की आशंका पर जबरदस्त बहस हुई पर इसे बन इंडिया की भावना के खिलाफ कहा गया। इसके बाद एक ऐसी संरचना उभरकर आई जिसमें विधायी और कराधान संबंधी शक्तियां प्रांतों

लेखक टेलीग्राफ में वरिष्ठ वाणिज्य संपादक हैं। पत्रकारिता में इनको 25 वर्षों का अनुभव है। आर्थिक और राजनीतिक आर्थिक विषयों पर लेखन में विशेषज्ञता हासिल है। यूके के ब्रेंडफोर्ड विश्वविद्यालय में विकास अर्थशास्त्र के शिविनंग फेलो रहे हैं। ईमेल : jrchowdhury@yahoo.com

के बजाय केंद्र के पास थीं। इसके बाद युनाइटेड प्रोविंस के सांसद पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने इस बहस में एकात्मकता के मुद्दे पर चर्चा की और कहा, ‘ऐसी व्यवस्था में प्रांतों की वित्तीय और प्रशासनिक स्थिरता बहुत हृद तक केंद्र पर निर्भर होगी। भले ही प्रांतों के दावे केंद्र सरकार को प्रभावित करें, लेकिन फिर भी प्रांतों द्वारा अधिक बड़े हिस्से की मांग करना अदूरदर्शिता ही होगी।’

आजादी के बाद कई वर्षों तक अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं जोकि पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के अनुकूल काम करती थीं इसलिए किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ। 1960 के दशक में जब राज्यों में वैकल्पिक सरकारें अस्तित्व में आई तो विभिन्न प्रकार की चुनौतियां खड़ी हुई। संघीय इकाइयों के लिए अधिक से अधिक शक्तियों की मांग की गई। पश्चिम बंगाल में माकपा की सरकार और आंध्र प्रदेश में एनटी रामा राव की सरकार इसके कुछ उदाहरण हैं।

मौजूदा समय में राज्यों के पास विभिन्न करों, शुल्कों और प्रभारों के माध्यम से वस्तुओं और व्यवसायों पर कर लगाने का अधिकार है। बदलते समय के साथ राज्यों ने बहुत चतुराई से राजस्व कमाने के लिए कानूनों के अस्पष्ट मसौदों का लाभ उठाया है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल उस कोयले पर प्रभार वसूलता है जो उसकी सीमा के बाहर बेचा जाता है। दूसरे कई राज्य सीमा पार से आने वाली वस्तुओं पर प्रवेश कर वसूलते हैं। इसीलिए उपभोक्ता या कारोबारी हर जगह पर अलग तरह के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं।

हालांकि राज्यों की अधिक कर वसूलने की क्षमता से उनको अपने लिए अधिक संसाधन जुटाना सहज है और इनकी मदद से वे विशिष्ट समस्याओं को दूर करने में कामयाब हुए हैं। इसीलिए तमिलनाडु जैसे राज्य ने जीएसटी की कई धाराओं का विरोध किया था। इसके पीछे राज्य का यह तर्क था कि तमिलनाडु अपनी कराधान प्रणाली से अर्जित राजस्व का उपयोग सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को लागू करने में करता है।

यह सच है कि दक्षिणी भारतीय राज्यों ने सामाजिक स्तर पर उल्लेखनीय कार्य किया है— उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के मानक दूसरे

राज्यों के मुकाबले अच्छे और कई ओर्इसीटी देशों के बराबर हैं। अर्थशास्त्री ज्ञां द्रेज के शब्दों में ‘केरल और तमिलनाडु न केवल समग्र विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, बल्कि दूसरे राज्यों की तुलना में उनके सुधार की गति भी अधिक है।’

राज्य ही नहीं, नगर निगम भी स्वतंत्र रूप से कई तरह के टैक्स वसूलते हैं और अच्छा खासा राजस्व अर्जित करते हैं। जैसे सिर्फ

जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य फार्मूले के आधार पर विभाजित किया जाएगा। मंत्रालय ने तर्क दिया है कि नई कराधान प्रणाली के लागू होने के बाद स्थानीय निकाय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर समाप्त हो जाएंगे और स्थानीय निकायों को एक विशाल राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ेगा।

चुंगी की वसूली करने से मुंबई नगर निगम काफी मालदार बन चुका है। जीएसटी के आने के बाद उनकी आय खत्म हो जाएगी और कर वसूलने की ताकत भी। इसी के महेनजर शहरी विकास मंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी में राज्यों का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा शहरी स्थानीय निकायों को दिया जाना चाहिए।

जीएसटी केंद्र और राज्यों के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य फार्मूले के आधार पर विभाजित किया जाएगा। मंत्रालय ने तर्क दिया है कि नई कराधान प्रणाली के लागू होने के बाद स्थानीय निकाय कर, चुंगी और अन्य प्रवेश कर समाप्त हो जाएंगे और स्थानीय निकायों को एक विशाल राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त जीएसटी संशोधन अधिनियम के बाद कराधान की शक्ति एक ऐसे निकाय को हस्तांतरित हो जाएगी जो निवाचित नहीं होगा। जीएसटी परिषद संघ और राज्यों के लिए कर की दरों को निर्धारित करेगी और इसे देश भर में लागू किया जाएगा। अगर जीएसटी परिषद में वोटिंग पावर के वेटेज की बात न भी की जाए तो भी यह एक सच्चाई है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सांसदों और विधायकों की बजाय, इस परिषद के पास

देश भर में वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को निर्धारित करने की सर्वोच्च विधायी शक्ति होगी। संक्षेप में यह परिषद मतदाताओं द्वारा निवाचित सुपरबॉडी के समान होगी। अधिनियम के तहत गठित यह निकाय है जीएसटी परिषद।

यही नहीं, राज्यों द्वारा वसूले जाने वाले विभिन्न करों को जीएसटी में समाहित करने और केंद्र को आय एवं शेष मुद्दों से संबंधित कराधान की शक्ति देने का एक नुकसान यह होगा कि राज्य यह कहने का अधिकार भी खो बैठेंगे कि उनके राज्य में किस किस्म के कर वसूले जा सकते हैं।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम राज्यों द्वारा बांड या बाजार ऋण से जुटाई जाने वाली धन राशि की सीमा भी निर्धारित करता है। यह उपाय बहुत जरूरी था, अन्यथा भारतीय राज्यों की ऋणग्रस्तता की प्रवृत्ति ऐसी है कि ग्रीस को भी शर्मसार कर दे। इस उपाय में डॉ. बी.सी.रॉय, सर विश्वेश्वरैया और प्रताप सिंह कैरो जैसी शख्सियतों को प्रतिबंधित करने की क्षमता है जिन्होंने कर्ज के जरिए अपने राज्यों के विकास की असामान्य जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया।

इन दो अधिनियमों— जीएसटी संविधान संशोधन और एफआरबीएम अधिनियम— के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ऐसे राजनीतिक अधिकारी बन जाएंगे जो अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेंगे लेकिन उनके पास यह सोचने का अधिकार नहीं होगा कि इन कार्यक्रमों से कैसे धन जुटाया जाए या केंद्र सरकार की सहमति के बिना अपने कार्यक्रमों का स्तर कैसे बढ़ाया जाए।

‘संप्रभुता’ की बहस की जड़ में टैक्स लगाने की शक्ति है। अमेरिकी क्रांति के दौरान इस मुद्दे के उठाया गया था जहां कर वसूलने का काम राज्य करते थे। वित मंत्री अरुण जेटली, जोकि खुद संविधान के एक जानकार वकील हैं, ने बहुत चतुराई से इस आपत्ति का जवाब दिया: जिन लोगों को यह महसूस होता है कि वे अपनी संप्रभुता का समर्पण कर रहे हैं, वे दरअसल केंद्र में राज्यों की संप्रभुता कासमागम कर रहे हैं।

हालांकि यह भी समझना होगा कि विश्व के बहुत से देश यह नहीं मानते

कि जीएसटी कराधान प्रणाली के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अमेरिका में भी जीएसटी लागू नहीं है। इसका कारण संभवतः उसका संघीय ढांचा है। वहां के संघीय अधिकारियों, राज्यों और नगरपालिका प्रशासन द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स तो किसी भी अनजान व्यक्ति को हैरत और परेशानी में डाल सकते हैं। भारत के विपरीत वहां प्रत्यक्ष कर राज्यों द्वारा वसूले जाते हैं। हमारे यहां इन्हें केंद्र द्वारा वसूला जाता है और फिर निर्धारित फॉर्मूले के तहत राज्यों के साथ साझा किया जाता है।

अमेरिका में राज्य और स्थानीय कर योग्य आय, राज्य के कानून के तहत निर्धारित होती हैं। हालांकि यह अक्सर संघीय कर योग्य आय की गणना पर आधारित होती है। फिर भी कुछ मामलों में ऐसा नहीं है। वहां राज्य ही कर योग्य आय या वैकल्पिक करों की गणना के उपाय तय करते हैं। यह व्यवस्था भ्रम पैदा करती है क्योंकि यह व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले करों की कुल मात्रा हो सकती है जोकि अमेरिका की जीडीपी का

24.8 प्रतिशत है। भारत में यह मात्रा 16.6 प्रतिशत के बराबर है।

कनाडा में जीएसटी नब्बे के दशक में लागू किया गया था। वहां राज्यों के पास प्रत्यक्ष करों को वसूलने की शक्ति है जबकि केंद्र के पास अप्रत्यक्ष करों को वसूलने की। इसीलिए जीएसटी के लागू होने से राज्य की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

अब देखना यह है कि भारतीय राजनीति

जीएसटी कराधान प्रणाली के लिए रामबाण की तरह काम करेगा। अमेरिका में भी जीएसटी लागू नहीं है। इसका कारण संभवतः उसका संघीय ढांचा है। वहां के संघीय अधिकारियों, राज्यों और नगरपालिका प्रशासन द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स तो किसी भी अनजान व्यक्ति को हैरत और परेशानी में डाल सकते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन की चुनौती से कैसे निपटेंगी। क्या यह कराधान की नई प्रणाली को स्वीकार करेगी या किसी

नई व्यवस्था के लिए छटपटाहट को प्रदर्शित करेगी।

अगर राज्य किसी ऐसी वित्तीय मॉडल को तलाशने को फैसला करते हैं जो कम बाधा पैदा करे तो वे ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को चुन सकते हैं जहां 75 प्रतिशत कर संघीय या राष्ट्रमंडल सरकार द्वारा उगाहे और एक व्यवस्थित तंत्र द्वारा वितरित किए जाते हैं। भारत में वित्त आयोग के समान ही यह तंत्र काम करता है। इसके अतिरिक्त कनाडा का मॉडल भी चुना जा सकता है जिसके तहत राज्य केंद्र से अप्रत्यक्ष कर वसूलने की शक्ति की अदला-बदली कर सकते हैं और प्रत्यक्ष कर वसूल सकते हैं। यह भी मंजूर न हो तो राज्य किसी नई प्रणाली को भी विकसित कर सकते हैं।

भविष्य में भारत का कराधान कानून कैसा होगा, इस पर भारतीय राजनीति को अपने अनूठे ढंग से सोचना होगा। हालांकि आने वाले वर्षों में जीएसटी नए सिरे से भारत के संघीय संबंधों की परिभाषा करता रहेगा। □

ॐ साई राम ॐ

MOST TRUSTED OPTIONAL IN UPSC / BPSC

मैथिली साहित्य

by Dr. Shekhar Jha

(मंथन IAS ACADEMY)

(2006 से अब तक मैथिली साहित्य से 95% रिजल्ट हमारे संस्थान से)

OUR SUCCESS IN UPSC - 2015



Our Gem



Highest Marks 283 Avg. Marks 230

60 Days
150 hours classes



REGULAR CLASS TIME : 9:30 am 6:30 pm
& WEEKEND BATCH
Special batch for BPSC | कक्षा लेखन प्रशिक्षण से प्रारम्भ



Our Gem



Our Gem

THE COUNCIL™

A-19, IIIrd Floor, Priyanka Tower, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

9968548859, 8527345701, 8750908833

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): कुछ प्रश्न

जीएसटी क्या है? यह कैसे काम करता है?

जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जिससे भारत एक संगठित बाजार बन जाएगा।

जीएसटी सीधे विनिर्माता से उपभोक्ता तक वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगने वाला एकल कर है। प्रत्येक चरण में दिए जाने वाले कर, मूल्य वृद्धि के बाद उपलब्ध होंगे, जिससे जीएसटी मूल्य वृद्धि वाले चरणों पर ही लगने वाला कर होगा। इस तरह अंतिम उपभोक्ता से आपूर्ति श्रृंखला के सिर्फ अंतिम विक्रेता द्वारा लगाया गया जीएसटी लिया जाएगा।

जीएसटी के फायदे क्या हैं?

❖ जीएसटी के फायदे संक्षेप में इस तरह हैं:

❖ व्यापार और उद्योग के लिए

• आसान अनुपालन: एक मजबूत और व्यापक सूचना

• प्रौद्योगिकी (आईटी) तंत्र भारत में जीएसटी व्यवस्था की बुनियाद होगा। इससे पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि सेवाएं जिन पर कर दिया जाता है, वे करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे इसका अनुपालन करना आसान और पारदर्शी होगा।

• कर की दरों और संरचनाओं में एकरूपता: जीएसटी यह सुनिश्चित करेगा कि देशभर में अप्रत्यक्ष की दरें और संरचनाएं एक जैसी हो, जिससे व्यापार करने में निश्चितता का माहौल बढ़ेगा और सुगमता होगी। दूसरे शब्दों में, जीएसटी से देश में व्यापार करने के स्थान के चुनाव के बिना व्यापार करना कर निष्पक्ष बन जाएगा।

• प्रत्येक चरण में लगने वाले कर का हटना: देश में कहीं भी एक जैसे कर की निर्बाध व्यवस्था से प्रत्येक चरण में लगने वाला कर कम से कम होगा। इससे व्यापार करने में छिपे हुए कर कम होंगे।

❖ प्रतिस्पर्धा में सुधार: व्यापार में लेन-देन, लागत में कमी से अंततः व्यापार और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगा।

• विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ: जीएसटी में केन्द्रीय और राज्य स्तरीय करों को एक व्यवस्था के अंतर्गत लाकर, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर और केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध करके स्थानीय स्तर पर बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और भारतीय निर्यातकों को बढ़ावा मिलेगा। देश भर में कर की दरों और प्रक्रियाओं में एकरूपता से अनुपालन लागत को कम करने में एक लंबा रास्ता तय होगा।

❖ केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए

• सरल और सुगम प्रशासन करना: मजबूत आईटी तंत्र से लैस जीएसटी से केन्द्र और राज्य स्तर पर लगने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष कर हट जाएंगे। केन्द्र और राज्य स्तर पर अभी तक लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों के मुकाबले जीएसटी को प्रशासित करना सरल और आसान होगा।

• कर चोरी पर बेहतर नियंत्रण: मजबूत आईटी तंत्र होने के कारण जीएसटी कर अनुपालन में बेहतर साबित होगा। मूल्यवृद्धि के क्रम में एक चरण से दूसरे चरण तक लगने वाले कर लेन-देन निर्बाध होने के कारण जीएसटी के प्रारूप में ऐसी व्यवस्था निहित है जिससे व्यापारियों द्वारा कर अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा।

• उच्च राजस्व क्षमता: जीएसटी से सरकार की कर राजस्व को एकत्रित करने की लागत में कमी आने की उम्मीद है और इससे राजस्व एकत्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी।

❖ उपभोक्ता के लिए

• वस्तुओं और सेवाओं पर एकल और पारदर्शी कर: केन्द्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के कारण आज देश में ज्यादातर वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कई कर छिपे होते हैं। जीएसटी के तहत विनिर्माताओं से उपभोक्ता तक केवल एक ही कर होगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता तक दिए जाने वाले कर पारदर्शी होंगे।

• कर के समस्त बोझ में राहत: क्षमता बढ़ने और कर चोरी को रोकने के कारण ज्यादातर वस्तुओं पर कर का समस्त बोझ कम होगा, जिसका उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

जीएसटी: एक देश, एक कर

शिशिर सिन्हा



101वें संविधान संशोधन के बाद, पहली बड़ी उपलब्धि जीएसटी परिषद की स्थापना है। केंद्र और राज्यों को मिलाकर बनी यह परिषद जीएसटी के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसे न केवल जीएसटी से जुड़े पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए बल्कि विवादों के निपटारे के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री की अध्यक्षता वाली इस महत्वपूर्ण परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त एवं राजस्व मामलों के प्रभारी वित्त राज्यमंत्री तथा राज्यों के कराधान एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

“मुझे यकीन है कि जीएसटी के लागू होने से, संघीय प्रारूप के तहत देश के आर्थिक प्रबंधन में उत्कृष्ट बदलाव आएगा। इससे राज्य सशक्त होंगे। इसके माध्यम से राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होने के साथ ही केंद्र सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। कर चोरी से लोग परेहज करेंगे और कर चोरी के प्रति हतोत्साहित होंगे, अतः कर चोरी का स्तर बहुत कम हो जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि कर पर अन्य कोई कर नहीं है। अब माल पर लगने वाले करों की शृंखला नहीं होगी, जिससे कुछ उत्पादों की कीमत में भी कमी आएगी। इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जो इस महत्वपूर्ण चरण में अत्यावश्यक है।”

-केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा राज्यसभा में 3 अगस्त, 2016 को संविधान संशोधन विधेयक (वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित) पेश करते समय दिए गए भाषण के अंश

उपरोक्त भाषण के साथ वित्त मंत्री ने स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वाकांक्षी कर सुधार, वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी की शुरुआत के लिए लंबे इंतजार को खत्म किया। अब जबकि 122वां संविधान संशोधन विधेयक (101वां संशोधन) कानून बन चुका है, जो केंद्र और राज्य को समान रूप से जीएसटी लगाने के लिए सक्षम बनाता है, तो इसके आने के बाद भारत वित्त वर्ष 2017-18 में एक नई कर व्यवस्था यानि जीएसटी के साथ प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तदनुसार, भारत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के रूप में जीएसटी को अपनाने वाले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया जैसे चुनींदा देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा। अब, अगले वर्ष 1 अप्रैल से जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने जेट गति से प्रक्रिया निर्धारित की है। सबसे पहले, केंद्र और राज्यों की शीर्ष संस्था वस्तु एवं सेवा परिषद, न केवल स्थापित हो चुकी है बल्कि अपने प्रारंभिक बैठकों में ही महत्वपूर्ण निर्णय भी ले चुकी है। दूसरा,

जीएसटी को सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हर तरह की सहायता देने के लिए जीएसटी नेटवर्क पूरी तरह चालू हो चुका है। तीसरा, आदर्श जीएसआर कानून सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, जिसे अंततः सहायक विधानों में परिवर्तित किया जाएगा। और, चौथा, सरकार का लक्ष्य 22 नवंबर, 2016 तक जीएसटी दर, दरों में छूट की सीमा और जीएसटी के लिए महत्वपूर्ण नियमों को अंतिम रूप देना है।

जीएसटी क्या है?

जीएसटी एक सरलीकृत कर संरचना है जो वस्तुओं और सेवाओं, दोनों पर लागू होता है। आपूर्ति के लिए आवश्यक अधिग्रहीत इनपुट पर लगने वाले किसी कर के लिए क्रेडिट अनुमति के साथ यह एक मूल्य वर्धित कर है जो आपूर्ति शृंखला में सभी बिंदुओं पर लगाया जाएगा। यह वस्तुओं के निर्माण पर या माल की बिक्री पर या सेवाओं के प्रावधान पर, कर की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होगा। यह

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। अग्रणी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया समूहों के साथ कार्य कर चुके हैं। ईमेल: hblshishir@gmail.com

मूल आधार पर कर की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर एक गंतव्य आधारित कर होगा।

संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए, देश दोहरे जीएसटी यानि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) को अपनाने की ओर बढ़ रहा है। अर्थात् केंद्र और राज्य दोनों के लिए कर का आधार समान हो जाएगा। एक एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) भी होगा। यह वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा। यह केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाएगा जिससे क्रेडिट शृंखला बाधित नहीं होगी। वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्यीय आपूर्ति में शामिल किया जाएगा और इस पर लगने वाले सीमा शुल्क के अलावा आईजीएसटी भी लागू होगा। इन तीनों के लिए दर का निर्धारण जीएसटी परिषद द्वारा किया जाएगा।

जीएसटी क्यों?

विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं पर करों की बसूली के लिए कानून बनाने हेतु संविधान में केंद्र और राज्यों को अलग-अलग अधिकार दिए गए हैं, जिससे भारत में करों की बहलता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार को वस्तुओं के निर्माण (मानव उपभोग के लिए शराब, अफीम, नशीले पदार्थों आदि को छोड़कर), पर कर कानून बनाने के साथ ही नियम बनाने का अधिकार दिया गया है जबकि राज्यों को वस्तु के व्यापार पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इस मामले में केंद्र सरकार के पास दो विशिष्ट अधिकार हैं: पहला, इसके पास अंतर-राज्यीय बिक्री (हालांकि, यह कर राज्यों द्वारा एकत्र किए जाते हैं और उनके पास ही रखे जाते हैं) है और दूसरा, केवल केंद्र सरकार ही सेवाओं पर कर लगा सकती है जिसे सेवा कर कहते हैं।

इस तरह की व्यवस्था में पूरी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली ही जटिल बन जाती है। यही नहीं, इसके कई नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी को कर अनुपालन के लिए कई रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रखने पड़ते हैं। इससे व्यापार लागत में वृद्धि होती है साथ ही यह कारोबार करने में आसानी के बुनियादी सिद्धांत के विरुद्ध है। इसी तरह, करों की बहलता से कर पर कर

लगता जाता है और उपभोक्ता के लिए वस्तु महंगी होती चली जाती है। अब जीएसटी के रूप में केवल एक ही कर लगेगा जिससे कर अनुपालन आसान और सस्ता हो जाएगा। इस प्रकार व्यापार करना भी सुगम हो जाएगा। इसी तरह, क्षतिपूर्ति के रूप में पहले के चरणों में जमा कर राशि के साथ चूंकि जीएसटी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास पहुंचने के दौरान सभी चरणों पर लगाया जाएगा, यह करों पर कर विसंगति को दूर करेगा। ऐसा माना जाता है कि नई कर व्यवस्था माल पर समग्र कर बोझ को उल्लेखनीय रूप से कम करेगी (जो वर्तमान में 25-30 प्रतिशत के बीच है) नतीजतन उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं सस्ती होंगी।

जीएसटीएन

जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए आईटी आधारित सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने वस्तु एवं

जीएसटी वस्तु के उत्पादन से लेकर अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास पहुंचने के दौरान सभी चरणों पर लगाया जाएगा, यह करों पर कर विसंगति को दूर करेगा। ऐसा माना जाता है कि नई कर व्यवस्था माल पर समग्र कर बोझ को उल्लेखनीय रूप से कम करेगी (जो वर्तमान में 25-30 प्रतिशत के बीच है) नतीजतन उपभोक्ताओं के लिए सामान सस्ता हो जाएगा।

सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की स्थापना की है। यह धारा 25 के तहत गैर-लाभकारी, गैर-सरकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जीएसटीएन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 24.5 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी समेत राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की हिस्सेदारी दूसरे, स्थान (24.5 प्रतिशत) पर है। शेष हिस्सेदारी गैर-सरकारी वित्तीय संस्थानों के पास है। कंपनी का दायित्व है:

- केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए आम और साझा आईटी आधारित सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना।

- एक कुशल और उपभोक्ता अनुकूल जीएसटी पारिस्थितिकी प्रणाली बनाने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ भागीदारी।
- हितधारकों को सरल सेवाएं प्रदान करने और जीएसटी अनुप्रयोगों को समान रूप से बढ़ाने के लिए जीएसटी सुविधा प्रदाताओं (जीएसपी) को प्रोत्साहित करना और उनके साथ सहयोग करना।
- अनुसंधान करना, बेहतर प्रणाली के अध्ययन और कर अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना।
- अनुरोध किए जाने पर केंद्र और राज्य सरकारों के कर विभागों को कुशल समर्थन सेवाएं प्रदान करना।
- केंद्रीय एवं राज्य कर प्रशासन के लिए करदाता रूपरेखा उपयोगिता (टीपीयू) विकसित करना।
- कर प्रशासन प्रणाली की कर अनुपालन और उसकी पारदर्शिता में सुधार लाने में कर अधिकारियों की सहायता करना।
- अनुरोध किए जाने पर केंद्र व राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को प्रासांगिकता वाली अन्य सेवाएं देना।

जीएसटी परिषद

101वें संविधान संशोधन के बाद, पहली बड़ी उपलब्धि जीएसटी परिषद की स्थापना है। केंद्र और राज्यों को मिलाकर बनी यह परिषद जीएसटी के लिए एक शीर्ष निकाय है। इसे न केवल जीएसटी से जुड़े पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए बल्कि विवादों के निपटारे के लिए अधिकृत किया गया है। केंद्रीय वित्तमंत्री की अध्यक्षता वाली इस महत्वपूर्ण परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त एवं राजस्व मामलों के प्रभारी वित्त राज्यमंत्री तथा राज्यों के कराधान एवं वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रभारी रूप से, परिषद में केंद्र सरकार की ओर से अध्यक्ष सहित दो सदस्य, 29 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (विधायिका वाले) से एक सदस्य शामिल होंगे। इस प्रकार सदस्यों की कुल संख्या 33 होगी। केंद्रीय राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के पदेन सचिव होंगे जबकि परिषद की समस्त कार्यवाही के लिए केंद्रीय उत्पाद एवं

तालिका 1: वस्तु एवं सेवा कर-आधारभूत मुद्रे, सम्मिलित किए जाने वाले कर/शुल्क

केंद्र से	राज्य से	जीएसटी से बाहर जिस	बाद में शामिल होने वाले जिस	अन्य
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	राज्य वैट	मानव उपभोग के लिए शराब	कच्चे पेट्रोलियम तेल	जीएसटी तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार के पास इन उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार होता है।
आबकारी (औषधीय और शौचालय निर्माण) के कर्तव्य	केंद्रीय बिक्री कर	बिजली	मोटर स्प्रिट (पेट्रोल)	जीएसटी के लागू होने के बाद, यदि राजस्व की हानि होती है तो: पहले पांच साल के लिए राजस्व नुकसान होने की स्थिति में उसका पूरा मुआवजा।
आबकारी का अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्व का सामान)	खरीद कर	रियल एस्टेट	हाई स्पीड डीजल	आयात: माल और सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और आईजीएसटी देश में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर लगाया जाएगा।
आबकारी का अतिरिक्त शुल्क (कपड़ा और वस्त्र उत्पाद)	ऐश्वर्य कर		प्राकृतिक गैस	निर्यात: निर्यात शून्य दर्जा आपूर्ति के रूप में समझा जाएगा।
सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सामान्यतः सीबीडी के रूप में जाना जाता है)	प्रवेश कर (सभी प्रकार के)		विमानन टरबाइन ईंधन	माल और सेवाओं की सूची को छूट दी जा सकती है। छूट की सूची को छोटा रखने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं पर छूट के बारे में फैसला जीएसटी परिषद करेगी।
सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी)	मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों को छोड़कर)		इन उत्पादों के लिए वैट की मौजूदा प्रणाली और बिक्री कर जारी रहेगा	जीएसटी की शुरुआत से पहले क्या केंद्र दो कानूनों, (पहला सीजीएसटी से संबंधित है और दूसरा एसएसटी से संबंधित) को अधिनियमित करेगा। राज्य और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेश एसजीएसटी से संबंधित कानून लागू करेंगे। ये साधारण कानून हैं और संसद/राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत द्वारा पारित किए जा सकते हैं।
सेवा कर	विज्ञापनों पर कर			
वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है उपकर और अधिभार	लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर			
	वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य उपकर और अधिभार			

सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) के अध्यक्ष स्थायी आमंत्रित सदस्य (मताधिकार के बिना) होंगे।

परिषद जीएसटी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्रों जैसे जीएसटी के अधीन या इससे बाहर रखे जाने वाले सामान एवं सेवाओं, मॉडल जीएसटी कानूनों, आपूर्ति स्थल की निगरानी वाले सिद्धांतों, सीमा, बैंड के साथ न्यूनतम नियत दर सहित जीएसटी दरों, प्राकृतिक आपदाओं/आपदाओं के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरों, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, आदि पर संघ और राज्यों के लिए सिफारिशों करेगा।

परिषद का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से न्यूनतम तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाएगा। अब, मतदान समूह की संरचना इस

प्रकार की गई है कि न तो केंद्र और न ही सभी राज्य मिलकर बीटो कर सकते हैं। केंद्र सरकार के मत का मूल्य कुल पड़े मत का एक-तिहाई होगा और सभी राज्य सरकारों (विधायिकाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों सहित) के मतों का मूल्य कुल मतदान का दो-तिहाई होगा। किसी भी निर्णय के लिए कुल मतों के कम से कम तीन-चौथाई की आवश्यकता होगी।

जीएसटी परिषद द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय

परिषद ने अपनी प्रथम दो बैठकों में, कुछ बड़े फैसले लिए:

सीमा: जीएसटी के लिए छूट सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बहरहाल, 7 पूर्वोत्तर राज्यों (অসম, মেঘালয়, মণিপুর, নগালাংড়, মিজোরম, অরুণাচল

प्रदेश और सिक्किम) और 3 पहाड़ी राज्यों (জম্মু-কश्मीर, উত্তরাখণ্ড ঔর হিমাচল প্রদেশ) में কারোबার के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य राज्यों में सालाना 20 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारी जबकि पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों में सालाना 10 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाले व्यापारी जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। विशेषज्ञों ने इसे सही ठहराते हुए कहा है कि इससे छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाले कई व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के उपक्रमों को जीएसटी अनुपालन से छूट मिलेगी और साथ ही कर अधिकारियों को भी छोटे समय के व्यापारियों का आकलन करने के भारी बोझ से मुक्ति मिलेगी।

परस्पर सशक्तीकरण: केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक शक्तियों के बट्टवारे के मामले में बीच का रास्ता अपनाने का फैसला किया गया है। इस बिंदु पर सहमति व्यक्त की गई है कि 1.5 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों पर राज्य विशेष नियंत्रण रखेंगे। वहीं 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर राजस्व वाले व्यापारियों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के दोहरे नियंत्रण और दोहरे अधिकार होंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि सेवा कर हेतु पंजीकृत

पहले मार्गदर्शक सिद्धांत के मुताबिक जीएसटी के कार्यान्वयन से वर्तमान कराधान की दर धीरे-धीरे अपने मौजूदा स्तर से नीचे आ जाएगी, इस प्रकार यह नागरिकों के ज्यादा अनुकूल है। दूसरे सिद्धांत का प्रावधान है कि कराधान उचित रूप से उतना पर्याप्त होना चाहिए जिससे कि राजस्व के वर्तमान स्तर को बनाए रखा जा सके और केंद्र व राज्य की सरकारें बिना धन के अभाव से घिरे अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम हों।

सभी मौजूदा 11 लाख व्यापारियों (किसी भी राजस्व स्तर वाले) पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होगा।

संरचना योजना: संरचना योजना पर एक आम सहमति बन गई है। यह निर्णय लिया गया कि आरटीएस 50 लाख तक के सकल कारोबार वाले व्यापारियों को 1-2 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा। इस तरह की योजना छोटे व्यापारियों की सुविधा के लिए है। इस योजना के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लाभ के बिना एक करदाता साल भर के दौरान अपने कारोबार के प्रतिशत के रूप में कर का भुगतान करेगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के लिए कर की न्यूनतम नियत दर 1 प्रतिशत से कम नहीं होगी। लेकिन निर्माण के विकल्प का चयन करने वाले करदाता अपने ग्राहकों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लेंगे। अंतर-राज्य की

आपूर्ति करने वाले करदाता या वापसी शुल्क के आधार पर कर का भुगतान करने वाले कर रचना योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्षेत्र के आधार पर छूट: वर्तमान में 7 पूर्वोत्तर राज्यों से इतर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को क्षेत्र आधारित छूट मिलती है। कंपनियों को मुश्किल हालात में संयंत्र स्थापित करने के लिए करों में इस तरह की छूट दी जाती है। अब अगले वर्ष से शुरू होने वाली जीएसटी की व्यवस्था में क्षेत्र के आधार पर उत्पाद शुल्क में छूट जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इसे रिफिंड के रूप में दिया जाएगा न कि छूट के रूप में। यह सहमति बनी है कि जीएसटी के तहत छूट वाली सभी संस्थाओं पर कर की वसूली की जाएगी। तब कर प्राप्त करने वाले केंद्र या राज्य इसे छूट वाली चीजों पर क्षतिपूर्ति के रूप में वापस करेंगे। राज्य अब विशिष्ट औद्योगिक छूट, जिसे वे जारी रखना चाहते हैं के बारे में फैसला करेंगे। किन छूटों को जारी रखा जाएगा या वापस किया जाएगा, इसका सटीक विवरण तैयार किया जाएगा।

जीएसटी दरें

वित्त मंत्री की अधिकार प्राप्त समिति ने जीएसटी की दरों को अंतिम रूप देने के लिए दो मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुझाव दिया और अब ये जीएसटी परिषद के लिए भी मार्गदर्शक बन गए हैं।

यह माना जाता है कि जीएसटी परिषद अंतिम दरों पर पहुंचने से पहले इन दोनों सिद्धांतों का पालन करेगी। यह भी उम्मीद है कि दरें चार प्रकार की होंगी।

- मेरिट दर: आवश्यक वस्तुएं या सेवाएं
- मानक दर: सामान्य वस्तुएं या सेवाएं
- विशेष दर: कीमती धातुएं
- शून्य दर: छूट प्राप्त वस्तुएं या सेवाएं

इस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए कि जीएसटी से न सिर्फ उद्योग/व्यवसाय या व्यापार समुदाय लाभान्वित होंगे बल्कि इससे आम जनता को भी लाभ होगा। यदि नई प्रणाली करों की बहुलता को कम करने जा रही है, तो व्यापक/दोहरे कराधान को कम किया जाए, विशेष रूप से नियंत्रित के लिए करों का अधिक कुशल निर्धारण और साझा राष्ट्रीय बाजार विकसित किया जाए। तब उपभोक्ताओं के लिए कर प्रणाली सरल सिद्ध होगी, जहां उपभोक्ता, करों की श्रृंखला से मुक्ति मिलने, देश भर में वस्तुओं की एकसमान दर, कराधान प्रणाली में पारदर्शिता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से वस्तु एवं सेवाओं की दर में कमी आने की उम्मीद कर सकता है। जीएसटी की शुरुआत होने से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

अध्ययन से पता चलता है कि इससे जीडीपी में तुरंत 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। कर आधार के बढ़ने, व्यापार की मात्रा में वृद्धि और बेहतर कर अनुपालन से केंद्र और राज्यों को राजस्व लाभ होगा। यह कर प्रणाली अपने पारदर्शी चरित्र के कारण प्रशासन के लिए आसान होगी। यह भी याद रहे कि, जीएसटी के कार्यान्वयन से व्यापार में आसानी वाले दरों की सूची में भारत की रैकिंग में सुधार होगा, जिससे विदेशी निवेशकों को देश में अधिक से अधिक पैसा लाने में मदद मिलेगी। □

कृपया ध्यान दें

सदस्यता संबंधी पूछताछ अथवा पत्रिका प्राप्त न होने की स्थिति में
कृपया वितरण एवं विज्ञापन
व्यवस्थापक से इस पते पर संपर्क करें:

वितरण एवं विज्ञापन व्यवस्थापक

प्रकाशन विभाग, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन

सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,

नई दिल्ली-110003, फोन नं: 011-24367453

ई-मेल: pdjucir@gmail.com

समतामूलक कराधान की ओर

हरिकिशन शर्मा



भारतीय कर प्रणाली व्यापक परिवर्तन के दोर से गुजर रही है। प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर वैयक्तिक आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने, प्रौद्योगिकी के जरिए कर प्रशासन पारदर्शी व जवाबदेह बनाने, कॉर्पोरेट कर की दर चरणबद्ध घटाकर 30 से 25 प्रतिशत के वैश्विक स्तर पर लाने और तर्कसंगत ढंग से कर छूटें समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। परोक्ष कर व्यवस्थाक में भी आमूलचूल बदलाव होने जा रहा है। बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रैल 2017 से लागू होने जा रहा है। जीएसटी एक ऐसा सुधार है जो संभवतः आधुनिक वैश्विक कर इतिहास में अद्वितीय है।

आ

जादी के बाद अब तक का सबसे बड़ा कर सुधार करार दिए जा रहे जीएसटी के लागू होने पर केंद्र सरकार के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और राज्य सरकारों के वैट, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी व प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर और लॉटरी व सट्टेबाजी इत्यादि पर परोक्ष कर समाप्त हो जाएंगे। साथ ही परोक्ष कर छूट के रूप में मिलने वाले प्रोत्साहनों का तरीका भी बदल जाएगा।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में भारतीय कर प्रणाली में हो रहे बदलावों विशेषकर मौजूदा कर छूटों के अब तक अनुभव तथा आने वाले समय में उनकी प्रासंगिकता पर विचार करना सामायिक एवं समीचीन होगा। साथ ही यह अवसर इस बात पर भी विचार करने का है कि क्या हमारी कराधान प्रणाली भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप एक ऐसे समाज का निर्माण करने में सहायक रही है जिसमें आर्थिक विषमताएं शून्य हों? अब तक का अनुभव बताता है कि सरकार ने समय पर कुछ प्रदेशों और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के साथ तरजीही बर्ताव कर विभिन्न प्रकार की कर छूटों के माध्यम से प्रोत्साहित करने के उपाय किए हैं लेकिन ये प्रयास अब तक नाकाफी साबित हुए हैं। आज भारत भले ही दुनिया की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में वैश्विक पटल पर चमकता सितारा बनकर उभरा हो लेकिन आर्थिक विकास के मामले

में तेजी से बढ़ती वैयक्तिक एवं क्षेत्रीय विषमताएं भी कड़वी हकीकत है। कराधान सिर्फ व्यय को वित्त पोषित करने का तरीका ही नहीं है बल्कि यह वह कड़ी है जो नागरिकों को राज्यतंत्र से दोतरफा जवाबदेही के रिश्ते में बांधती है। ऐसे में यह उचित अवसर है देश में कराधान की प्रणाली को समतामूलक बनाया जाए और कर छूटों के रूप में प्रोत्साहन इस प्रकार लक्षित किए जाएं जिससे गांव-शहर व गरीब-अमीर के बीच बढ़ती खाई को पाटकर और विकास के मानचित्र पर उभरते क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके।

समतामूलक कराधान की जरूरत क्यों?

भारत में समतामूलक कर प्रणाली की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दो दशक पूर्व आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत के बाद विकास दर तो अभूतपूर्व गति से बढ़ी लेकिन आर्थिक वृद्धि समावेशी न होने के कारण देश में आय असमानताएं कम होने के बजाय बढ़ती चली गयीं। इसका प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हालिया रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 1990 में भारत का गिनी कोफिशियंट 45 था जो 2013 में बढ़कर 51 हो गया है। गिनी कोफिशियंट विषमताओं का सूचक होता है। भारत में विषमताएं ऐसे समय बढ़ी हैं जबकि दुनिया के कई हिस्सों में विषमताओं में कमी आयी है। देश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताएं देखने को अगर उपभोग को आधार माना जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। उपभोग के मानदंड पर ग्रामीण

लेखक वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। यूएनडीपी-नीति आयोग फेलोशिप ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग 2015, जर्मनी-इंडिया मीडिया एम्बेस्डर 2015, इन्क्लुजिव मीडिया फेलोशिप 2010, आदि के तहत विकास विषयक शोध कर चुके हैं। ईमेल: hari.scribe@gmail.com

क्षेत्रों में राज्यों के बीच क्षेत्रीय विषमताएं 1974 से 1994 के दौरान कम हुई लेकिन 2000 के बाद बढ़ी हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी अंतरराज्यीय विषमताएं बढ़ी हैं। वास्तव में बीते दशकों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे देश के बीच असमानताएं कम हुई हैं लेकिन देश के भीतर विषमताएं बढ़ी हैं। यहीं वजह है कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक विषमताओं को कम करना भी है। इसलिए आज समय की जरूरत है कि प्रस्तावित जीएसटी की दरें तय करने और जीएसटी से छूट की सीमा तय करते वक्त देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को मिटाने के लक्ष्य को केंद्र में रखा जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि 'एक देश, एक कर' के सिद्धांत पर लागू हो रहा जीएसटी इस लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएगा।

कर छूटों की अवधारणा

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और समाज के अलग-अलग वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए कर प्रोत्साहनों की अवधारणा भारत में बहुत पुरानी है। आधुनिक कर व्यवस्था प्रभाव में आने से हजारों वर्ष पूर्व प्राचीन कालीन राज व्यवस्था में भी हमें कर छूटों का प्रचलन देखने को मिलता है। महान नीतिज्ञ कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में कोश संचय के उपायों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अनुपजाऊ जमीन पर खेती करने वाले लोगों को कर छूट के माध्यम से राज सहायता देकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का विचार भी दिया। कौटिल्य ने लिखा-

'धान्य पशुहिरण्यादिनिविशमानाय दद्यात्।' अर्थात् "नए बसने वाले किसानों को अन्न, बैल, पशु और धन सरकार की ओर से सहायतार्थ दिया जाए।"

साथ ही कौटिल्य ने सीमावर्ती राज्यों तथा विषम परिस्थितियों वाले प्रदेशों से राज्यकर न वसूलने का विचार भी दिया- "दुर्ग सेतु कर्म वणिकपथ शून्यप निवेशखनिद्रव्यवहस्तिवन कर्मोपकारिणं प्रत्य- न्तवमल्पीप्रमाणं वा न याचेत।" अर्थात राजा को कोश संचय करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि जो जनपद मिलें, मकानों, व्यापारिक मार्गों, खाली मैदानों, खानों और लकड़ी-हाथी के जंगलों

द्वारा राजा तथा प्रजा का उपकार करते हों और जो प्रदेश राज्य की सीमा पर हों और जिनके पास अन्न बहुत थोड़ा हो, उनसे राज्य कर न लिया जाए। इसके अलावा कौटिल्य ने विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाने और गरीबों के उपयोग की वस्तुओं को कर के दायरे से बाहर रखने की जरूरत की ओर भी राज्य व्यवस्था का ध्यान आकर्षित किया।

आजादी के बाद भारतीय कर नीति के केंद्र में यह विचार रहा और समय-समय पर सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को टैक्स में छूट दी। फिर भी निवेशाभाव और दुर्गम भू-भाग और विशिष्ट परिस्थितियों के चलते देश के कई क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। इस असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर के

प्रस्तावित जीएसटी की दरें तय करने और जीएसटी से छूट की सीमा तय करते वक्त देश में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को मिटाने के लक्ष्य को केंद्र में रखा जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि 'एक देश, एक कर' के सिद्धांत पर लागू हो रहा जीएसटी इस लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाएगा।

तीन पर्वतीय और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में क्षेत्राधारित विशेष छूट दी। हालांकि इन टैक्स छूटों से राज्यों को कितना लाभ पहुंचा यह बहस का विषय है।

कर छूटों का अब तक अनुभव

किसी भी कर प्रणाली का मुख्य उद्देश्य, सरकारी खर्चों को वित्त पोषित करने के लिए राजस्व जुटाना होता है। जुटाए गए राजस्व की राशि मुख्यतः सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती है। इन दो कारकों का निर्धारण विशेष कर दरों, कर छूटों, कटौतियों, कर रियायतों और टैक्स क्रेडिट जैसे उपायों से होता है। इन सभी उपायों को समेकित रूप से कर प्रोत्साहन या कर वरीयता कहा जाता है। सरकार के राजस्व पर इनका प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति को

भी परिलक्षित करते हैं। इसलिए कर नीति न सिर्फ कारगर बल्कि पारदर्शी भी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से आजादी के छह दशक बाद तक भारत में प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के रूप में दिए जा रहे प्रोत्साहनों के संबंध में पारदर्शिता का लंबे समय तक अभाव रहा। विभिन्न प्रकार की कर छूटों से सरकार के खजाने पर पड़ रहे राजस्व प्रभाव को दर्शाने वाली पारदर्शी व्यवस्था नहीं थी।

वित्त वर्ष 2006-07 के आम बजट में पहली बार कर छूटों और प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का व्यौरा दिया गया। हाल के वर्षों में इन कर छूटों की प्रासंगिकता को लेकर भी प्रश्न उठे हैं। सवाल उठना लाजिमी है क्योंकि कर प्रोत्साहनों का राजस्व पर प्रभाव काफी व्यापक है। वित्त वर्ष 2014-15 में केंद्रीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के चलते सरकार के खजाने पर 554349.04 करोड़ रुपये का राजस्व प्रभाव पड़ा। दूसरे शब्दों में कहें तो इतनी राशि सरकार के खजाने में आ सकती थी लेकिन विभिन्न प्रकार की कर छूटें दिए जाने के कारण यह विशाल राशि छोड़नी पड़ी। इस राशि में साल दर साल कमी आने के बजाय तेजी से वृद्धि हो रही है। सरकार का अनुमान है कि कर प्रोत्साहनों के चलते पड़ने वाला राजस्व प्रभाव वित्त वर्ष 2015-16 में बढ़कर 6,11,128.31 करोड़ रुपये हो गया।

कर प्रोत्साहनों के चलते खजाने पर पड़ने वाले राजस्व प्रभाव का मामला संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक चर्चा का विषय बना है और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों ने इसे अभीरों को दी जा रही सम्बिंदी करार देते हुए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े किए हैं। यह तर्क कुछ हद तक सही भी लगता है कि क्योंकि यह राशि सरकार के योजनागत आवंटन के लगभग बराबर है। वित्त वर्ष 2014-15 में योजना गत आवंटन 5,75,000 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2015-16 में 4,65,277 करोड़ रुपये रहा है। योजनागत आवंटन मुख्यतः सरकार के जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए ही किया जाता है जिनका अंतिम उद्देश्य समाज के बंचित वर्गों को विकास की मुख्याधारा में आगे बढ़ाना होता है। ऐसे में तर्क दिया जाता है कि अगर कर

प्रोत्साहनों के रूप में छोड़ी जा रही यह राशि सरकार के खजाने में आती तो जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को वित्तपोषित कर वित्तीय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सकता था। दूसरी ओर करों में छूट का लाभ सिर्फ संपन्न वर्ग को मिल रहा है। हालांकि सरकार की दलील है कि विभिन्न प्रकार की टैक्स छूट के रूप में किए जा रहे कर व्यय से राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का यह मतलब नहीं है कि सरकार ने इस राजस्व को छोड़ दिया हो। इसके बजाय इन्हें निश्चित क्षेत्रों के प्रोत्साहन के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जाना चाहिए। कुछेक मामलों में कर व्यय के माध्यम से ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी द्वारा प्रोत्साहित आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलाप ऐसे प्रोत्साहनों के न मिलने पर संभवतः नहीं हो पाते या इतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाते।

तालिका 1: प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

(राशि करोड़ रुपये में)

कर प्रकार	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2015-16
कॉरपोरेट टैक्स	65,067.21	68,710.98
व्यक्तिगत	53,525.83	59,928.33
आयकर		
कुल	1,18,593.04	1,28,639.31

स्रोत: प्राप्ति बजट, 2016-17

तालिका-2: परोक्ष कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

(राशि करोड़ रुपये में)

कर प्रकार	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2015-16
उत्पाद शुल्क	1,96,789	2,24,940
आयात शुल्क	2,38,967	2,57,549
कुल	4,35,756	4,82,489

स्रोत: प्राप्ति बजट, 2016-17

यह तर्क काफी हद तक सही भी है क्योंकि अब तक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और वस्तुओं को तरजीही बर्ताव के आधार पर मिलने वाली टैक्स छूटों का लाभ संपन्न वर्ग ने ही उठाया है। मसलन सोना धनी लोगों के इस्तेमाल की वस्तु है लेकिन इस पर टैक्स बिल्कुल नगण्य है। केंद्र और राज्य मिलाकर सोने पर मुश्किल 1 से 1.6

प्रतिशत है जबकि सामान्य वस्तुओं पर टैक्स की दर लगभग 26 प्रतिशत है। यहां तक कि केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क सोने पर शून्य है जबकि सामान्य वस्तुओं पर यह 12.5 प्रतिशत है। इस तरह सोने पर टैक्स छूट के चलते अमीरों को करीब 4093 करोड़ रुपये सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा

निवेशाभाव और दुर्गम भू-भाग और विशिष्ट परिस्थितियों के चलते देश के कई क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। इस असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तर के तीन पर्वतीय और पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में क्षेत्राधारित विशेष छूट दी। हालांकि इन टैक्स छूटों से राज्यों को कितना लाभ पहुंचा यह बहस का विषय है।

सोना और हीरों पर आयात शुल्क के चलते खजाने पर वित्त वर्ष 2014-15 में 44,926 करोड़ रुपये का भारी भरकम राजस्व प्रभाव पड़ा है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हवाई ईंधन एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) का है जिस पर केंद्र और राज्यों के करों को मिलाकर कर कुल कर भार मात्र 20 प्रतिशत है जबकि पेट्रोल और डीजल पर कर का बोझ 50 से 60 प्रतिशत है। इस तरह एटीएफ पर टैक्स में करीब 30 प्रतिशत छूट है जिससे सरकारी खजाने को 762 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इस छूट का लाभ भी अमीरों को मिल रहा है। वहीं प्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर कॉरपोरेट टैक्स में मिलने वाली छूट का लाभ भी अधिकतर बड़ी कंपनियों ने उठाया है।

कॉरपोरेट टैक्स की दर वैसे तो 30 प्रतिशत है लेकिन विभिन्न प्रकार की कर छूटों के बाद वित्त वर्ष 2014-15 में कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर मात्र 24.67 प्रतिशत ही रही। इसमें भी 500 करोड़ रुपये से अधिक कर पूर्व लाभ (प्रॉफिट बिफोर टैक्स) अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर सिर्फ 22.88 प्रतिशत थी जबकि एक करोड़ रुपये से कम कर पूर्व लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की प्रभावी दर 29.37 प्रतिशत है। खास बात यह है कि

इस तरह की कंपनियों की संख्या बहुतायत में है। एक पहलू यह भी है कि कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर निजी कंपनियों के लिए कम जबकि सार्वजनिक कंपनियों के लिए अधिक देखी गयी है।

जहां तक उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को मिल रही क्षेत्र आधारित टैक्स छूटों का प्रश्न है तो वित्त वर्ष 2014-15 में इनका सरकार के खजाने पर 19,978 करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ा। इन राज्यों को इस छूट से कितना फायदा हुआ है, इसे लेकर भी समय-समय पर सवाल उठे हैं। जिन राज्यों को इस तरह की छूट नहीं मिली है, उन्होंने इसका विरोध भी किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में भी इस तरह की टैक्स छूट की समीक्षा करने की जरूरत पर बल दिया था। वहीं तेरहवें वित्त आयोग की एक टास्क फोर्स ने भी क्षेत्र आधारित सेनेकेट की छूट को जीएसटी लागू होने पर खत्म करने की सिफारिश की। टास्क फोर्स का कहना था कि अगर क्षेत्रीय विकास में संतुलन साधने के लिए टैक्स छूट देना अत्यंत जरूरी हो तो, यह सीधे निवेश-संबद्ध कैश सब्सिडी देना ज्यादा उचित होगा।

आगे का रास्ता

इस तरह कर प्रणाली में बदलावों को दिशा देते समय कर छूटों और प्रोत्साहनों पर भी नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। सरकार ने कारपोरेट टैक्स की दर चरणबद्ध ढंग से घटाकर 30 से 25 प्रतिशत पर लाने तथा कारपोरेट क्षेत्र को मिल रही टैक्स छूटों को वापस लेने की घोषणा कर इस दिशा में कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। सरकार ने इस क्षेत्र को मिल रही करीब 62,000 करोड़ रुपये की टैक्स छूटों को खत्म करने के लिए सूची बनायी है। वहीं जीएसटी लागू होने पर भी लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये की परोक्ष कर छूटें तर्कसंगत बनायी जा सकेंगी। साथ ही विभिन्न राज्यों में उद्योग जगत को परोक्ष करों में छूट के रूप में दिए जा रहे प्रोत्साहनों का तरीका भी बदल जाएगा। जीएसटी लागू होने पर जो भी टैक्स छूट जारी रहेंगी, उन्हें जीएसटी सिस्टम में कैसे

तालिका-3: कर छूट के संबंध में विभिन्न कंपनियों की प्रोफाइल
 (वित्त वर्ष 2014-15)

कर पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	कुल आय में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	कुल कॉरपोरेट करदेयता में हिस्सेदारी (प्रतिशत)	कुल आय और कर पूर्व लाभ का अनुपात	प्रभावी कॉरपोरेट टैक्स दर (प्रतिशत)
शून्य से कम	2,54,079	0	0.58	0.47		
शून्य	18,080	0	6.54	2.81		
0-1	2,76,531	2.73	3.38	3.25	95.39	29.37
01-10	26,983	6.76	7.54	7.4	85.44	26.99
10-50	5,130	9.17	9.08	9.48	76.26	25.52
50-100	894	5.16	5.01	5.26	74.83	25.14
100-500	895	15.55	14.56	15.12	72	23.97
500 से अधिक	297	60.63	53.31	56.21	67.66	22.88
सभी	582889	100	100	100	76.94	24.67

स्रोत: प्राप्ति बजट, 2016-17

समाहित किया जाए इस बारे में जीएसटी 30 सितंबर 2016 को हुई बैठक में विचार किया। जीएसटी काउंसिल में इस बात पर सहमति बनी कि जीएसटी सिस्टम में सभी छूट प्राप्त कंपनियों या संस्थाओं पर टैक्स लगेगा। जब उन पर टैक्स लागू हो जाएगा उसके बाद केंद्र या राज्य सरकार, जिसने भी उनसे कर वसूला है, उन्हें अपने बजट के माध्यम से उक्त कर की राशि वापस कर सकेगी। हालांकि कौन सी टैक्स छूट खत्म होगी या बरकरार रहेगी इस बारे फैसला केंद्र और राज्य करेंगे। जहां तक विभिन्न वस्तुओं पर जीएसटी की दरों का सवाल है तो सरकार का कहना है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के 54 प्रतिशत आइटम ऐसे हैं जो फिलहाल परोक्ष कर से मुक्त हैं, वे जीएसटी से

भी बाहर रहेंगे। बकाया में से अधिकांश आइटम ऐसे हैं जो जीएसटी की निम्न दर में आएंगे। 12 से 13 प्रतिशत आइटम ऐसे होंगे जो स्टेंडर्ड रेट में आएंगे।

दुनियाभर में कर प्रणाली दो प्रकार की होती है— समानुपाती या प्रगतिशील। समानुपाती व्यवस्था में आय में वृद्धि के अनुपात में राजस्व बढ़ता है। कुछ एक छूट को छोड़कर सभी आय वर्गों पर समान कर दर लागू की जाती है। दूसरी ओर प्रगतिशील कराधान प्रणाली में निम्न आय वर्ग को कर से छूट देकर अधिक आय वालों से उच्च दर पर कर वसूला जाता है। भारत में भी प्रगतिशील कराधान प्रणाली अपनाने पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में अपेक्षा की जानी चाहिए कि सरकार गरीबों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को

जीएसटी से बाहर रखकर या निम्न दर की श्रेणी में रखकर समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान में कर नीति के माध्यम से सहायता करेगी।

निष्कर्ष

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर उद्योग जगत को दी जा रही विभिन्न प्रकार की कर छूटें हमेशा ही चर्चा का विषय रही हैं। इसलिए प्रस्तावित जीएसटी के लागू होने और प्रत्येक कर प्रणाली में सुधार करते वक्त सरकार को इस बात पर जोर देना चाहिए कि ये कर प्रोत्साहन जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं, उसे पूरा करें। इसका इस्तेमाल कर चोरी करने या एक खास वर्ग के पास धन संचय के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह गरीबों को दी जाने वाली केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सब्सिडी को सरकार ने विशिष्ट पहचान संख्या ‘आधार’ से लिंक कर उनमें व्याप्ति लीकेज (भ्रष्टाचार) रोकने का काम किया है वैसे ही कर छूट के रूप में उद्योग जगत को दी जा रही ‘परोक्ष सब्सिडी’ में भी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि समाज में आय विषमताओं को कम करने में सफलता पायी जा सके। इस तरह सरकार को कराधान की नीति को समतामूलक बनाना होगा। जहां तक प्रत्यक्ष करों की बात है तो हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि फिलहाल मुश्किल चार प्रतिशत लोग ही भारत में आयकर देते हैं। आगे आने वाले समय में आयकरदाताओं का आधार बढ़ाने पर भी बल देना चाहिए। □

योजना आगामी अंक

दिसंबर 2016

विकास के लिए विज्ञान



सहज व पारदर्शी कर लेखांकन की ओर

अमित कुमार सिंह
संदीप कुमार रॉय



सब कुछ केन्द्रीयकृत और कंप्यूटरीकृत होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं को कोडबद्ध करना भी आवश्यक होगा जिसके लिए भारत सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इस नई प्रणाली में इस केन्द्रीयकृत व्यवस्था से कर पारदर्शिता बढ़ेगी और कर-आधार भी बढ़ेगा। कर छुपाने वाली कड़ियां सप्लाई चेन निगरानी व्यवस्था नजर में आएंगी और उचित राजस्व से वसूल किया जा सकेगा। भारत की संघीय व्यवस्था से होने वाली कर परेशानियों में कमी आएगी और देश में सफेद धन की अर्थव्यवस्था का दायरा कालाधन अर्थव्यवस्था के मुकाबले बढ़ेगा।

जी

एसटी स्वतंत्रता के बाद भारत में कर संबंधी सबसे बड़ा सुधार है जिसका फायदा आम आदमी को सबसे ज्यादा होगा जो अभी कुल कर का 25-30 प्रतिशत तक बोझ उठाता है। इसे मई में लोक सभा और 3 अगस्त को राज्य सभा द्वारा पास किया गया। वस्तु एवं सेवा की बिक्री के प्रत्येक चरण पर लगने वाले इस कर पर आधारित नई व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इस व्यवस्था में पंजीकृत व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट क्लेम की सुविधा होगी जिससे वे केवल सेवा या वस्तु के उसी हिस्से के लिए कर के भागी होंगे जिसमें उन का योगदान है। वस्तु एवं सेवाओं को इस कर व्यवस्था में अलग-अलग नहीं रखा गया गया है, कर के मद्देनजर वो समान होंगे। कर की व्यवस्था सामान होगी जो पूरी सप्लाई चेन पर लगेगी और इस सप्लाई चेन में हर व्यापारी अपने किए गए काम के लिए कर चुकाएगा। यह कर उस सप्लाई चेन को करों के दायरे में लाएगा। जिसके द्वारा सेवा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है। इसके लिए एक ही अंथरीटी जिम्मेदार होगी। निर्यात पर कोई कर नहीं होगा और आयात पर घरेलू कर ही लगेगा। इस तरह कराधान में सुगमता लाई जा सकेगी।

वर्तमान में हर राज्य की एक अपनी कर व्यवस्था है जिससे व्यापारिक दृष्टि से हर राज्य एक अलग बाजार बन जाता है जिसके कर सम्बंधित अपने नियम कानून हैं। अंतर-राज्यीय व्यापार की दृष्टि से यह एक बड़ी समस्या है। वैश्विक होती दुनिया और जुड़े हुए बाजारों में अंतर-देशीय कर कानून व्यापार एवं व्यापारियों

के लिए बड़ी समस्या पैदा करते हैं। कई बार विडम्बना यह होती है कि व्यापार के क्रम में किसी राज्य का कर छूट गया तो उस राज्य के कर संबंधी कानून का उल्लंघन होता है या फिर कोई कर एक से ज्यादा बार दे दिया गया आर्थिक नुकसान होगा। वर्तमान में मशीनों में लगने वाले पुर्जे कई जगहों पर बनते हैं और पूर्ण रूप से तैयार सामान कहीं से निकल कर कहीं और बिकता है। इंटरनेट व्यापार के इस दौर में सामान कहीं का कहीं जाता है और हर बार जब सामान या सेवा एक राज्य की परिधि पार करती है तो वह विभिन्न प्रकार के कई कर आकर्षित करती है। उदाहरणतः बिहार के पटना में बैठे किसी ग्राहक ने किसी वेबसाइट पर कोई सामान देखा, उस वेबसाइट का सर्वर बंगलुरु में है, प्रधान कार्यालय दिल्ली में, गोदाम उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ग्राहक सहायता केंद्र हरियाणा के गुडगांव में और सामान बनाने का कारखाना तमिलनाडु में है। इस स्थिति में व्यापारी के लिए यह बताना मुश्किल होगा कि किस राज्य का कौन-सा कर लगेगा और कौन-सा नहीं। ये मुश्किलें तब बढ़ जाती हैं जब वस्तु या सेवा संबंधित केंद्र देश के अन्दर भिन्न जगहों पर और विदेश में भी हों। वस्तु एवं सेवा कर बिल इसी भ्रामक स्थिति से निपटने के लिए वस्तु एवं सेवा कर लाया है।

जीएसटी में पारदर्शिता : विविध चरण

वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य एवं उपभोग आधारित कर है। प्रस्तावित है कि यह वस्तु या सेवा के हर चरण यानि उत्पादन से शुरू हो कर उपभोग तक लगेगा। इसमें मुख्य प्रावधान यह है की पूर्व के चरण

अमित कुमार सिंह अधिवक्ता, उद्यमी और www.lexdelhi.com के संस्थापक है। बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एम.फिल कर चुके हैं। ईमेल: amitk.singh@outlook.com संदीप कुमार रॉय पेशे से कपनी सेक्रेटरी हैं और कर सम्बंधी मामलों पर लिखते रहते हैं। विधिक एवं बहुदेशीय समाधान केंद्रित फर्म www.lexdelhi.com से सम्बंधित हैं। ईमेल: cssanddeepkumarroy@gmail.com है।

में लगे कर का श्रेय आगे मिलता जाएगा और अंतः: केवल मूल्यवर्धन को ही कराधीन रखा जाएगा और कर का बोझ उपभोक्ता द्वारा उठाया जाएगा। जीएसटी यानि वस्तु एवं सेवा कर को तीन हिस्सों में बांटा गया है। 1. सीजीएसटी अर्थात् केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर 2. आईजीएसटी यानि एकीकृत (अंतर-राज्यीय) वस्तु एवं सेवा कर 3. एस जीएसटी यानि राज्य वस्तु एवं सेवा कर।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत तीन करों में से एक है जिसके केंद्र में एक राष्ट्र-एक कानून का महत्वपूर्ण विचार है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कानून, 2016 से निर्देशित होगा।

सामान्य समझ के लिए इसे ऐसे समझा जा सकता है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर कानून, 2016 लागू होने के बाद केंद्रीय करों (करों, अतिरिक्त करों और शुल्कों) जैसे केंद्रीय बिक्री कर सेवा कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, चिकित्सा एवं प्रसाधन निर्माण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क-प्रतिकारी शुल्क और अतिरिक्त विशेष सीमा शुल्क आदि से छुटकारा मिल जाएगा।

सीजीएसटी को मानक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित माल एवं सेवाओं के आवागमन पर लगाया जाएगा। सीजीएसटी को समयानुसार संशोधित किया जा सकेगा, अतएव इसके सामयिक संशोधन हेतु एक कमेटी बनायी जाएगी जो बाजार की जरूरतों के हिसाब से संशोधन प्रस्तावित करेगी। सीजीएसटी से प्राप्त राजस्व कर केंद्र को जाएगा और राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा पर उत्पादन कर शुल्क का मूल्य राज्यों को वापस किया जाएगा। इस वापसी का भुगातान केंद्र द्वारा राज्यों को तभी किया जाएगा जब वो सीजीएसटी से जुड़े कर की अदायगी करेंगे।

अंतर-राज्यीय वस्तु एवं सेवा कर

आईजीएसटी को वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर-राज्यीय आवागमन पर लगाया जाएगा। उदाहरणतः यदि माल तमिलनाडु से केरल या किसी और राज्य में जाता है तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। इस कर से प्राप्त राजस्व केंद्र एवं राज्य दोनों में बटेगा, जिसका निर्धारण निर्धारित दरों के हिसाब से होगा।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

राज्य वस्तु एवं सेवा कर कानून, 2016 के लागू होने के बाद मौजूदा राज्य निर्धारित एवं निर्देशित कर जैसे कि विलासिता कर, मनोरंजन कर (स्थानीय करों के अलावा लगने वाले), तॉटरी कर, जुए और सट्टे पर लगने वाला कर, इत्यादि एसजीएसटी से एकत्रित राजस्व राज्य के खाते में जाएगा।

जीएसटी: नफा नुकसान के मायने

जीएसटी एकल कर मॉडल है और कर पर लगने वाले कर हटाये नहीं जा सकेंगे। जीएसटी मौजूदा कर व्यवस्था को एक निर्धारित स्वरूप देगा जिससे करों के तार एक-दूसरे से जुड़े सकेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद संपूर्ण भारत एक बाजार होगा जहां एक समान कर व्यवस्था लागू होगी। चूंकि संपूर्ण भारत में एक कर व्यवस्था होगी, सभी राज्यों में सामान और सेवाएं एक दर पर मिलेंगी। जीएसटी से उत्पादकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, जहां अभी सारा व्यय बोझ कारखानों और उत्पादकों पर पड़ता है। उन्हें अब उस से राहत मिलेंगी। उत्पादकों को देशव्यापी निवेश करने, नए संयंत्र लगाने और अपनी उत्पादक शक्ति बढ़ाने में आसानी होगी। मौजूदा कर व्यवस्था में आयात कर उत्पादन बिंदु पर लगता है जीएसटी आने के बाद अब ये उपभोग बिंदु पर लगेगा। इससे जहां बाजार का रुख व्यवसायों की तरफ होगा, वहीं उपभोक्ता को भी पता होगा की कितना कर उस के द्वारा उपयोग किए गए सामान पर दिया जा रहा है और उसके सामने कर एवं कीमत संबंधी ज्यादा सटीक और पारदर्शी जानकारी होगी।

अब करों के तार आपस में जुड़े होंगे, कर चोरों को पकड़ा अब आसान होगा और कर चोरी में कमी आएगी। इससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी जिससे सरकारें विकास कार्य को सुचारू रूप से कर सकेंगी। जिन वस्तुओं पर कई कर लगते हैं उनसे वो महंगी हो जाती हैं, अतः इससे महंगाई से भी निजात मिलेगी क्योंकि जीएसटी के बाद उत्पाद कर और वैट का कुल योग जो वर्तमान में तीस प्रतिशत के आस पास आता है वह अब अठारह से बीस प्रतिशत के आस पास रहेगा।

जीएसटी से राष्ट्रव्यापी बदलाव आएगा जो कर व्यवस्था को एक अलग रूप देगा। इस बदलाव की प्रक्रिया में कुछ अल्पकालिक

घाटे भी होंगे जैसे कि सेवा कर वर्तमान में पंद्रह प्रतिशत है पर जीएसटी के बाद ये बढ़ कर अठारह से बीस प्रतिशत तक चला जाएगा। अतएव सेवाएं पहले से महंगी होंगी जो आम आदमी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी। व्यापार जो कि फिलहाल काफी हद तक व्यापरियों के अधीन है उस पर सरकार की नजर होगी इससे सामान तो महंगा होगा पर गुणवत्ता में बढ़ाती होगी क्योंकि नकली सामान और उसमें लगने वाला कच्चा माल दोनों ही कर परिधि में होंगे तो क्या कहाँ लग रहा है इस पर जीएसटी की वजह से सरकार बेहतर नजर रख सकेगी। लेकिन जीएसटी के अंतर्गत तीन तरह के कर होंगे जिनके बीच सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होगा और शुरुआती दौर में साफ समझ की कमी बाजार को प्रभावित करेगी। इस प्रभाव के दूर होने तक बाजार असामान्य व्यवहार करेगा जिससे कीमतों में शुरुआती उत्तर-चढ़ाव दिख सकता है। जीएसटी के प्रभाव से बाजार को अवगत होने में वक्त लगेगा और स्थिति के सामान्य होने तक असमंजस की स्थिति बनी रहेगी।

जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण

जीएसटी को हरी झंडी मिल चुकी है और आने वाले समय में यह कर व्यवस्था हमारे दैनिक कार्य व्यापारों को प्रभावित और निर्धारित करेगी। जीएसटी के अंतर्गत पहला कदम पंजीकरण है जो सी जीएसटी और एस जीएसटी कानून के अंतर्गत होगा।

सम्बंधित व्यापारी को खुद को और अपने व्यवसाय को उन-उन राज्यों में एस जीएसटी कानून के अंतर्गत पंजीकृत करना पड़ेगा जहां वो व्यवसाय करना चाहता है साथ ही साथ उसे सी जीएसटी कानून के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्था में भी पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण को सरलतम रखा जाएगा जहां आवेदन के तीस दिनों के भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया वर्तमान पंजीकरणों से भिन्न होगी, जैसे कि पंजीकरण के लिए एसजीएसटी और सीजीएसटी कानून के अंतर्गत पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। किसी एक के द्वारा अनुमति न मिलने पर दूसरा पंजीकरण भी निरस्त हो जाएगा। हालांकि कोई भी अस्वीकृति बिना सुने नहीं होगी और उस के कारण बताये जाएंगे। अगर आवेदन की स्वीकृति मिल गई इसका मतलब है पंजीकरण

की भी स्वीकृति मिल गई। जीएसटी के अंतर्गत गैर-नागरिकों और प्रवासी नागरिकों को भी जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं, पंजीकरण करना होगा। स्वैच्छिक करदाता का भी पंजीकरण होगा।

पंजीकरण हेतु कुछ दायित्व

हर उस विक्रेता को जीएसटी की कानूनी रूपरेखा के अंदर अपने राज्य में खुद को पंजीकृत करना होगा जिसके द्वारा प्रदत्त वस्तु या सेवा कर का कुल योग एक वित्तीय वर्ष में छः लाख या उस से अधिक है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे की सिक्किम के लिए ये सीमा 10 लाख रखी गई है। यदि कोई व्यापारी व्यतिगत या व्यापारिक दृष्टि से पुराने कानून के अंतर्गत पंजीकृत है तो उस को कानून लागू होते ही अपना पंजीकरण करना होगा। इस कर व्यवस्था में कुछ सेवाओं और वस्तुओं को कर मुक्त श्रेणी में भी रखने का भी प्रावधान है। इस कर व्यवस्था के अंतर्गत यदि पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में मृत व्यक्ति के कर की अदायगी कानूनी वारिस पर होगी और यह मृतक के कानूनी वारिस की जिम्मेदारी होगी की वो खुद को जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत कराये। किसी कम्पनी के हस्तांतरण, अविलय या विलय, आदि की स्थिति में नए मालिक या मालिकों या हिस्सेदारों की जिम्मेदारी होगी की वो खुद का और अपने नए व्यवसाय का पंजीकरण कराएं वरना वो नए कानूनों के अंतर्गत दंड के भागी होंगे। प्रदायक को पंजीकरण से छूट मिलेगी अगर उसके द्वारा प्रदत्त कुल वस्तु या सेवा उस लिस्ट/सूची में आती है जिसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है या फिर उसका व्यापार न्यूनतम कराधीन राशि से कम है। कुछ व्यापारों को इस सूची या न्यूनतम राशि के निरपेक्ष अपना पंजीकरण करना होगा जैसे कि जो अंतर-राज्यीय कराधीन व्यापार करते हैं, जिन व्यापारों पर पूर्व में कर बकाया हो, प्रवासी कर योग्य व्यक्ति, वो व्यक्ति जिनका कर आयकर अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत कराधीन हों। वो व्यक्ति या व्यापार जो किसी और कर योग्य व्यक्ति या व्यापार के लिए व्यापार करते हों। हर ई-कॉमर्स संचालक को, हर एग्रीगेटर को और ऐसे व्यक्तियों या व्यवसायों को जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा नोटिफाई किया गया हो।

शुरुआत में जीएसटी को धीरे-धीरे लगाया

जाएगा और दरों को कम किया जाएगा और वस्तु और सेवाएं केंद्रीयकृत कंप्यूटर में कोड की जाएंगी। हर सेवा और वस्तु का अपना कोड होगा जिससे उन्हें टैक्स किया जाएगा और साथ ही साथ पूरी सप्लाई चेन को मॉनिटर किया जा सकेगा।

पारदर्शी लेखांकन

जीएसटी की मूल संरचना इस तरह की है की वो स्वतः निगरानी रख सकेगा। चूंकि हर सप्लाई चेन को पूरी तरह कर के अंतर्गत लाया जाएगा और केवल उन्हीं से कर लिया जाएगा जो कुछ नया जोड़ रहे हैं। इस से जमाखोरों, मुनाफाखोरों और बिचैलियों की पहचान हो सकेगी। सामान की जमाखोरी करने वाले भी आराम से पकड़े जा सकेंगे। चूंकि सप्लाई चेन में कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ेगा जो कि अब भी पड़ता है, पर मौजूदा व्यवस्था में सबसे शुरुआती व्यापारी नफे नुकसान का मार्जिन ले कर और दर को पहले ही घोषित कर के चलता है जिस से उसे उसका फायदा और उसके पास से अंतिम उपभोक्ता तक का सफर भी पूरे कर के कुल योग के साथ निपट जाए। अब ये ज्यादा स्पष्ट होगा जिस से कीमतों में कमी आएगी और व्यापारी और जागरूक उपभोक्ता जान सकेंगे कि उनके सामान में लागत और कर कितना कितना है।

जीएसटी के अंतर्गत कर की अदायगी केवल क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस से ही होगी अब करेंसी नोटों और चेक से कर का भुगतान नहीं हो सकेगा। इस नई कर व्यवस्था में इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम/मेरथड का इस्तेमाल होगा इस व्यवस्था में पंजीकृत व्यापारियों को टैक्स क्रेडिट क्लोम की सुविधा होगी जिससे वे केवल सेवा या वस्तु के उसी हिस्से के लिए कर के भागी होंगे जितना उन का योगदान है। चूंकि सब कुछ केंद्रीयकृत और कंप्यूटरीकृत होगा, वस्तुओं एवं सेवाओं को कोडबद्ध करना भी आवश्यक होगा जिसके लिए भारत सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। इस नई प्रणाली में इस केंद्रीयकृत व्यवस्था से कर पारदर्शिता बढ़ेगी और कर-आधार भी बढ़ेगा। कर छुपाने वाली कड़ियां सप्लाई चेन निगरानी व्यवस्था नजर में आएंगी और उचित राजस्व से वसूल किया जा सकेगा। भारत की संघीय व्यवस्था से होने वाली कर परेशानियों में कमी आएगी और देश में सफेद धन की अर्थव्यवस्था का दायरा कालाधन अर्थव्यवस्था

के मुकाबले बढ़ेगा।

जीएसटी में कर संशोधन का प्रावधान नहीं है। इसमें हर स्तर पर कर लगेगा, करों के तार एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक स्तर दूसरे पर निर्भर है ऐसे में यह मुश्किल होगा कि पूरी कर प्रक्रिया को किसी एक की गलती के लिए दोहराया जाए। गलत कर भरने पर सुधार किया जा सकेगा पर वो मूल कर अदायगी को नहीं बदलेगा बल्कि अगली बार दिए गए कर से जोड़ कर देखेगा। गलती करने पर उसे जानबूझ कर की गयी गलती भी माना जा सकता है और उसकी सजा भी हो सकेगी। इस तरह की स्वतः निगरानी वाली कर व्यवस्था में व्यापारी गलत कर भरने या कर चोरी से बचेंगे। इस में सब कुछ कंप्यूटरीकृत होगा। इस लिए अब कंप्यूटर का होना जरूरी होगा और सभी कर अदायगी कंप्यूटर सॉफ्टवर द्वारा ही होगी। अब व्यापार का सारा लेखा जोखा कंप्यूटर पर रखना होगा जिस से टैक्स के कुल योग को निकालने और सही कर भरने में आसानी हो।

चूंकि अब कागज कलम की कोई जगह नहीं होगी और व्यापार का लेखा-जोखा कंप्यूटर सॉफ्टवर, जैसे की टैली आदि में रखना होगा। जीएसटी के अंतर्गत लागू होने वाली व्यवस्था से कर पारदर्शिता बढ़ेगी और राष्ट्रव्यापी एवं बेहतर कर लेखांकन विधि कायम होगी।

निष्कर्ष

जीएसटी के आने से संपूर्ण राष्ट्र में एक समान कर व्यवस्था आएगी और एक साथ लगने वाले कई करों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। कई कर एक साथ लगने से उलझन की स्थिति बनी रहती थी। जीएसटी, वर्तमान में वैट की जगह लेंगे और एक सामान व्यवस्था हर राज्य में होगी। भारत एक बाजार होगा और हर तरह के व्यापार और निवेश में आसानी होगी। कर चोरी में कमी आएगी क्योंकि जीएसटी वस्तु या सेवा की समूची सप्लाई चेन पर लगेगा और तब तक लगेगा जब तक वह अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाती। व्यापारियों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें अपने द्वारा किए गए काम या योगदान के लिए ही कर देना होगा। कुल मिलाकर इससे आम आदमी को राहत मिलेगी जिस के ऊपर सारे अप्रत्यक्ष करों का बोझ पड़ता है। जीएसटी ऐसी व्यवस्था है जिस की जरूरत भारत को काफी समय से थी। □

क्या आप जानते हैं?

सुगम व्यापार के लिए सक्षम परियोजना

'स'

क्षम परियोजना' प्रणालियों के एकीकरण से संबद्ध केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) एक नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। इस परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी थी। इस परियोजना से वस्तु और सेवाकर के कार्यान्वयन और व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की समाधान विस्तार की उमीद है साथ ही डिजिटल इंडिया के अंतर्गत करदाता-अनुकूलन प्रयासों और केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के कामकाज को सरल बनाने में सुविधा होगी।

इस परियोजना का उद्देश्य जीएसटी 1 अप्रैल 2017 तक सीबीईसी की सूचना तकनीक प्रणालियों की तैयारी सुनिश्चित करना है। चूंकि सीबीईसी द्वारा प्रशासित विभिन्न अप्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत आने वाले कर दाताओं/आयातकों/निर्यातकों और डीलरों की मौजूदा संख्या लगभग 36 लाख है जो कि जीएसटी के लागू होने के बाद बढ़कर 65 लाख होने की संभावना है इस कारण मुख्य चुनौती सूचना तकनीक प्रणालियों का उन्नयन और मौजूदा करदाता प्रणालियों को बिना किसी तकनीकी बाधा के जारी रखना है। इसके कारण सीबीईसी के विद्यमान सूचना तकनीक प्रणाली का निश्चित तौर पर दस्तावेजों पर भार पड़ेगा। 2008 में स्थापित यह प्रणाली सूचना तकनीकी के अपने ढांचे को तत्काल उन्नयन किये बिना, बढ़े हुए जीएसटी के भार को बहन करने में समर्थ नहीं है।

सीबीईसी की सूचना तकनीक को पंजीकरण, भुगतान और सीएसटीएन से वापिस प्राप्त हुए आकड़ों को संसाधित करने के लिए वस्तु और

सेवा कर नेटवर्क के साथ समेकित किये जाने की आवश्यकता होगी। इन्हें अन्य मॉड्युलों जैसे संपरीक्षा, अपील और जांच के लिए एक मुख्य अग्रसरी के रूप में कार्य करना होगा। इस सूचना तकनीक ढांचे को सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में सीबीईसी की ई-सेवाओं को तत्काल कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। साथ ही, कर दाता सेवा जैसे स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड सुविधा के क्रियान्वयन, व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की समाधान के प्रयासों के विस्तार और सरकारी प्रयासों जैसे ई-निवेश, ई-ताल और ई-हस्ताक्षर के साथ अनुकूलन के लिए आवश्यक रूप से उन्नयन करने की आवश्यकता है।

सीबीईसी ने व्यापार सुविधा के लिए एकल खिड़की समाधान के विस्तार का क्रियान्वयन किया है और इस प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए सीमा शुल्क निपटान में शामिल अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही है। सीमा शुल्क ईडीआई प्रणाली, जो भारत में लगभग 140 स्थानों पर कार्य कर रही है, इसे बहेतर सेवा प्रदाता प्रतिपादन और उन्नत प्रतिक्रिया समय के साथ और कई स्थानों पर विस्तार किया जाना चाहिए। करदाताओं को कर प्राधिकारियों के साथ व्यक्तिगत लेन-देन में कमी करने और निपटान प्रक्रिया की गति में तेजी लाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षरित स्कैन दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा दी जानी चाहिए। सात वर्षों की अवधि में पूरी होने वाली इस परियोजना में कुल 2256 करोड़ रूपये की लागत आयेगी। □

संकलन : वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) ईमेल : vchandra.iis2014@gmail.com

SARVODAYA IAS

सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था



A.K. Arun
Fee @ 9500 only

*For First 50 students 7000 only


Pre-cum-Mains

कक्षा जारी
3.30 pm

**Venue : A-20, Ground Floor, Behind Batra Cinema.
011-47039432, 8750918822-99**

संघीय ढांचा व कर बंटवारा

अभिनव श्रीवास्तव



**पिछले कई वर्षों से प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष कराधान में
सुधार की मांग की जा रही थी।
सरकार के राजस्व में कराधान
की ही प्रमुख भूमिका है। अगर
कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें
कर संग्रह की लागत कम हो,
पारदर्शिता बढ़े और राज्यों के
साथ विवाद की नौबत न
आये, तो इसे देश की
अर्थव्यवस्था के हित में माना
जा सकता है**

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस साल 8 अगस्त, 2016 का दिन वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन (122 वा) विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और एक लम्बी जद्वाजहद के बाद भारत का विकास एक एकीकृत और संगठित बाजार के रूप में करने का रास्ता साफ हो पाया। तकनीकी तौर पर कहें तो इस विधेयक के मंजूर होने के बाद वस्तु एवं सेवा कर को एक सर्वेधानिक रूप मिल गया। इसके वास्तविक स्वरूप और जटिलताओं पर सहमति बनाने का कार्य अभी चल रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन तथा इसकी कार्यपद्धति और प्रक्रिया को मंजूर कर इस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है। परिषद में सभी 29 राज्यों और दो संघशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। परिषद नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए कर की दर, उसमें दी जाने वाली छूट और इसकी सीमा के बारे में फैसला करेगी। उम्मीद की जा रही है कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन यह नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अब साकार रूप ले लेगी। वैसे केंद्र सरकार का लक्ष्य इसे अप्रैल, 2017 तक लागू करने का है।

भारत में जीएसटी का विचार करीब एक दशक पहले आया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें मूल्यवर्धित कर (वैट), उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे ज्यादातर केंद्रीय तथा राज्यों के कर समाहित हो जायेंगे।

जीएसटी के केंद्र में मुख्यतः अप्रत्यक्ष कर

प्रणाली में सुधार करने की प्रबल होती मांग ही थी। कहा गया कि राष्ट्र स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में समानता और कमी लाने के लिये एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली यानि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना आवश्यक हो गया है। चूंकि भारतीय संविधान में उत्पादों पर कर (बिक्री कर, चुंगी, वैट आदि) लगाने का अधिकार राज्यों को और विनिर्माण और सेवाओं पर कर (उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क) लगाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है, इसलिए एक समान कर प्रणाली लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों दोनों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार आवश्यक था। यह विस्तार संविधान संशोधन विधेयक लाये बगैर संभव ही नहीं था।

संभवतः यही कारण रहा कि वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक आरम्भ से ही प्रक्रियागत जटिलताओं एवं केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र जैसे गंभीर सवालों में उलझ गया। पूर्व यूपीए सरकार के दौरान जब इसकी पहल हुई तो राज्यों के एतराज भी सामने आये। जीएसटी पर आम सहमति बनाने के लिए राज्यों के वित्तमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति बनी। तमाम बैठकों के बाबजूद समिति आम राय पर नहीं पहुंच पायी। गुजरात और मध्यप्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्य भी असहमति प्रकट करते रहे। दरअसल, राज्यों को अंदेशा यह रहा है कि जीएसटी के लागू होने पर कराधान में उनकी स्वायत्ता नहीं रहेगी। यही नहीं, उन्हें राजस्व का नुकसान भी होगा। राज्यों को मनाने के लिए शुरू के तीन वर्षों तक पूरी तरह और बाद के दो साल तक नुकसान की आंशिक भरपाई

कर बंटवारा: एक पुरानी गुत्थी

भारत का संविधान में वैसे तो राज्यों की कानूनी और राजकोषीय स्वायत्ता बरकरार रखने के लिये प्रावधान किये गये हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कर वसूली की शक्तियों का बंटवारा केंद्र की ओर झुका अधिक नजर आता है। केंद्र को संविधान के सातवें भाग की सूची-1 में और राज्यों को सातवें भाग की सूची-2 में दिये गये विषयों पर कर उगाही के स्पष्ट अधिकार मिले हैं, साथ ही सातवें भाग की ही सूची-3 में दिये गये विषयों पर संसद और राज्य विधान सभाओं, दोनों को अपनी तरह से कानून बनाने का अधिकार भी है, लेकिन इन प्रावधानों के बावजूद ऊंचे राजस्व वाले अधिकांश करों का उल्लेख सूची-1 में है।

केंद्र द्वारा राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व साझा करने और आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी राज्यों

का भरोसा दिलाया गया। यूपीए सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक भी पेश किया था, पर वह कानून का रूप नहीं ले सका। जब वर्तमान सरकार ने जीएसटी विधेयक में संशोधन कर उसे नये सिरे से संसद के समक्ष रखा तो उस पर पुनः आपत्तियां दर्ज की गयीं। अंततः सरकार ने जीएसटी से राज्य सरकारों को आरंभिक पांच वर्षों में होने वाले नुकसान के सौ फीसदी भुगतान और अंतरराज्यीय व्यापार पर 1 प्रतिशत कर खत्म करने जैसे प्रावधान जोड़कर पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में जीएसटी विधेयक मंजूर कराया।

यह गैर करने वाली बात है कि वर्तमान विधेयक में जीएसटी के दो घटकों- केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी का जिक्र किया गया है। केंद्रीय जीएसटी को लागू करने का कार्य केंद्र का है जबकि राज्य जीएसटी को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। इसका अर्थ ये है कि आम धारणा के विपरीत कर प्रशासन द्विस्तरीय ही रहने वाला है। इसके अलावा जानकारों ने ध्यान दिलाया है कि जीएसटी लागू होने पर उत्पाद और सेवाओं को कुछ श्रेणियों में बांटकर उनकी दर निर्धारित कर दी जायेंगी। यानि कि किसी वस्तु या सेवा की दर नियत हो जाने के बाद

को कुल मिलाकर केंद्र पर निर्भर बनाते हैं। तकरीबन इसी संवैधानिक परिदृश्य के चलते बिक्री कर राज्यों के राजस्व का बड़ा स्रोत बन गया लेकिन राज्यों के लिये राजस्व का बड़ा स्रोत होने के बावजूद इसकी दरों में बहुत विविधता थी, इसलिये समय-समय पर कारोबारी जगत ने इसे खत्म करने की मांग की।

फेडरेशन आफ चैम्बर्स आफ कॉर्मर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने तो साल 1960 में सुझाव दिया था कि बिक्री कर की वसूली का अधिकार केंद्र के पास होना चाहिये और केंद्र को इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को राज्यों में वितरित कर देना चाहिये, लेकिन इस सुझाव के बाद गठित तमाम जांच समितियों ने राज्यों की राजकोषीय स्वायत्ता प्रभावित होने की बात कहते हुये इस मांग को अनुचित बताया। वहीं इस बीच राज्य सरकारों ने लगातार केंद्र द्वारा चीनी, कपड़ा, तम्बाकू और सूती कपड़ों

के बिक्री कर पर वसूले जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को खत्म करने की मांग की।

बिक्री कर को खत्म करने की तेज होती मांग और बढ़ते दबाव का ही नतीजा वैट के रूप में निकला। बिक्री कर का स्थान लेने के उद्देश्य से वैट के तहत अप्रत्यक्ष कर लगाने की शुरुआत किसी उत्पाद के वर्धित मूल्य पर की गयी, लेकिन इसकी निर्धारित तीन दरों को एक समान रूप से सभी राज्यों पर लागू किया गया। जानकारों ने माना कि वैट ने राज्यों से अपने विवेकानुसार विभिन्न उत्पादों पर कर उगाही करने की आजादी कम कर दी है। जीएसटी के मामले में राज्यों की स्वायत्ता का प्रश्न इसलिये अधिक है क्योंकि वैट में राज्य सरकारों के पास कम से कम तीन अलग-अलग दरों की छूट थी लेकिन जीएसटी में सभी राज्यों के लिए एक ही दर की व्यवस्था है।

राज्यों के पास उसे कम या ज्यादा करने की आजादी नहीं होगी।

हालांकि विधेयक में वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर का निर्धारण करने का कार्य जीएसटी परिषद को सौंपा गया है जिसमें परिषद के अध्यक्ष के तौर पर केन्द्रीय वित्तमंत्री के अलावा राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल होंगे और उन्हें अपना पक्ष रखने

दरअसल, आरंभ से ही जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक महज एक 'आर्थिक' मुद्दा भर नहीं था, बल्कि इसके साथ गंभीर संवैधानिक और सामाजिक प्रश्न भी जुड़े हुये थे। विशेषकर, संघीय ढांचे का सवाल तो राज्यों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न था। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सवाल चर्चा के लिये अब भी खुला हुआ है।

की छूट होगी, लेकिन जीएसटी परिषद द्वारा नियत दर को स्वीकार करना सभी राज्यों की बाध्यता होगी। क्या ये संभव नहीं कि किसी एक राज्य की प्राथमिकताएं दूसरे राज्य की प्राथमिकताओं से भिन्न हों? भारत में विभिन्न राज्य अपनी क्षेत्रीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों के अनुसार

जनकल्याणकारी योजनायें चलाते हैं। राज्य सरकारें अक्सर लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधन टैक्स लगाकर या बढ़ाकर जुटाती हैं।

वास्तव में, भारतीय संविधान के तहत राज्यों को अपनी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुसार करों की दर निर्धारित करने की स्वायत्ता होती है। विशेषकर, बिक्री कर की दर का निर्धारण करने में तो उसे पूर्ण स्वायत्ता है क्योंकि राज्यों के राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत बिक्री कर से ही आता है। क्या एक समान जीएसटी कर स्वीकार कर लेने से राज्यों की यह स्वायत्ता प्रभावित नहीं होती?

वैसे विधेयक में इस चिंता का निवारण केंद्र द्वारा राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए पहले पांच वर्षों तक 100 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान करने का प्रावधान जोड़कर किया गया है। फिर राज्यों के वित्तमंत्रियों की एक उच्चाधिकार समिति के कार्यकारी समूह में कुछ जानकारों ने यह तर्क दिया गया है कि राज्य प्रायः कुछ विशेष समूहों के दबाव में आकर कर संग्रहण की दर को घटाते या बढ़ाते रहते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पनपता है।

इस तर्क का आधार अपने आप में जायज हो सकता है, लेकिन यह तर्क परोक्ष तौर पर राज्यों की निर्णय क्षमता पर ही सवाल खड़ा कर देता है और राज्यों के कर संग्रहण की वास्तविक जरूरतों की भी अनदेखी करता है। यह बात भी गौर करने योग्य है कि राज्यों की स्वायत्ता एक राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार है जिसकी भरपाई प्रायः आर्थिक मुआवजे जैसे प्रावधानों से नहीं हो सकती।

एक आलोचना यह भी है कि निर्बाध और समान बाजार की जरूरत बड़े पूँजीपतियों की है। इससे वे सारे देश में बेरोक-टोक व्यापार करना चाहते हैं। जबकि पहले राज्य सरकारें स्थानीय कारोबारियों को कर छूट आदि के जरिये संरक्षण देती थीं। यह रास्ता अब बंद होने जा रहा है।

एक बड़ा मुद्दा स्थानीय निकायों का है। उनके पास पर्याप्त संसाधन पहुंचे, इसके प्रावधान वित्त आयोगों ने भी नहीं किये हैं। आशंका है कि जीएसटी लागू होने के बाद उनके हाथ आने वाले संसाधनों में और गिरावट आयेगी। सवाल उठा है कि क्या यह सत्ता के विकेंद्रीकरण की धारणा के अनुरूप है और क्या इससे नगर निगमों के कार्यों में बाधा नहीं आयेगी?

भारत के संघीय ढांचे के लिहाज से एक बड़ा सवाल जीएसटी दर का भी है। यह बात गौर करने वाली है कि आरम्भ से ही जीएसटी संशोधन विधेयक के साथ सबसे बड़ी समस्या जीएसटी दर को लेकर ही रही है। वर्तमान में सरकार इस पर सहमति बनाने की प्रक्रिया में है। पिछले साल मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली समिति ने अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी की मानक दर 17 से 18 प्रतिशत रखने का सुझाव दिया था, जबकि कम कर वाली वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत और कार, पान मसाला और तंबाकू जैसी विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की मानक दर का प्रस्ताव किया था। अगर साल 2010 में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा गठित कार्यबल ने 12 फीसदी जीएसटी दर नियत करने की सिफारिश की थी, जबकि साल 2014 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के एक समूह ने 27 फीसदी जीएसटी दर का सुझाव दिया था। जाहिर है कि सरकार जीएसटी दर को इन दोनों ही दरों के बीच में

कहीं नियत करना चाहती है, क्योंकि ये दोनों ही दरें व्यवहारिक नहीं हैं। अगर जीएसटी दर राज्यों में लगाने वाले वैट की दर से कम होती है तो राज्यों के राजस्व पर इसका निश्चित रूप से खराब प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि सरकार जीएसटी दर का निर्धारण 20 फीसदी के आस-पास रखेगी, जिससे अधिकांश राज्यों के राजस्व को कोई नुकसान नहीं होगा।

ऐसा नहीं है कि राज्यों की शिकायतों के प्रति जीएसटी सर्विधान संशोधन विधेयक में पूरी तरह आंख मूँद ली गयी है। राज्यों को कुछ राहत देने के इरादे से पेट्रोलियम उत्पादों को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है लेकिन इससे एक विचित्र स्थिति पैदा हुयी है जिससे जीएसटी के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो जाता है।

आर्थिक विशेषज्ञों ने ध्यान खींचा है कि पेट्रोलियम को दायरे में लाये बिना लागू की

कई स्तरों पर कर चुकाना पड़ता है। लेकिन जीएसटी व्यवस्था में सिर्फ अंतिम स्तर पर कर अधिरोपण का प्रावधान है। इससे जहां एक ओर करों के संग्रह को बढ़ाया जा सकेगा वहीं करों पर छूट के कई गैर-जरूरी तौर-तरीकों को भी कम किया जा सकेगा। यह निश्चित तौर पर बहु स्तरीय कर प्रशासन को खत्म करने की दिशा में उठाया गया कदम है। दुनिया के करीब डेढ़ सौ देश अपने यहां इस तरह की कर व्यवस्था लागू कर चुके हैं। सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में यह व्यवस्था लागू की थी।

कुल मिलाकर वस्तु एवं सेवा कर सर्विधान संशोधन (122 वां) विधेयक से आर्थिक विकास में जटिलताओं को दूर करने की दिशा में जीएसटी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह बिक्री के स्तर पर वसूला जायेगा और निर्माण लागत पर लगाया जायेगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में समानता के साथ-साथ दोनों में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह कर प्रणाली पूरी मांग-आपूर्ति शृंखला को प्रभावित कर जहां एक ओर प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करेगी वहीं सरकार के बजटीय और राजकोषीय घाटे में भी कमी लायेगी।

अप्रत्यक्ष कराधान में सुधार के बाद सरकार का अगला कदम प्रत्यक्ष कराधान में सुधार का होना चाहिये। आर्थिक जानकारों ने भी इस बात पर लगातार जोर दिया है कि कर न्याय के लिहाज से असली चुनौती है कि कुल कर अधिरोपण में प्रत्यक्ष करों की मात्रा बढ़ाई जाये। प्रत्यक्ष कर जहां उच्च वर्गों से वसूले जाते हैं, वहीं परोक्ष करों का सभी वर्गों पर समान बोझ पड़ता है। जीएसटी भी परोक्ष कर ही है। इसकी खास बात सिर्फ यह है कि सभी परोक्ष कर इसमें समाहित हो जाएंगे और सारे देश में यह एक दर से लगेगा।

कुल मिलाकर वस्तु एवं सेवा कर के संवैधानिक रूप लेने से भारत में कर प्रशासन आसान होगा, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इसे लागू करने के दौरान संबंधित चिंताओं का निवारण होता जाये। अन्यथा दूरगामी प्रभाव का कदम होने के बावजूद यह अपनी सार्थकता खो सकता है। □

दुनिया की मुश्किलों से भारत के लिए सबक

हर्षवर्द्धन त्रिपाठी



जीएसटी आज दुनियाभर में कर सुधारों की दिशा में नवीनतम प्रचलन है। अब तक सैकड़ों देश इसे लागू कर चुके हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि दुनिया भर की बेहतरीन प्रथाओं को देखकर हम ऐसी प्रणाली विकसित करें जो अधिक निखार लिए हो और जिसके क्रियान्वयन में गतिरोध की स्थिति न के बराबर आए। मलेशिया, सिंगापुर व कनाडा के अनुभव इस मामले में भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

दु

निया में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और दुनिया के 160 देश कर कानून के तौर पर जीएसटी लागू कर चुके हैं। इन 160 में से 8 देश ऐसे भी हैं, जो भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। लेकिन, उन्होंने भी अपने देश में कर सुधारों के तौर पर जीएसटी कानून को लागू किया है। दरअसल इस जानकारी से शुरुआत करने से ये आसानी से समझ आ जाता है कि जीएसटी कर सुधार के तौर पर कितना बड़ा और जरूरी है। और साथ ही ये भी हिन्दुस्तान के राजनीतिक दलों ने सारी सहमति होने के बाद भी सिर्फ श्रेय दूसरे को न मिल जाए, इस लड़ाई में जरूरी कर सुधार लागू करने में कितना पीछे कर दिया। ये कहना सही होगा कि दुनिया भर में जीएसटी आसान कर प्रक्रिया के तौर पर लागू किया जा चुका है। सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में जीएसटी लागू किया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि अलग-अलग स्तरों पर लगने वाले कर की वजह से ज्यादातर लोग करों से बचने की कोशिश करते थे। एक विकसित अर्थव्यवस्था होने की वजह से फ्रांस के लिए कर वसूली में आने वाली मुश्किलों को खत्म करने के लिए जीएसटी की जरूरत हुई जिससे हर स्तर पर किसी वस्तु या सेवा को लेने वाले को उसी आधार पर कर देना होता है। इसीलिए इसे दुनिया भर में सबसे बड़े कर सुधारों के तौर पर देखा जाता है। जिन देशों में कर वसूली का दायरा बढ़ाने की कोशिश हुई और औद्योगीकरण तेजी से बढ़ा, उन सभी देशों ने एक-एक करके जीएसटी को अपनाया है। यही वजह है कि आज दुनिया के 160 देशों में जीएसटी कर सुधार के तौर पर देखा जाता है। हालांकि,

कई देशों में संघीय ढांचे में असंतुलन की भी स्थिति बनी है। भारत में जीएसटी के सर्वसहमति से लागू होने के बावजूद राज्यों को अपने अधिकार और राजस्व में हिस्सेदारी को लेकर आशंका बनी हुई है।

जीएसटी कर प्रक्रिया में सुधार कैसे हैं?

जीएसटी यानि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वसूलने की प्रक्रिया पारदर्शी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कर किसी भी वस्तु या सेवा पर होने वाले वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्द्धन के आधार पर ही लिया जाता है। वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्द्धन पर लगने वाले कर की ही वजह से दुनिया के कई देशों में इसे वैट यानि वैल्यू एडेंट टैक्स के तौर पर भी जाना जाता है। यानि इसका सीधा-सा मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु या सेवा में हर स्तर पर जैसे ही उसमें कोई मूल्यवर्धन होता है, उस पर कर लग जाता है। इससे आसानी से कर वसूलने वाले अधिकारियों के साथ ही कारोबारियों को भी पता होता है कि कहाँ, कब और कितना कर लगना है या वसूला जाना है। जीएसटी को अंतिम पड़ाव पर लगने वाले रिटेल टैक्स के तौर पर भी समझा जा सकता है। ग्राहक जब कोई वस्तु या सेवा लेता है, तो उसी आधार पर उसे कर देना होता है।

भारत में जीएसटी कैसे काम करेगा?

दुनिया के ज्यादातर देशों में जीएसटी एक कर के तौर पर लागू है। लेकिन, कई देशों में संघीय ढांचे में असंतुलन को रोकने के लिए दोहरी जीएसटी प्रणाली लागू की गई है। इससे राज्यों के पास भी कर वसूलने का अधिकार बना रहता है। कनाडा और ब्राजील जैसे देशों ने डुअल जीएसटी ही लागू किया है। भारत जैसे बड़े देश में जटिल

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजस्व और अधिकारों की जटिलता की वजह से दोहरी जीएसटी पर ही सहमति बनी है। दोहरी जीएसटी में मूल रूप से सीजीएसटी यानि सेन्ट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी यानि स्टर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। वस्तु या सेवा पर केंद्रीय सरकार के हिस्से के वसूले जाने वाले कर को सीजीएसटी कहा जाएगा। और जब सम्बन्धित राज्य सरकारें अपने राज्य में किसी सेवा या वस्तु पर कर वसूलेंगी, तो वो एसजीएसटी होगा। लेकिन भारत में इस व्यवस्था में ही एक और कर व्यवस्था की गई है। जिसे आईजीएसटी यानि इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा गया है। ये कर केंद्रीय सरकार वसूलेंगी जहां कर वसूली में दो राज्यों के बीच कारोबार हुआ है। केंद्रीय सरकार द्वारा वसूले गए आईजीएसटी को जीएसटी परिषद की तय व्यवस्था के आधार पर दोनों या जितने भी राज्यों के बीच वो कारोबार हुआ है, उनके बीच बांटा जाएगा।

दुनिया के दूसरे देशों से सबक

भारतीय संविधान के 122वें संशोधन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब जीएसटी कार्डिनल इस सबसे बड़े कर सुधार की बारीकियों के नियम तैयार कर रही है। देर सारे कर अब भारत में इतिहास की बात हो जाएगी। सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है कि जीएसटी 1 अप्रैल, 2017 से लागू कर दिया जाए। दुनिया के जिन देशों में पहले से जीएसटी लागू हैं, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है।

मलेशिया: राजनीतिक समन्वयक सबक

अभी हाल में मलेशिया ने जीएसटी लागू किया है। मलेशिया ने 2009 में जीएसटी लागू करने की बात कही थी। लेकिन, इसे मलेशिया में पिछले साल यानि 2015 में लागू किया जा सका है। मलेशिया का उदाहरण भारत के लिए एक पक्का सबक हो सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये कि इतने बड़े कर सुधार को लागू करने के लिए लोगों में जानकारी और सरकारी मशीनरी के पूरी तरह से तैयार न होने से मलेशिया में कारोबारियों को बड़ी मुश्किलें हुई और इसकी वजह से कारोबारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बड़े विवाद हुए। मलेशिया की सरकार को छोटे कारोबारियों के बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था।

क्योंकि, छोटे कारोबारियों को जीएसटी की बारीकियां समझने में जबर्दस्त मुश्किलें हुई थीं। खासकर कौन कर वसूलने का अधिकारी होगा। किस स्तर पर किस तरह से जीएसटी लगेगा। इसकी वजह से किसी भी सेवा या वस्तु पर लगने वाले कर की गणना सबसे कठिन काम हो गया था। साथ ही कारोबारियों को रिफंड में बहुत सी मुश्किलें हुई थीं। उस पर मलेशिया में विपक्षी दलों ने भी इस मौके पर आग में धी डालने का काम किया था।

अच्छी बात ये है कि देर सारी मुश्किलों के बाद हिन्दुस्तान में अब कम से कम सभी राजनीतिक दलों के बीच पूरी तरह से सहमति बनी है। राज्यों की विधानसभा में रिकॉर्ड समय में जीएसटी बिल पारित हुआ। लेकिन, इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर केंद्रीय सरकार व जीएसटी परिषद जीएसटी की बारीकियों को कारोबारियों खासकर, छोटे कारोबारियों को समझा न सकी, तो यहां भी देर सारे विवाद की स्थिति बन सकती है। ताजा-ताजा जीएसटी लागू करने वाले देश मलेशिया का सबक भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि, लगभग मलेशिया जैसा ही मलिटपल जीएसटी भारत भी लागू करने जा रहा है। हालांकि, मलेशिया में दुनिया का सबसे कम जीएसटी रेट 6 प्रतिशत लगाया गया है।

क्षेत्रवार हो तैयारियां

मलेशिया से सबक लेते हुए सरकार को जीएसटी लागू करने में हड्डबड़ी दिखाने से बचना ठीक रहेगा क्योंकि राजस्व सचिव हसमुख अधिया के मुताबिक, इसके लागू करने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार के 60 हजार से ज्यादा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। दरअसल जीएसटी पूरी तरह से कर वसूलने और देने की प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक बदलाव है, जिसमें कर उत्पादक की बजाए ग्राहक के स्तर पर लगेगा। इसके अलावा देशभर में तकनीकी तौर पर भी कर वसूली का तंत्र पूरी तरह से दुरुस्त करने की जरूरत है। क्योंकि, इतना बड़ा कर सुधार बिना मजबूत तकनीकी जमीन तैयार किए सलीके से लागू करना संभव नहीं होगा। मलेशिया के उदाहरण से भारत को एक और जरूरी सबक ये मिलता है कि जीएसटी परिषद को अलग-अलग कारोबार के लिए बाकायदा अलग गाइडेंस पेपर तैयार करना

होगा। जिससे हर अलग-अलग क्षेत्रों के कारोबारियों की मुश्किलों को उनके लिहाज से समझा जा सके और उसी आधार पर कर वसूलने की व्यवस्था तैयार की जा सके। पहले से अलग-अलग क्षेत्रों के कारोबारियों की समस्या के लिहाज से समाधान तैयार न कर पाने की वजह से जीएसटी लागू होने के दो साल तक मलेशिया सरकार को कारोबारियों को होने वाली अलग-अलग तरह की समस्या का समाधान लगातार खोजने में ज़दूना पड़ा। भारत में ये समस्या इसलिए भी हो सकती है क्योंकि, भारत एक विशाल देश है। नए-नए कारोबार बन रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। साथ ही केंद्रीय सरकार ने 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू करने का मन बनाया है। इससे काफी कम समय में केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर वसूलने वाले अधिकारियों को तैयार करना होगा।

सिंगापुर: महंगाई नियंत्रण कम तरीका

भारत के लिए सिंगापुर का सबक भी महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि, सिंगापुर का उदाहरण दिखाता है कि जीएसटी लागू करने के बाद वहां शुरुआती सालों में तेजी से महंगाई बढ़ी थी। हालांकि, सिंगापुर पूरी तरह से शहरी देश है। इसलिए वहां महंगाई उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन सकी। साथ ही कुछ वर्षों में धीरे-धीरे महंगाई पर काबू भी पा लिया गया। लेकिन, भारत जैसे देश में महंगाई को लेकर सरकार को खास सरकार रहना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि भारत में खेती के उत्पादों पर कर है नहीं या ना के बराबर है। इसलिए जीएसटी लागू होने से कई खेती के उत्पाद मूल्यवर्धन के बाद महंगे होंगे। और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई भारत में बेहद संवेदनशील मुद्दा है। हालांकि, अच्छी बात ये है कि भारत में अभी तक टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। माना जा रहा है कि 18-19 प्रतिशत के जीएसटी के बाद देर सारे वस्तु और सेवा पर कर घटेगा। इससे कई सेवा, वस्तु सस्ते भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस मोर्चे पर केंद्रीय सरकार को राज्यों के साथ बेहतर समन्वय करके महंगाई असंतुलन को रोकना होगा। सिंगापुर के अनुभव से भारत ये भी सबक ले सकता है कि खुदरा बाजार में कारोबारियों को बहुत ज्यादा लाभ लेने से हतोत्साहित किया जाए, जिससे ग्राहकों पर महंगाई का ज्यादा असर न पड़े। सिंगापुर ने एक और काम किया, जिससे भारत सबक ले सकता है। सिंगापुर

वैश्वक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का सतत सुधार

हाल ही में बल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वैश्वक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (जीसीआई) में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष 16 स्थानों का सुधार हुआ है। ताजा रैंकिंग के अनुसार, 138 देशों की सूची में भारत 39वें स्थान पर है। ब्रिक्स देशों के हिसाब से देखें तो 28वें स्थान के साथ केवल चीन भारत से आगे है। भारत की स्थिति में 2014-15 में 71वें स्थान से 2015-16 में 55वें स्थान और हालिया रिपोर्ट में 39वें स्थान पर आकर निरंतर रूप से सुधार आया है। रैंकिंग में इस सुधार के साथ भारत ने एक लंबी दूरी तय की है और वैश्वक अर्थव्यवस्था में एक बड़े घटक के रूप में उभरने के रास्ते पर यह अग्रसर है।

बल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्वक प्रतिस्पर्धा सूचकांक उन बड़े अध्ययनों में शामिल है जो दर्शाता है कि कैसे कोई देश वैश्वक प्रतिस्पर्धा के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट में व्यापार एवं सामाजिक सूचक दोनों को शामिल किया जाता है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वैश्वक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करता है।

जीसीआई में 12 स्तंभ शामिल हैं- संस्थाएं, बुनियादी सुविधा, व्यापक आर्थिक माहौल, स्वास्थ्य एवं प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण, वस्तु बाजार क्षमता, श्रम बाजार क्षमता, वित्तीय बाजार विकास, प्रौद्योगिकीय सहजता, बाजार का आकार, व्यापार जटिलता और नवाचार। भारत की प्रतिस्पर्धा में इस वर्ष चौतरफा समान रूप से सुधार हुआ है, विशेषकर वस्तु बाजार क्षमता, व्यापार जटिलता एवं नवाचार आदि में। बेहतर मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों एवं तेल की कम कीमतों के कारण व्यापक अर्थव्यवस्था माहौल में भी सुधार आया है। निवेशक सुरक्षा की मजबूती में भी भारत का आठवां स्थान है। वस्तु एवं सेवा कर जिससे घरेलू बाजार विखंडन में कमी आएगी, को लागू किए जाने पर आगामी वर्षों में, वस्तु बाजार क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार दिखने की आशा की जा सकती है।

ने जीएसटी दर 1994 में 3 प्रतिशत से धीरे-धीरे 7 प्रतिशत तक कर दी है। लेकिन, साथ ही साथ सरकार ने आयकर में कटौती भी की। आम करदाता और कॉर्पोरेट को सीधे आयकर में बड़ी छूट दी गई। भारत सरकार को इसके साथ कम आमदनी वाले वर्ग और पेंशन पर अधिक लोगों के लिए भी एक बेहतर व्यवस्था बनाने की तरफ गंभीरता से सोचना होगा।

कनाडा के समरूप भारतीय मॉडल

भारत जिस तरह की जीएसटी कर व्यवस्था लागू करने जा रहा है। लगभग वैसी ही जीएसटी कर व्यवस्था कनाडा में भी लागू है। कनाडा ने 1991 में ही इस सबसे बड़े कर सुधार को

लागू कर दिया था। जब भारत, दुनिया के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल ही रहा था। कनाडा में उस समय जीएसटी का काफी विरोध हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी वजह राज्यों के राजस्व को होने वाला नुकसान था। भारत में भी इसी मसले पर ढेर सारा विरोध हुआ है। तमिलनाडु तो अतिम समय तक इस कर सुधार के विरोध में रहा। और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं ज्यादातर ऐसे राज्य जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको जहां बिक रहा है, वहां कर लगने वाली इस व्यवस्था से नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अगले 5 सालों तक होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया है।

अनुसूचित जाति उद्यम पूँजी निधि योजना के लाभार्थी उद्यमियों ने अपने उत्पाद जारी किए

हाल ही में आयुर्वेदिक स्वामित्व वाली दवा एलीक्सिर फॉर लाइफ जारी किया गया। इसका उत्पादन 2014-15 में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) के उद्यमियों के लिए जारी उद्यम पूँजी निधि योजना के लाभार्थी के लिए किया जा रहा है। एमएस मालुरा फ्लोरा एंड हॉस्पिटलिटी लिमिटेड को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (आईएफसीआई) और कर्णाटक सरकार के कल्याण विभाग (केएफएससी) द्वारा वित्तपोषित किया गया।

अनुसूचित जाति (एससी) के उद्यमियों के लिए 2014-15 में सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय ने उद्यम पूँजी निधि योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना से अब तक 50 उद्यमी लाभान्वित हो चुके हैं। यह योजना उद्यमियों को आर्थिक समृद्धि देने में सहायक सिद्ध हुई है।

अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूँजी निधि योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. यह एक सामाजिक क्षेत्र पहल है, जिसे भारत भर में अनुसूचित जाति की आबादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है।
2. अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों के बीच, जो नवाचार और विकास प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रुक्खन रखते हैं, उद्यमिता को बढ़ावा देना।
3. अनुसूचित जाति के उद्यमियों को कम दर पर वित्तीय सहायता देना, जिससे समाज के लिए धन और मूल्य का सृजन होगा साथ ही लाभकारी व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार से सृजित संपत्ति से अग्रगामी/पश्चगामी संबंध विकसित होंगे। इससे समाज में श्रूखला प्रभाव की उत्पत्ति होगी।
4. अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन बढ़ाने और एससी समुदायों के आगे के विकास के लिए उन्हें प्रेरित करना।
5. किफायती तरीके से अनुसूचित जाति के उद्यमियों का विकास करना।
6. भारत में अनुसूचित जाति के आबादी के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।

इसीलिए जरूरी है कि जीएसटी परिषद राज्यों के हितों का ख्याल रखें। कनाडा में तो तीन राज्य- अलबर्टा, ओन्टारियो और ब्रिटिश कोलंबिया- स्वैच्छानिक अधिकारों के हनन के खिलाफ कनाडा की संघीय सरकार के खिलाफ अदालत में चले गए थे। लेकिन, समय के साथ कनाडा ने बहुसंस्कृत जीएसटी व्यवस्था को लागू किया। इसमें राज्यों को संघीय जीएसटी के साथ अपना भी मूल्यवर्धन कर वसूलने का अधिकार दिया गया। साथ ही राज्य के अधिकारियों को ढेर सारे अधिकार भी दिए गए। जिसमें अपना कर वसूलने के साथ संघीय जीएसटी वसूलने के लिए एक निश्चित शुल्क का भी प्रावधान किया गया। □



जीएसटी: नीति निर्माताओं के विचार

यह लोकतंत्र की विजय है: प्रधानमंत्री

- वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) भारत सरकार का एक उत्कृष्ट कदम है, परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और पारदर्शिता की ओर सर्वोत्तम पहल
- विधेयक को पास किया जाना किसी राजनीतिक पार्टी की विजय नहीं बल्कि लोकतंत्र की विजय है।
- जीएसटी पर बनी आम सहमति इस बात का प्रमाण है कि भारत में राष्ट्रनीति राजनीति से ऊपर है।
- जीएसटी, भारत के हार में एक मोती के समान है—रेल, अखिल भारतीय सेवाओं और भारत नेट और सागरमाला जैसी परिकल्पनाएं अभी बाकी हैं।
- जीएसटी लाने का हमारा उद्देश्य कर प्रणाली में एक रूपता लाना है। नई व्यवस्था में उपभोक्ता सर्वोच्च होगा।
- सुदृढ़ आर्थिक नीति के मूलभूत सिद्धांतों में व्यक्ति, धन, मशीन, सामान और समय का न्यायोचित उपयोग शामिल हैं और इनको प्राप्त करने में जीएसटी सहायक सिद्ध होगा।
- जीएसटी की वास्तविक शक्ति प्रौद्योगिकी है। अतः यह वास्तविक आंकड़ों को सामने लाने में सहायक सिद्ध होगा। उपभोक्ता मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले अधिकांश कारकों को जीएसटी की परिधि से बाहर रखा गया है। जीएसटी संकलन साथ ही साथ संकलन की लागत में भ्रष्टाचार में कमी लाने में सहायक होगा।
- छोटे कारोबारी जीएसटी के माध्यम से जबरदस्त लाभ मिलेगा साथ ही जीएसटी के अंतर्गत वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
- इससे मेक इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को मदद मिलेगी और राजस्व बढ़ने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
- जीएसटी सभी भारतीयों के लिए लाभदायक है और एकीकृत और व्यावसायिक राष्ट्रीय बाजार को प्रचारित करता है।
- जीएसटी सहयोगी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है जो भारत को प्रगति की नई ऊर्चाओं पर ले जाएगा।

दीर्घकालिक सुधार की ओर कदम: वित्त मंत्री

केंद्र सरकार ने पूरे देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित नए कानून को 1 अप्रैल, 2017 से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जीएसटी लागू होने के बाद कर प्रणाली अत्यधिक सरल तथा लोगों के अनुकूल होगी और इसका उल्लंघन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इसके लागू होने पर कर के ऊपर कर देने से छुटकारा भी मिलेगा। साथ ही कुछ वस्तुओं पर कर की दर में कमी आएगी तथा कुछ वस्तुएं कर मुक्त हो जाएंगी।

- इसके लागू होने पर एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की पद्धति प्रारम्भ होगी।
- इसके लागू होने पर पूरे देश में वस्तुओं और विभिन्न

सेवाओं का हस्तांतरण निर्बाध गति से किया जा सकेगा।

- पूरा देश एक एकीकृत बाजार की तरह काम करेगा और कर प्रणाली आसान हो जाएगी।
- इसके लागू होने से कर चोरी पर लगाम लगेगा तथा लोगों में सही रूप से कर भुगतान करने की भावना स्वयं जगेगी, परिणामतः राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही फायदा होगा।
- इस ऐतिहासिक कर सुधार प्रणाली को हमारे देश की संसद द्वारा लागू किया जा रहा है।
- यह कर हमारे देश की कर प्रणाली में एक बड़ा सुधार है, जो लंबे समय तक चलता रहेगा और यह देशहित में भी है।

Just Released

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

रिट्रॉक मर्ती परीक्षा

PGT


TGT

PRT

गत वर्षों के प्रश्न-पत्र हल सहित

योग्य एवं अनुभवी
लेखकों द्वारा लिखित
पुस्तकों जो आपको
महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी
विषय-वस्तु उपलब्ध
कराने के साथ-साथ
परीक्षा में आपका उचित
मार्गदर्शन भी करेंगी।

- हिन्दी संस्करण



Code 607

₹ 299.00



Code 210

₹ 280.00



Code 1108


₹ 240.00



₹ 225.00


Code 2255

- अंग्रेजी संस्करण




Code 494

₹ 280.00



Code 885

₹ 290.00



Code 986

₹ 230.00

उपकार प्रकाशन

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 07060421008 • नागपुर 6564222 • इन्हौर मो. 0889588088